जौनसारी समाज के तीन उपसमूहों में अन्तर्सम्बन्ध

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सामाजिक मानव विज्ञान विषय में

डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

शोधकर्ता :

इन्दु प्रकाश

पर्यवेक्षक :

प्रो० डॉ० ए० आर० एन० श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष

सामाजिक मानव विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

1992

प्रिय तनु को

Certified that the candidate Indu Prakash has fulfilled all the requirements for the submission of his Thesis "Jaunsari Samaj Ke Teen-Up Shamuho Me Anter Shambandh" for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Social Anthropology of the University of Allahabad.

Date :

Prof. Dr. A.R.N. Srivastava
Research Supervisor
Social Anthropology Department
Allahabad University.

आभारोक्ति

सर्वप्रथम, मै अपना आभार उस परम ब्रह्म, परमेश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ, जिसने नाना प्रकार के विविध रूपो में सर्वत्र अपनी लीला रची । उस गिरिराज हिमालय को सत प्रणाम जिसने अपने गोद मे मेरे विषय क्षेत्र को संरक्षण दिया ।

तदपश्चात मैं अपने विभाग के अध्यक्ष प्रो० ए०आर०एन०श्रीवास्तव जो कि मेरे शोध निरीक्षक भी है, जिनके बिना मेरे कार्य इतने सरल न हो पाते, कि मै अपना कार्य पूरा कर पाता । उनके प्रति जितना भी आभार प्रकट करूं कम ही होगा । अपने परम पूज्य गुरू वर की बार-बार वन्दंना करता हूँ,।

अपने अध्ययन क्षेत्र के ग्राम लुधेरा के श्री नारायण सिंह तोमर, ग्राम चिल्ला के श्री अतर सिंह चौहान नैनबाग बजार के रूप राम शिल्पकार, तथा ग्राम ठकराणी के लाखी सिंह रावत, साबू कोल्टा, दुर्गा कोल्टा तथा खेन्तु दास चमार, एंव मुलुक बाजगी, ग्राम पुजली के पुजारी श्री हरिकृष्ण नौडियाल के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा । जिनकी सहायता के बिना यह दुष्कर कार्य सम्भव न हो पाता ।

ओ०एन०जी०सी० देहरादून के महा प्रबन्धक सुरक्षा, श्री जी०एम०श्रीवास्तव आई०पी० एस का मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होने अपने अति मूल्यवान समय मे कुछ समय निकाल कर मेरी शोधकार्य मे यथेष्ट सहायता की एंव उनके परिवार के प्रति मै भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होने मुझे हर सम्भव सहायता प्रदान की, अपने विभागीय मित्रो एंव सहयोगियो मे सर्वप्रथम श्री समीर राय (शोधछात्र) तथा श्री आलोक सहगल, परियोजना अधिकारी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने समय-समय यथा सम्भव मेरी सहायता करके यह दुष्कर कार्य अत्यन्त सरल कर दिया

अपने प्रिय मित्र शशि भूषण शर्मा के प्रति आभार प्रकट करना उसे गाली देने जैसा लगता है क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त सहायता अतुलनीय है, शशि के द्वारा दी सहायता इस प्रकार की है कि मानो मरते हुये व्यक्ति को संजीवनी बूटी एंव मृतप्राय व्यक्ति मे प्राणो का संचार. मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शशिभूषण के इस ऋण से कभी उऋण न हो सकूंगा ।

मै अपनी प्रेरणा तनु को न तो आभार प्रकट करने की स्थिति मे हूँ न ही उसके द्वारा प्रदत्त मानसिक सहायता को शब्दो की सीमाओं में अभिव्यक्त करने की क्योंकि उसके द्वारा प्रदत्त मानसिक उर्जा एंव प्रेरणा ही इस शोध कार्य को पूर्ण रूपेण सम्पादित कराने मे सफल रही अत: यह शोध प्रबन्ध भी मै उसी को समर्पित करता हूँ ।

अपनी परमपूज्य माता एंव पिता श्री डी0एस0लाल, जिनके अथक प्रयासो से मै यह शोध प्रबन्ध लिखने एंव पूरा करने योग्य बना तथा आज वस्तुत: समाज मे जो कुछ हूँ उन्ही की देन हूँ अत: अन्तत: परमपूज्य पिता एंव माता की चरणो की बारम्बार वन्दना करता हूँ ।

अपने सभी मित्रो एंव कंचन सिंह तथा सभी सहोगियो जिन्होने समय-समय पर यथा सम्भव सहायता प्रदान करके मुझे मानसिक उत्साह प्रदान किया जिसके फलस्वरूप यह शोध कार्य पूरा हो सका उन सबको धन्यवाद । मसान निवासी भूत भावन भगवान शिव की वन्दना करते हुये मै शोध प्रबन्ध को उन्ही के चरणों मे समर्पित करता हुआ अपने को कृत्य -कृत्य अनुभव कर रहा हूँ ।

"त्वदीयं वस्तु गोविन्दम तुम्यमेव समर्पयामि "

शोध कर्ता

इन्दु प्रकाश

विषयानुक्रम

चित्रो एव मान चित्रो की सूची

परिचय

जौनसार -बावर (देहरादून), जौनपुर (टेहरी गढ़वाल) तथा खाई (उत्तरकाशी) द्वारा घिरे हुये क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते है जिन्हे सामूहिक रूप से जौनसारी कहते है जौनसारी समाज तीन उप- समूहों में विभक्त किया जाता है : खासा, शिल्पकार, तथा कोल्टा । खासा समुदाय या तो राजपूत अथवा ब्राह्मण होता है जो इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के आधार भूत तत्वो से मिलजुल गई है अथवा उस पर आधिपत्य स्थापित कर लियाहै । शिल्पकार समाज के अन्तर्गत लोहार, सुनार बाड्डी (बढ़ई) बाजगी, जोगरा, नाथ इत्यादि सम्मिलित किये जाते है। सबसे निम्न वर्ग कोल्टा अथवा डोम कही कही मोची भी या कोलियों का होता है जिन्हे अछूत समझा जाता है । इस प्रकार सामाजिक विभेद परम्परागत हिन्दू जाति प्रथा से मेल खाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जौनसारी समाज को जन जाति की संज्ञा क्यो प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र विशेष मे निवास करने वाले लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक समान नहीं मान लेना चाहिए । मानव विज्ञानियो ने जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया है ।

" जनजाति एक ऐसा विशेष जन समूह होता है इसकी अपनी बोली तथा संस्कृति होती है और जो किसी क्षेत्र विशेष के मूल निवासी होने के साथ ही साथ राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते है। अतः सम्पूर्ण जौनसारी समाज को

कार्यप्रणाली प्रतिरूप अथवा उसके विभिन्न उपसमूहो की कार्य प्रणाली को ज्ञात करने के लिए उसकी विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन अत्यावश्यक रूपसे किया गया है।

जिस प्रकार की जाति प्रथा मैदानी भागों में प्रचलित है वैसी प्रथा जौनसारी जाति के नही पायी जाती । किन्तु उनके यहाँ जनसंख्या दो वर्गो में विभक्त की जाती है एक ऐसा वर्ग जिसके पास अधिकारहै दूसरा ऐसा वर्ग जिसके हाथ में कोई अधिकार नही है । जमीदार वर्ग धनी होता है तथा इस वर्ग के लेाग उच्च समूहो में आते है। शेष लोग निर्धन कहे जाते है । जौनसारी समाज का सबसे निचला वर्ग स्थानीय नियमों (दस्तूर-उल-अमल) के अनुसार भूमि का स्थायित्व वह नहीं प्राप्त कर सकता था । उन्हे तो अपने मालिको केलिए काम करना पड़ता था जो खास कहे जाते है । जौनसारी समाज में इस वर्ग के अछूत समझा जाता है इसी जनजातीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के भूस्वामी बनने का अधिकार प्राप्त होता है, किन्तु वर्ण व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व सर्वाधिक प्रभावशाली जाति के पास होता है । और उनका आर्थिक संगठन ऐसा होता है जिसमे अन्य जातियाँ खेती करने अथवा फसल के एक भाग को प्राप्त करने को अधिकार के बदले सेवा कार्य करती है। यदि हम उपर्युक्त विवरण को ध्यान में रखते है तब यह स्पष्ट हो जाता हैकि जौनसारी जनजाति जाति के आधार पर विभाजित है ।

श्री वी0 एन0 मजूमदार ने "इकानामी आफ खास-ए पालियेन्ड्रस पीपुल ऑफ दी सिस-हिमाययाज" नामक ग्रन्थ में कहा कि बदलते हुए आर्थिक जीवन में जौनसारी जनजातियों में काफी बेचैनी और असन्तोष व्यक्त कर दिया है इस असन्तोष का सबसे बड़ा कारण जमींदारों द्वारा बनाये गये कोल्टाओं के प्रति प्रशासन का बदलता हुआ दृष्टिकोण है।

इस प्रकार असन्तोष के फलस्वरूप जौनसारी जनजाति के विभिन्न उपसमूहों के पारस्परिक सम्बन्धों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाये गये है।

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है -

(अ) इस बात का पतालगाना कि जनजाति की परिभाषा से जौनसारी समाज कितना मेल खाता है।

(ब) जौनसारी समाज के पारम्परिक सामाजिक संगठन में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करना ।

(स) इस बात का पतालगाना कि जौनसारी समाज के तीनों उपसमूहों में कितना अन्योन्याश्रय है ।

प्रस्तुत शोध का कार्य क्षेत्र ग्राम लुधेरा एवं ग्राम चिल्ला (जौनसार, बावर, जिला- देहरादून) - ग्राम सुमन क्यारी एवं नैन बाग बाजार (जौनपुर -जिला टेहरी गढ़वाल) तथा ग्राम ठकराडी एवं ग्राम पुजेली (खाई जिला- उत्तरकाशी) है । यह ऐसे ग्राम है जहाँ जनजातीय समूह बहुतायत मे रहते है। गावों का चयन यादृच्छिक चयन विधि द्वारा कियागया है ।

प्रणाली विज्ञान के अन्तर्गत शोध कार्य की रूप रेखा का सूत्रीकरण तथा अनुप्रयोग इस प्रकार किया गया है कि आंकड़ो के एकत्रीकरण और विश्लेषण की दशाओं से प्रस्तुत अध्ययन के लक्ष्यों की पूर्ति के सन्दर्भ उठाये गये विशिष्ट प्रश्नो के सन्तोष प्रद उत्तर ढूँढने में सहायता मिली ।

विभिन्न जातियों की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए अत्यधिक मात्रा में सामाजिक शोध कार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी समाज के प्राणियो का अध्ययन किया जा सकता है अथवा उसकी सामाजिक संरचना का विवरण दिया जा सकता है। वर्णनात्मक शोध का सम्बन्ध परिस्थितियों अथवा अन्तर सम्बन्धो से होता है। रीति, रिवाजो, विश्वासो मान्यताओं अथवा उन मनोवृत्तियों से होता है जो समाज में पायी जाती है। शोध कार्य की रूपरेखा में आंकड़ो का एकत्रीकरण उनका सश्लेषण व्याख्या तथा विश्लेषण आदि सम्मिलित किया गया है।

वर्णनात्मक शोध आंकड़ो के एकत्रीकरण का किसी एक विधि तक सीमित नही रहता । यद्यपि ऐसे शोध कार्य में अनेक प्रकार की तकनीको का प्रयोग किया जा सकता है। चूँकि शोध का लक्ष्य पूर्ण और यथार्थ सूचना प्राप्त करना होताहै अत: शोध कार्य की रूपरेखा रखी गई हैकि जिसमे पूर्वाग्रह से पूर्णरूप से बचा जा सके । अत: प्रस्तुत शोध में क्षेत्र निरीक्षण साक्षात्कार प्रश्नावली आदि विधियों का प्रयोग किया गया है। सामाजिक आकड़ो को प्राप्त करने की प्रमुख विधि है निरीक्षण । निरीक्षण में स्वंय

भागीदारी की गई निरीक्षण विधि का प्रयोग करने का एक प्रमुख कारण यह है कि जनजातियों के आचरण प्रतिरूप का सर्वाधिक ज्ञान इसी से होता है ।

साक्षात्कार और प्रश्नावली उपागम् में व्यक्ति के अनुभवों और प्रेरणाओं के सम्बन्धों में सूचना प्राप्त करने के लिए उनके मौखिक रिपोर्ट पर अत्याधिक मात्रा में अवलम्बित रहा जाता है, प्रश्नावली में सम्मिलित किये गये प्रश्नों और साक्षात्कारों का लक्ष्य अतीत और वर्तमान के आचरण परकेन्द्रित है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता जौनसारी जनजाति के बीच उपसमूहों के विषय में विवरण प्रस्तुत करने की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। प्रतिदर्श। काचयन इस प्रकार से रखा गया है कि उस पर आधारित निष्कर्ष सम्पूर्ण जनसमुदाय के अध्ययन पर आधारित निष्कर्षों से मेल खाता है।

प्रस्तुत शोध का मूल उद्देश्य जौनसारी जनजाति के तीन उप समूहों के अन्योन्योशयन की सीमा का पता लगाना होने के कारण इसके द्वारा किसी परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत आधार पर सूचना एकत्रित की गई है। सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक संगठन के सम्बन्ध में सूचना व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा सहभागी अवलोकन के द्वारा प्राप्त की गई है।

विश्लेषण की प्रक्रिया में साक्षात्कार द्वारा प्राप्त उत्तरो की कोडिंग, निरीक्षणो की कोडिंग, आंकडो का सारणीयन सांख्यिकीय परिकलन किया गया है । आंकडो के विश्लेषण का एक मात्र लक्ष्य एकत्रित आंकडो को इस प्रकार संक्षिप्त करना है। जिससे शोध कार्य के लिए प्रेरित करने वाले सभी सम्भव प्रश्नो के उत्तर प्राप्त हो सके ।

PERCENTAGE OF SCHEDULED TRIBES TO TOTAL POPULATION

अध्याय - एक

परिचय

MAP OF
TEHSIL CHAKRATA
DIST. DEHRADUN
TAROCH
JUBBAL
TEHRI-GARHWAL
DEHRA DUN
BAWAR
PHANAR
LAKHAU
JUNGAT
BHARAM
KELO
DHANAU
BONDUK
MOHANA
DASAU
DWAR
KHANU
TONS
MALETHA
BANGAON
SILGAON
BISAHAL
SILIGUTH

भौगोलिक क्षेत्र

1.1 उत्तर प्रदेश के जौनसारबावर (देहरादून) जौनपुर (टेहरी गढ़वाल) तथा खाइन (उत्तरकाशी) द्वारा घिरे हुये क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते है। जिन्हे सामूहिक रूप से जौनसारी कहते है इन क्षेत्रो को भौगोलिक क्षेत्र लिखी - स्थिति इस प्रकार है -

खंडा पच हिमालयस्य कथिता
नेपाल - कूर्मा चलौ
केदारोडथ जलंधरोडथ रूचिइ
कश्मीर - संज्ञोडन्तिमः

परम्परागत रूप से हिमालय को पाँच खण्डों में विभक्त किया माना है। नेपाल, कूमचिल कुमाऊँ, केदार (गढ़वाल) तथा गढ़वाल के पश्चिम मे जलन्धर खण्ड स्पष्ट था ऐसी अवस्था में देहरादिन का पहाड़ी इलाका एवं जौनसार गढ़वाल में था।

देहरादून जिले के स्पष्ट रूप से दो भाग है उत्तर में जमुना के पार जौनसार बावर का पहाड़ी इलाका एवं दक्षिण में वाह्य हिमालय और शिवालिक के बीच में इनकी समतल सी भूमि अनुसूचित जाजातीय क्षेत्र जौनसार- बावर यद्यपि देहरादून जिले का ही अंश है किन्तु नृतत्वीय एवं प्राकृतिक दृष्टि से देहरादून से बिल्कुल स्वतंत्र है जौनसार बाबर देहरादून जिले का एक सब डिविजन तहसील है जो कि 77⁰ 42" देशान्तर से 78⁰ देशान्तर के बीच एवं 30⁰ 31" अक्षांश से लेकर 31⁰ 2" अक्षांश के मध्य स्थित

DRAINAGE
R. YAMUNA
R. GANGA
R. RAMGANGA
R. GANGA
R. RAMGANGA
R. SHARDA
R. GHAGHARA
R. KALYANI
R. GANDAK
R. YAMUNA
R. BETWA
R. GANGA
R. GOMTI
R. SARYU
R. SON
0 50 100
KM

है , यह आकृति मे अन्डाकार है जिसका अक्ष उत्तर और दक्षिण को है - जौनसार बावर को प्राकृतिक सीमाये निश्चित है उत्तर पूर्व से टोंस (पहाड़ से) चलकर इसकी सीमा निर्धारित करती हुई पश्चिमी सीमा बनाती हुई कालसी के पास जमुना में मिलती है ,टोंस उत्तर मे टेहरी के बांई परगने के अलग करती है पश्चिम में जुब्बल और सिरमौर (पुरानी रियासतो) को यही विभाजक है । पूर्व मे जमुना अपनी शाखा रिकनरागाढ़ को लिये इसे पहले टेहरी से और दक्षिण मे इनसे अलग करती है, जौनसार बावर परगना अर्थात् चकराता तहसील का पश्चिमोत्तर छोर थोड़ा सा टोंस के दाहिने किनारे पर है - जौनसार बावर के पहले दो परगने है और तीन प्राकृतिक उपविभाग -(1) जौनसार वह भू भाग है, जिसके उत्तर मे लोखन्डी , पूर्व में जमुना, पश्चिम में उसके संगम तक टोंस है इस प्रकार यह आकृति में त्रिकोनाकार है सिका शिखर शकटाकार है, जिसका निम्न मात्र कालीस के पास उत्तर मे दक्षिण अठारह मील का है (2) दूसरा लोखन्डी काइलाका है जो कि जौनसार परगने की चौड़ाई के ऊपर पूर्व से पश्चिम पांच मील लम्बा है लोखन्डी भी पुराने जौनसार परगने का ही एक मात्र है (3) शेष दस मील लम्बा उत्तरी भाग बावर है। टोंस के पार वालादेवघर का इलाका इसी मे पड़ता है जौनसार- बावर बिल्कुल पाहड़ो और खड्डो की भूमि है जमुना टौंस की जल विभाजक श्रेणी कालसी के पास हरीपुर व्यास से शुरू होकर चकराल देववन के पश्चिम में होती हुई उत्तर पूर्व को ओर घुमकर

लोकर के ऊपर से करम्याबा को चोटियों पर पहुँचती है बेराट में मंसरी चकराता सड़क पर्वत दन्ड से आ मिलती है । यहाँ पर 7399 फुट ऊँची एक चोटी है जिससे और उत्तर में क्याबा के पास एक दूसरी चोटी 6559 फुट ऊँची है, फिर देववन 9331 फुट, एक दूसरी चोटी 8730 फुट जहाँ से पर्वत दण्ड उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और बजामाटी में 9537 फुट तथा दूसरी 9200, 9553, 10075, की चोटियों को लेते टेहरी जिले में घुसकर बन्दरपूँछ (जमुनोत्री शिखर) की बाहियों मे मिल जाता है। इसी मुख्य पर्वत दण्ड से बहुत सी पर्वत श्रेणियां निकल कर गंगा और यमुना की घाटाओं की ओर जाती है, जिनसे फिर कितनी ही बाहियाँ निकलती है । जौनसार बावर की भूमि इसी प्रधान पर्वत दण्ड और उसकी उप श्रेणियों से ढकी है जिनमे जमुना और टॅांस की शाखाओं ने खोदकर अपने लिये स्थान बनाया है। खड्डो के सीधे उतरने तथा जमीन के पथरीली होने के कारण खेत बनाना आसान नही है। पत्थर यहाँ अधिक तर चूना पत्थर है। यहाँ जंगल कम और नंगी शिलाये अधिक है। बहुत से स्थानो में तीहरी घास बरसात में ही देखने में आती है ।

हिमालय तथा शिवालिक दो पर्वत जिन पर जौनसारी जनजाती निवास करतीहै इसी क्षेत्र में पड़ते है -

शिवालिक (सापद लक्षा) यह सवालाख से बना है जो इस पहाड़ी की बहुसंख्यकता को प्रदर्शित करता है शिवालिक हिमालय के दक्षिण

दिशा में कश्मीर से आसाम तक सर्वत्र विशेषिकृत अवस्था में व्याप्त है गंगा हरिद्वार के पास इसी शिवालिक श्रेणी को काटकर मैदान में आती है यहा शिवालिक का नाम मोती चोर है जौनसार बावर में जिस तरह एक मुख्य पर्वत दण्ड और फिर बहुत सारी श्रेणियाँ बाहिया उनसे निकलती देखी जाती वही बात शिवालिक में नही पायी जाती । यहाँ बहुत सी ऊँची एवं लम्बी पर्वत श्रेणिया चारो ओर चली गयी है शिवालिक की निम्न ढलानो में साल के घने जंगल, ऊपर की ओर थोड़े बहुत चीड़ के वृक्ष पाये जाते है शिवालिक में अधिकतर बालुआ पत्थर पाया जाता है जो अत्यन्त नरम होता है शिवालिक मे करोड़ो वर्ष पुराने प्राणियो की प्रस्तरीकृत हड्डियाँ भी मिलती है ।

मंसूरी से देहरादून की तरफ निकलती हुई पर्वत श्रेणी वाह्य हिमालय श्रेणी है यह श्रेणी 7459 फुट तथा 8565 फुट पर जाकर समाप्त हो जाती है। 7459 लालाटिब्बा, 8565 फुट तोपिटिब्बा पहाड की घाटी में बसे गावो के आस - पास के जुगल जलाकर कोल मे बना दि॰ गये लेकिन ऊपर े भागों के जंगल मनुष्यो द्वारा लगातार नष्ट किये जाने के बाद भी बनाये हुये है पाँच हजार फुट के ऊपर वांज और बुरांस केजंगल मिलते हैं ।

इस जनजातीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से तीन नदियों , यमुना, टोंस एवं रिखनाड इसकी सीमाओं पर प्रवाह करती है एवं क्षेत्र के अन्दर

छोटी- छोटी पहाड़ी नदियाँ इनसे मिला करती है -

टेहरी जिले के बन्दरपूँछ या यमुनोत्री से निकल कर देववन से साढ़े बारह मील ठीक पूर्व नौडरखार मे यमुना इस क्षेत्र में दाखिल होती है यहाँ पर इसमे रिकनार गढ़ की एक छोटी सी नदी आ मिलती है जिसे रिखनाड नदी भी कहते है जो कि बावर को टेहरी जिले के खाई परगने के रायासिराय पट्टी से अलग करती है, यहाँ से आठ मील नीचे से मोहना और बावर खार से होकर आने वाली खुटनगाढ़ दाहिनी ओर से आकर यमुना मे मिलती है, यहाँ से प्राय: 20 मील यमुना दाक्षिण वाहिनी हो जाती है और चकराता तहसील के दक्षिण पूर्व के कोने पर पहुँचकर एकदम पश्चिम की ओर मुड कर चकराता तहसील की दक्षिणी सीमा बनाती है । यहाँ से सात मील बाद देववन पहाड़ से निकलकर अगलावा नदी उत्तर से आकर इसमे मिलती है । दो मील पश्चिम जाने पर चकराता मार्ग पर बने पुल के कुछ नीचे टोंस इसमे सम्मिलित होती है यह टोंस यमुना की एक प्रधान शाखा उससे एकदम अलग है इसकी मुख्य शाखा सुपिन यमुनोत्री से काफी उत्तर हिमालय श्रेणी से निकलती है सुपिन आगे बढ़ कर महासू जिले से आने वाली रुपिन को लेकर टोंस का नाम धारण कर कुछ दूर तक चकराता तहसील की उत्तरी सीमा बनाता हुआ तिऊनी के पास रोड़ू तहसील से आने पब्बर नदी को अपने आत्म सात कर लेती है । पब्बर से मिलकर मिल कर टोंस (पहाड़ी) थोड़ी दूर तक दक्षिण वाहिनी होकर

जोनसार बावर के पश्चिमोत्तर छोर के बीच से होती है जुब्बल और सिरमौर को सीमा बनाता कालसी के पास यमुना में मिलती है, इस क्षेत्र अन्य उप नदियों में बेनालगाढ़ एवं उसकी शाखाये बानाधार एवं लाखो खाट को अलग करती है। कुटनूगाढ़ की शाखाये निगलगाढ़ तथा दूसरे नाले यनगाँव खाट से पानी को बाहर यमुना मे ले जाते है बावर खाट के दक्षिण में धारागाढ़ बहती है जो इसे बानापार खाट से अलग रखती है। धारागाढ़ काफी बड़ी नदी है । धावडगाढ़ नदी बिसहल खार के उत्तरी हिस्से में बहती है सेलीखार में सेलीगा बहती है।

इस क्षेत्रके पहाड़ स्लेटी-क्वार्ल्ज तथा ज्वाला मुखी के बारीक राखो के है देववन में चूना पत्थर भी बहुत मिलते है सभी प्राचीन चट्टाने फासिल रहित जिससे वह अति प्राचीन सिद्ध होती है ।

इस क्षेत्र के वाह्य हिमालय वाला भाग विविध प्रकार के खनिज सम्पदा से युक्त है काला पावर गाँव के पास लोहे की खानो के अवशेष मिलते है कालसी और जलौटा पुल के बीच को भूमि के खनिजो के बारे मे मेजर-जेनरल बेरेसफोर्डलोवेट को लाइसेन्स दिया गया, कुसारू ने हमे टाइट लोहे की धुनमिली जिसका इंगलैन्ड में परीक्षण हुआ तो उसमे पैसठ प्रतिशत शुद्ध लोहा पाया गया लोहे की धुने कालसी के पास कुवनें और मिनसु के बीच, बेरसार, लोहारी, गासकी में पाई जाती है कालसी के नजदीक पुरावा मे तथा अमलवा के दोनो किनारे एवं कंडा की खानो में तांबा मिलता है, वॉला में सुरमा तथा पालन में जिंक (जसता) एवं कही- कही पर सीसे की भी

EXTREMES OF TEMPERATURE
N
A
HIGHEST
(°C)
B
LOWEST
(°C)
0
50
100
KM

TEMPERATURE VARIATIONS
(ACTUAL)
(°C)
N
DEHRADUN
MUKTESHWAR
MEERUT
AGRA
PANTNAGAR
LUCKNOW
GORAKHPUR
JHANSI
BANDA
ALLAHABAD
VARANASI
U.P.
50
40
30
20
10
0
-10
J F M A M J J A S O N D
EXTREME MAXIMUM RECORD
MEAN ABSOLUTE MONTHLY
MEAN DAILY MAXIMUM
MONTHLY MEAN
MEAN DAILY MINIMUM
MEAN ABSOLUTE MONTHLY MINIMUM
EXTREME MINIMUM RECORD
0 50 100
KM

खाने है ।

जमुना की बालु की धुलाई से सोना निकाला जाता है बहुत सम्भावना है कि इस क्षेत्र में सोने की मातृका होनी चाहिये प्रायः सभी नदियों में चूने का कार्बोनेट मिलता है ।

इस क्षेत्र के तापक्रम भिन्न-भिन्न ऊचाइयों के कारण अलग-अलग होते है यमुना और टॅास तथा उसकी शाखये जौनसार में बहती है, यहां मार्च से अक्टूबर के अन्त तक नीचे के स्थानो में गर्मी बहुत होती है जाड़ो में नदी के पास वाले स्थान पहाड़ों के अपेक्षा अधिक सुखद मालूम होते है वर्षा के समय एवं उसके बाद यहाँ भारी कुहॅासा छा जाता है पॅाच हजार फुट के ऊपर जनवरी में तथा छह हजार फुट एवं ऊपर नवम्बर के बाद से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है तथा वातावरण यूरोप के जैसा हो जाता है सम्पूर्ण पर्वत श्रृंखला हिम से आच्छादित होकर धवल दुग्ध कान्ति वाली हो जाती है मानसून को यहाँ पहुँचने में लगभग पन्द्रह दिन लग जाते है इस क्षेत्र की औसत वर्षा जो चकराता में रिकार्ड की गयी 70 इंच वार्षिक है ।

जौनसारी जनजाती के क्षेत्रो के जंगलों को चार प्रकार क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है।

गरम क्षेत्रो के जंगल सिर्फ कालसी का जंगल है जोकि चार हजार फुट तथा चाला गया है यहा महत्वपूर्ण वृक्षशालाहै जो कि कम जगहो पर

पाया जाता है शेष वृक्ष कुकाउ है जिनका उपयोगग्रामवासी ईंधन के लिये करते है ।

तीनहजार फुट से साढ़े छह हजार फुट की ऊँचाई वाला क्षेत्र नरम क्षेत्र कहा जाता है इन क्षेत्रो में निम्न भाग में चीड़ ही देखा जाता है किन्तु ऊपरी भाग में इसके साथ बान के दरख्त भी मिलते है बान के साथ बुरांस और अयार भी मिलते है लेकिन यहाँ चीड़ का अभाव होता है ।

तृतीय प्रकार के क्षेत्र को देवदार क्षेत्र भी कहते है। छह हजार पाँच सौ फुट से नौ हजार फुट की उचाई तक सबसे मूल्यवान काष्ठो के जुंगल मिलते है देवदार वृक्षो की प्रधानता होने के साथ साथ राइ, खरशू के मिले जुले जंगल मिलते है देवदार के वृक्षो के लिये सबसे अनुकूल ऊँचाई साढ़े सात हजार फुट से साढ़े आठ हजार फुट होती है।

नौ हजार फुट की ऊँचाई अतिशीत क्षेत्र कहे जाते है इस क्षेत्र में खरशू, बान, राई और मोरिंडा के वृक्ष पाये जाते है मोरिन्डा के वृक्ष ठंडे स्थानो को अधिक पसन्द करते हैं ।

इन जंगलो का प्रबन्ध सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है सम्पूर्ण जंगल पाँच रेन्जो में विभक्त है प्रत्येक रेंज के लिये एक-एक रेंजर नियुक्त है तीन डिप्टी रेंजर है । सैंतीस जुंगल गारद जंगलों के देख-

भाल के लिए नियुक्त है ।

इन क्षेत्रो में पायेजाने वाले जन्तु निम्न प्रकार के है शिवालिक पहाड़ में हाथी पाये जाते पहले इन्हे गड्ढा खोद कर पकड़ा जाता था शिवालिक के जंगल से कभी- कभी बाघ इस क्षेत्र में भी आ जाते है । बघेरा इन सब पहाडो दोनो जगहो में पाया जाताहै तथा यह खास कर कुत्तो को मारता है । भालू काले रंग वाला होता है यह वृक्षो पर से शहद खाता है कभी कभी मांस भी खाता है। कोक (जंगली कुत्ते) के झुंड मे होकर चलते है इनसे ग्रामीण त्राहि - त्राहि करते है। पहाड़ी सियारकी छाल नरम एवं घने रोओ वाला होता है। वानर, लंगूर, ये दोनो ही पाये जाते है यह खेतो के फलों को बहुत नुकसान करते है। साँभर (जडाव) पहाड़ों पर इनके साँभर से कद में बड़ा होता है । काकड की ऊँचाई दो फुट तक की होती है । कस्तूरा नामक यह दुर्लभ मृग आठ हजार फुट से ऊपर ही प्राप्त होता है है कस्तूरी इनकी नाभि में गुठली की तरह होती है यहाँ गुराल भी पाया जाताहै इसकी सींग छह इंच के करीब लम्बी होती है पशुओं में सूअर, खरगोश, साही पाये जाते है यहाँ का सबसे सुन्दर पक्षी मुनाल होता है इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रो में गृह चटका गौरेया, कठफोड़ा कोयल, तोता, पण्डुक, पहाड़ी मैना, कबूतर , मोर गिद्ध चकोर पमचकोर प्योंद्रा बाज एवं द्रोणकाक भी पाये जाते है। यह कई प्रकार के गिरगिट मिलते है गोह चार फुट के ऊपर की ही पाई जाती है चार हजार फुट

पर जोंक (खुनप्युआ) सोलह इंच लम्बी तक पाये जाती मेंढक, सापों में अजगर बहुत कम मिलता है। रसल्सवाइपर विषैला साप है जो यहाँ प्रायः पाया जाता है येहुअन साँप भी कम मिलता है एक हरे रंग का साँप शिवालिक परकभी- कभी दृश्यमान होता है।

इस क्षेत्र की नदियेा में मासिर, करात, गैर, कलाबाँस फरकरा चिलवार, जैसी मछलियाँ पाये जाती है यमुना में बड़ी महासिर छोटी नदियेा में रोहू भी पायी जाती है, सौल चाल, गिटी गुँच, जैसी मछलियाँ जलाशयो में मिलती है कुल मिलाकर यह चौबीस प्रकार कीमछलिया पायी जाती है मछलियो की भारी वृद्धि की सम्भावना अब उस समय होगी जब इन क्षेत्रो में निर्माणाधीन बड़ी जलनिधियाँबन जायेगी ।

इतिहास -

जौनसारी जनजाती के खस अपने को पाँडवो का वंशज मानते है जौनसारी जनजाति में पाँडवो के समान बहुपति विवाह प्रचलित होने के कारण पांडवो के पास सम्बन्ध जोड़ना स्वाभाविक है। लखबार और लाखा-मण्डल पाँडव कालीन लाक्ष्य गृह से जोड़े जाते है यही पर छठी आठवी शताब्दी के बहुत से शिलालेख एवं मूर्तियाँ तथा अनेक भग्नावशेष मिले है जो किसी कल्पित कथा से अधिक ठोस इतिहास से सम्बन्ध रखते है इतिहास का आरम्भ यहाँ मौर्य काल से होता है अशोक का कालसी शिला

लेख अब भी कालसी मे यमुना के किनारे जौनसार की सीमा पर मौजूद है कालसी मे इस शिला लेख का होना बताता है कि ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी से ईसा पूर्व छठी शताब्दी बुद्ध के समय में भी यह एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ लोगों का गमनागमन बहुत होता था क्योंकि अशो के शिला-लेख ऐसे स्थानो पर पाये गये है जहाँ लोगों का आना जाना बहुत होता था ।

ईसाकी दूसरी सदी में कालसी प्रदेश का राजा शीलवर्मा था कालसी के इस पार उसके यज्ञ समाज में मिली ईंटो पर उसका नाम उत्कीर्ण मिलता है। " चतुर्थस्याश्व में धस्य नृपते शीलवर्मण चित्योडय " जिस लिपिमे मे है वह कुषाण ब्राह्मी में है।

गुप्त काल में जौनसार में समुद्र गुप्त का शासन था गुप्तो का ध्वस कर श्वेत हूणो ने जौनसार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में यह नही कहा जा सकता कि जौनसार कबर थानेश्व के अधीन था या कन्नोज के हर्षवर्धन इन दोनो राज्यो का शासक था जिससे उसके अधीन मे जौनसार बावर का होना निश्चित है। इस काल की पुरातात्वा सामग्री उपलब्ध नही है सखवार एवं लाखामण्डल के अभिलेख सम्भव है हर्ष कालीन हो हर्ष के के बाद दो सौ वर्षों तक जौनसार पर तिब्बत का अनुशासन रहा होगा कत्यूरी वंश के राजाओं में यह राजा ललितशूर के शासन मे था । इसके बाद जौनसार पर छोटी ठाकुराइयों का आधिपत्य हुआ पंवार वंश

§1500 - 1797§ के आधिपत्य पहले यहा एक से अधिक छोटे राजा होने की सम्भवता है लेकिन विशेष जानकारी के लिये कोई साधन नही है।

1254 ई0 जौनसार बावर सिरमौर नाहन के अधीन था, सिरमौर के बारे में मुस्लिम इतिहासकार लिखते है। 1254 ई0 मे सुल्तान मुअज्जम नासिरूदनिया- वन्दीन ने सिरमौर के पहाडो को नष्ट भ्रष्ट किया। 1388 ई0 मे सुल्तान फिरोज के पुत्र मुहम्मद ने वजीर के अत्याचारो के खिलाफ हो अपने बाप से लोहा लिया और उसे भाग कर सिरमौर के पहाड़ो को शरण लेनी पड़ी फिरोज के उत्तराधिकारी तुगलक शाह ने मुहम्मद के विरूद्ध जंग छेड़ी इस युद्ध में पहाड़ी राजाओ ने मुहम्मद का पक्ष लिया इसके दस वर्ष बाद 1398 में तैमूर ने इस ओर आक्रमण किया राजा वहरोज से युद्ध किया उसे लूट कर सिरमौर के राजा रतनसेन को भी पराजित किया। पंवारवशी राजाओ का सिरमौरियो के साथ युद्ध चलता रहता था सम्भवत: यमुना गढ़वाल की सीमा रही हो जौनसार पर सिरमौरियो का अधिकार रहता था । शाहजहाँ के युवराज दारा का पुत्र सुलेमान शिकोह औरगजेब के डर से इन्ही पहाड़ो में भाग कर आया § 1770-85 ई§ में इन पहाड़ो के सहारनपुर के गुजर यमुना पार के सिक्ख एवं पठानो ने जम कर लूटा आठारहवी सदी में यह लूटपाट जारी रही ।

जनवरी 1804 में गोर्खो को अधीन यह क्षेत्र चला गया इन और जौनसार बावर को लेते सेना गोखसिना सतलुग के किनारे तक पहुँच गयी ।

खलंगा के युद्ध (30 नवम्बर 1814) के बाद से यह क्षेत्र अंग्रेजो के अधीन चला गया 17 नवम्बर 1815 ई0 को इनको सहारनपुर जिले में मिला लिया गया जिसके ओर से नियुक्त कप्तानवर्च ने 1815-16 से 1817 ई के दो वर्षों मे यहाँ का पहला बन्दोबस्त किया कप्तान वर्च की जगह पर कप्तान रॉस ने 1 नवम्बर 1818 से 21 अक्टूबर 1821 तक दूसरा बन्दोबस्त करके मालगुजारी 17001 रूपया निश्चित की । 1 अप्रैल 1819 को कप्तान एफ0 ए0 यंग पर्गन का अफसर नियुक्त होकर आया उसने 1821 ई0 से बन्दोबस्त शुरू किया जुलाई 1824 तक मालगुजारी की वसूली इसी तरह होती रही, 1824 ई0 में कप्तान यंग ने चौथा बन्दोबस्त किया यह बन्दोवस्त तीन से पाँच वर्ष तक लिये माना । सन् 1829 ई0 में पाँचवा बन्दोबस्त हुआ 1834 -35 ई0 से 1848 -49 ई0 तक लिये मेजर यंग ने 15 वर्षों के लिये छठा बन्दोबस्त किया। 1849 ई0 में रॉस ने नया बन्दोबस्त किया इसी समय रॉस ने एक कानून विधान संहिता और स्थानीय पंचायतो की कार्यवाई के नियम को तैयार किया यही जौनसार बावर का दस्तूर उल अमल था। जे0 सी0 रार्वटसन ने 1849 ई0 - 1855 ई0 में आठवाँ बन्दोबस्त अगले 1860- 61 से 1870-71 ई0 के लिये किया इसी समय सबसे पहले जमीन गरीब से नापी गयी, नवा बन्दोबस्त 1860- 63 ई0 में डब्लू कार्नवाल ने किया इस बन्दोबस्त में खातो की सीमा निर्धारित की गई जौनसार और बावर खरटी पट्टियों में विभक्त थे जौनसार में 30 खार थे और बावर में पहले एक खाट और 5 खाग थे जिन्हे बाद में 5 खाटो में बदल दिया गया इस प्रकार जौनसार बावर में 39 खाट है जिनमे से हर एक का सामना होता

जौनसार बावर , टेहरी और गढ़वाल मे जिन्हे सयाना कहते है उन्हें को कुमाऊँ मे कायिन कहा जाता है ।

1.2 निवासी

जौनसार ब्यावर के निवासी अपने आपको खासा कहते है। बहुत नजदीक से देखते हुए यह पाया कि क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ये अपने आपको खास कहते हैं। " किरात मण्डले खासा किर्णे §सभा पर्व अध्याय छः§ वस्तुत: युधिष्टर के पास उपहार लेकर आने वाले लोग खासिया लोग थे। लेकिन पुरे क्षेत्र में खासा लोगों का ही निवास नहीं है। इनके नजदीकी रिश्तेदारी में ब्राहमन हैं, और इनके बीच विवाह का बंधन अक्सर देखने को मिलता है। इनके सबसे निचले वर्ग विश्लेषण में डोम पाये जाते है। यह जाति करीबन विजातिय वर्ग के रूपमें पाया जाता है और येअछुत वर्ग के रूप में देखे जाते है। वर्गीकरणीय दृष्टि से ये एक अलग वर्ग के रूप में पाये गये है। इन जनसंख्या करीबन 23000 है, जो कि पुरे जनसंख्या का 33% है।

ये खासा राजपुत होते हैं। इनका शारीरिक बनावट गोरा रंग लम्बा शरीर, लम्बे नाक, होते है। इनके चेहरे का बनावट ऐसा होता है कि ये अपने पड़ोसियो एकदम अलग दिखते है। इनके पडोसी अधिकांशत: गढ़वाली है। खासाओं को हमेशा एक मजबुत प्रजाति के रूपमें देखा गया है। बहुत पहले ये मध्य एशिया से यहाँ आकर बसे और अपना चिन्ह ये कारागर, काश्कारा, हिन्दु कुश, काश्मीर, और इनके आस पास के जगहो में छोड़ आये"। एक मान्यताके अनुसार शुरू में इन्डो- आर्य, पर्वतीय क्षेत्रो में अपनाजगह बना लिया था जो कि हिन्दु-कुश के बिदक्षिण में था, उसके बाद में लोग धीरे-धीरे हिमालय की ओर बढ़े। इसी सारी ग्रंथे लिखी गई।

और खाया जो कि जौनसारी है उनके बीच बहुपति विवाह कैसे फैली, इसका जवाब हमे किसी इण्डो आर्य के घूमने-फिरने और बसने की आदत के बीच उपजी संस्कृति का नतीजा है जो कि खासा में बहुतायत में पायी जाती है । प्राचीन संस्कृत भाषामें भी हमे खासाओ का वर्णन अच्छा खासा मिलता है । ऐसा देखने को मिला है कि नागा, किरात और खासा, भारत में उसी मार्ग से प्रवेश किये जिस रास्ते से आर्य लोग आये । पहले किरात फिर नागा और बाद में खासा आये और यहाँ बसी हमें कुछ अन्य जनजाति खश, खस, खष, खशीर का वर्णन मिलता है । हम जितना प्राचीन में उन्हें ढूंढते है , हम उन्हें उतनाही पूर्वोत्तर में पाते है। कालहन की राजस्तरंगनी मे हमें खासा का अच्छा खासा वर्णन मिलता है।

जौनसार ब्यावर में जो भाषा बोली जाती है उसे पश्चिमी पहाड़ी कहा जाता है । ये भाषा करीबन पहाडो में और अधिकतर शिमला के पहाड़ो में प्रचलित है। कुछ-कुछ अम्बाला, कुल्लू, सुकेत, मण्डी, चम्बा, पूर्वी कश्मीर मेंभी देखने कोमिलती है। इनका वर्गीकरण करे तो हम पाते है कि ये इस तरह है ।

जौनसारी

सिरमौरी

बघाती

किउथाली

सतलज समूह

कुलउह

मण्डेलाई

चमेइली

भदरावह समूह

इन भाषाओ को बोलने वाले जो सबसे पुराने आर्य लोग थे । और इस तरह हम कह सकते हैकि जौनसारी और उनमे भी मुख्यत: बह्मामन और राजपूत आर्य थे । ऐसा समझा जाता है कि आर्यों के जो कई झोकें भारत में आये उनमे से कुछ हिन्दू कुश के क्षेत्रमे बस गये और धीरे-धीरे दक्षिण की तरफ हिमालय में ही रहते हुये बढ़ते गये और अपना संस्कृति को धीरे- धीरे त्यागते गये लेकिन उनके अन्दर क्षत्रिय की भावना कभी खत्म नही हुई । मुस्लिम आक्रमण के समय जब राजाओं या विधवा रानियो ने आश्रय की खोज की तो उन्हे इससे अच्छा और कोई जगह नही मिला । राजपरिवार की औरते ये मुसलमानो के हाथो पड़ जाने से अच्छा यहा के रहने वाले जौनसारियों से शादी विवाह किया और यही बस गयी। इनकी भाषा भी खासाओं से हिल मिल गयी धीरे-धीरे शादी विवाह करके ये आपस में मिल गये और यहाँ अनुलोभ और प्रतिलोभ तरह के विवाह देखने को मिला । चूकि विधवा रानियाँ या उच्च घराने की औरते ज्यादा आई और यही बस गयी, जिसके चलते प्रतिलोभ विवाह देखने को मिला और साथ ही इसके मैतृक वंश और बहुजति विवाह को प्रेरित किया ।

डोम -

इस विवाह के बाद जो खासा अपने आपको इस समूह के साथ चलने से इंकार कर दिया या अपने आपको इनसे मिला नही पाये वे एक अलग जाति बना ले गये । इन्हे ब्रह्म्मण और राजपूतो ने अछूत करार दे दिया और बाद में ये डोम कहलाये । जौनसार के स्थानीय नियमो ने इन डोमों को जमीनो के मालिक बनने से वंचित कर दिया । ये डोम या तो इस जमीनो का इस्तेमाल बटाई के रूप में करते थे या फिर ये बड़े जमीदारो के नौकर बन गये । अब हालोकि ये भारतीय कानून से अपराध घोषित किया जा चुका है फिर भी अभी भी प्राचीन कानून ही लागू है । ये डोम किसी भी हालत में अपने पास जमीन नही रख सकते । इन डोमो के बीच भी कई उप-जातियाँ है ।

बाजगी

औजी

लोहार

बढ़ई

चमार

हुरकिया

कोल्टा

ये सभी काम करने वाले समूह है। बाजगी ढोलक बजाता है। औजी दरजी का काम करताहै। लोहार, बर्त्तन , औजार बनाने का काम करते है। बढ़ई लकडी से सम्बन्धित कार्य करते है। चमार, लोग चमड़ा निकालते हैं

और चमड़े से सम्बन्धित सभी वस्तु बनाते हैं। हुरकिया लोग व्यवसायी रूप से नाचने वाले लोग है और कोल्टा लोग बिना जमीन के मजूदर है।

बाजगी लोग पूर्णरूप से तो बाजा बजाने वाले है परन्तु साथ में ये नाई और दरजी का काम भी करते है। सामाजिक ढाँचे मे ये बाजगी डोम जाति के विभिन्न उपजातियो में सबसे ऊपर एवं श्रेष्ठ है। इन्हे उच्च जाति से भी काफी इज्जत मिलती है। इनकी औरते गहने पहन सकती है। जबकि बाकी डो के यहाँ के औरते, यहाँ के निजी कानून के अनुसार सोने के गहने नही पहन सकती। बाजगियो के बाद लोहारो का नम्बर आता है। इनका काम कृषि के उपयो में आने वाली औजारो का बनाना है तथा साथ में ये घरेलू सामानो को भी बनाते हैं। लोहारो के बाद डोम समाज में बढ़ई उपजाति का नम्बर आता है। फिर चमार, हुरकिया आते है। ये सारे उपजाति हैं। ये समूह अन्तहाय विवाह और खान पान रखते है। ये दूसरे समूह में रिश्ते नाते नही बनाते।

इन सारे उपजाति में सबसे नीचे कोल्टा आते हैं। ये कोल्टा सबसे ज्यादा है। यहाँ तक की पूरे जौनसार व्यवारके जनसंख्या के पाँचवा भाग अकेले कोल्टा लोग हैम ये कोल्टा वाकई में बेचारे है। ये बहुत ही कमजोर वर्गहै। इनके पास कोई जमीनजायदाद नही है। ये सिर्फ मजदूरी करके जिन्दा रहते है। और ये कोल्टा सुबह से शाम तक मजदूरी करते है वो भी आधे पेट भोजन के साथ। और इसका मुख्य कारण, इन कोल्टाओं को कर्जदार होना है। ये सारे कोल्टा जमींदारो के यहाँ होते है, और चूँकि इनके पास खाने को

कुछ नहीं तो, कर्ज कहा से लौटायेंगे, इसलिए सूद से कर्ह का वजन बढ़ता जाता है और इस का अन्त बन्धवा मजदूर के रूप में आकर होता है । ये कर्जदारी, जमींदारों के अधिकतर धोखाधड़ी के कारण होता है। और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये कोल्टा तीन तरह के पाये जाते हैं।

§1§ खुण्डित-मुण्डित -

यह वर्ग पूरी तरह से जमींदारों के अधीन होता है। जब कभी जमींदार वर्ग का कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये अपने सर मुड़वा लेते है और तीन से पाँच दिन तक शोक मनाते है । इनके पास अपना कोई जायदाद नहीं होता ।

§2§ भाट -

ये कोल्टा कर्जदार होते है। और बन्धवा बनने का मुख्य कारण कर्ज होता है।

§3§ संजायत -

ये पंचायत या खुट कोल्टा होते हैं । इनका मुख्य कार्य मरण-जीवन आंकड़ों का इकट्ठा रखना होता है ये बलते रहते है ।

डोमों का यह मुख्य विशेषता हैकि ये बहुत ही ईमानदार होते है । कर्ज को लेकर ये कभी बेईमानी नहीं करते है। ये कर्ज की बेईमानी एक बहुत ही बड़ा पाप समझते है। इनके बीच ऐसी मान्यता है कि सूरज और चाँद ने डोमों से एक बार कर्ज लिया था और ये चुकाये बिना भाग गये ।

जिसके फलस्वरूप ये डोम, सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण के समय इन्हे चमड़े फेंक कर मारते है । और ये डोम कभी नही चाहते कि, वे भी कर्ज लेकर भाग जाये और इनके मालिक इनके साथ भी ऐसा ही करे । क्योंकि ये इसे बहुत बुरा मानते है ।

<u>जनसंख्या</u> -

नीचे दिये गये आँकडो पिछले दशको में आये उनके जनसंख्या में गिरावट का है।

वर्ष	पुरूष	स्त्री	योग
1881	25,400	19,717	45,117
1891	28,435	22,262	50,697
1901	28,349	22,752	51,101
1911	30,518	24,294	54,812
1921	31,567	24,056	55.623
1931	31,922	24,852	56,774
1941	32,345	25,305	57,650
1951	32,704	25,765	58,463
1961	33,000	27,140	60,140
1971	33,304	28,178	62,022
1981	35,745	32,603	68,348

ऊपर दिये आंकडो पर ध्यान दे, तो पता लगता है कि, जौनसारी व्यवारी की जनसंख्या का अनुपात लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा है। इसको ठीक से समझने के लिए हम नीचे दिये गये आंकडो पर गौर कर सकते है ।

वर्ष अन्तराल	वृद्धि दर
1881-1901	+ 13.3
1901-1921	+ 8.8
1921- 1941	+ 3.6
1941- 1951	+ 1.4

ऊपर दिये आंकडो पर गौर करने से एक बहुत ही मजेदार निष्कर्ष देखने को मिलता है । यहाँ जौनसार व्यवार के बीच औरतो की संख्या मर्दों के अनुपात बहुत कम है । और बहुत सारे विद्वानो का मत यह कि, इस क्षेत्र में बहुपति विवाह का यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। और बहुपति विवाह का यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। और बहुपति विवाह एक नया मत देता है वह यह है जौनसार व्यवार जनसंख्या घटती वृद्धि का यह एक बहुत बड़ा कारण है। और यह बहुपति विवाह बहुत सारे यौन रोगो को जन्मदाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब जौनसार व्यवार का दौरा किया तो यह पाया कि करीबन सत्तर प्रतिशत यौन रोग से गुजररहा है । लेकिन सरकार के अथक प्रयास के बाद अब भी करीबन तीस प्रतिशत जनसंख्या यौन रोग से ग्रसित है ।

पहनावा -

जौनसार व्यवार के घर में पहने जाने वाले करीब सारे वस्त्र घर मे ही ऊन के स्पन के बने होते है । अब बाहरी फैशन भी देखने को मिलता है। ये कम्बल ऊन के द्वारा बनाते है जो कि बकरे के बाल के होते है या फिर भेड़कर कभी-कभी ये दोनो को मिलाकर बनाते हैं । सूती वस्त्र मैदानी इलाकों से यहाँ आते है । गर्मी के दिन ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं । मर्द लोग सिर्फ कमर और घुटने के बीच सिर्फ धोती लपटेते हैं । कभी-कभी ऊपर कमीज भी पहन लेते है। जाड़े में यह सिर्फ गर्म पतलून और बद्व जाताहै। हो कि क्षेत्रीय भाषा में झांगोला कहलाता है। और ऊपर दो पले का कोट पहनते है । अपने लिंग के स्वरूपऔरतें कुछ ज्यादा ही फैशन करते है । ये उत्तरी क्षेत्र में मर्दों की तरह दो पल्ले वाले कोट पहनती है। लेकिनये कोट, मर्दों के तुलना में कुछ ज्यादा लम्बे होते है । जब।क सामान्य वस्त्र घाघरा और कुर्तों के रूप मे होता है। ये बालो पर भी ये गोल कपड़ा पहनती है जिसे ये धान्तु कहती है । इस क्षेत्र साड़ी करीबन अभी तक नही आया। साड़ी राजपूत और ब्राह्म्मण घर की औरतो मे कही-कहीं देखने को 'मलता है। इसका कारण सैलानी और इनके बाहर जाकर काम करने का नतीजा है। औरतो के बीच गहने बहुत ज्यादा प्रचलित है। इनके गहने अधिकतर चाँदी के होते है। लेकिन ऊँच जाति की औरतों सोने के गहने भी पहनती है जिनमे नाम, कान के गहने ज्यादा होते है। इनके यहाँ गहने बहुत ज्यादा होते है और इसके अलग-अलग नाम है। इन गहनों के क्षेत्रीय नाम कुछ ऐसे है -

क्षेत्रीय नाम	आम नाम
बुलक, नाथ, लौंग	नाक की मुद्रिका
उतरेयान	सिकड़ी
कानथी	गले की सिकडी
कानदुरी	गले की {मुगा का लॉकिट}
सुच	साधारण सिकड़ी
खागली या खागैली	चाँदी की सिकडी
तुन्गल	सोने की लॉकिट वाली खागली
डोरसु	कान बाली

बहुत सारे लड़-झड़ वाले एंव सिकडी मर्द मुख्यत: कानो में बाला पहनते है। कभी-कभी गले में मोटे चाँदी के सिकडी भी पहने दिखे -

आहार- आवास -

लोगों के घरो में लकडी का इस्तेमाल काफी होता है। घर, प्राय: दो मंजिला होते है। गरीब लोगों का भोजन झंगोरा एवं मंडुवा है। कही-कही कुछ जंगली साग मिल जाता है । खाते पीते लोग अरहर की दाल का इस्तेमाल करते है, गरीब उड़द एवं कुलथ की दाले खाते है, भेड़ , बकरी का मांस प्राय: लोग खाते है। सुअर एवं मुर्गी से बड़ी जात वाले परहेज करते है किन्तु जंगली सुअर को काकड़ हरिन की तरह ही सभी जात वाले पसन्द करते है ।

1.3 समस्या का उपागम

भारत में जनजातियो की जनसंख्या करीबन 38.5 मिलियन (1981) है। ये 212 समूहों में बँटे हुए है जिन्हे कि अनुसूचित जनजाति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। ये अपने सामान्य असामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक ढाँचे से अन्य जनसंख्या से काफी पिछडे है, अत: यह बाकि जनसंख्या एवं भारतीय एवं राज्य सरकारो का कर्तव्य बन जाता है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाय। और इन अनुसूचित जनजातियों के खातिर भारतीय संविधान ने इनके बचाव एवं सुगम जिन्दगी के खातिर अनेक धाराये बनाई है। फिर भी ऐसा लगता है कि इनके लिए ये सब धाराये बहुत ज्यादा सक्षम भी है, जिनके द्वारा ये अपने आपको अधिक आराम दायक महसूस कर सके। अत: शेष जनसंख्या काज्यादा कर्तव्य बनता है कि हम जब कभी इनके लिए सोचे, इनके लिए कोई नया प्रयोजना, बनाये तो इनके प्रति हम में प्यार जरूर बनाये रखे।

हम जब कभी जनजाति शब्द का इस्तेमाल करते है तो इसे इतना हल्के से लेते है कि इसका वास्तविक परिभाषा ही भूल जाते हैं। बिना परिभाषा को ध्यान में रखे अगर हम कुछ भी उनके उत्थान के लिए करते है तो उसका उत्तर अन्त में नकारात्मक आयेगा ही। अत: हमें जनजातियों के बारे में बात करने के पहले यह देख लेना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। विभिन्न नृशास्त्रियो ने जनजाति के इस प्रकार परिभाषित

किया है । -" जनजाति एक ऐसा विशेष जन समूह होता है, जिसकी अपनी बोली तथा संस्कृति होती है और जो किसी क्षेत्र विशेष के मूल निवासी होने के साथ ही राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं । " अपने आप को सीमित क्षेत्र , एवं राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र रखने के चलते ये लोग अपने से बाहर क्षेत्र के रहने वाले लोगों से मिलजुल नही पाते । अपनी परम्पराओं और मान्यताओं के बंधन में बधे रहने के चलते, जब भी कोई बाहरी व्यक्ति {उनके अनुसार} उनसे मिलना चाहताहै या फिर उनकी भलाई करना चाहता है तो इनके जीवन शैली में परेशानी आने लगती है और वे परेशान हो उठते है । और इस कारण इनके आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक ढाँचे में कोइ बदलाव नही आ पाता जिसके द्वारा इनका उत्थान हो सके । अतः हमे इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि, जब कभी हम इनके उत्थान की बाते करते हैं और इनके लिए कुछ करना चाहते है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी जल्द बाजी में ऐसा न करे, जो कि इनके परम्पराओं एवं मान्यताओं को ठेस पहुँचाते हो ।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू के विचार ऊपर दिये गये वक्तव्य से काफी मिलता जुलता है जब उन्होंने सन् 1952 में अखिल भारतीय आदिवासी संगोष्ठी में कही थी । और उनके वक्तव्य ये बतलाते हैंकि वे क्या कारण है कि वे इन जन जातियों में इच्छुक रहते है। "मैं सोचता हूँ , आज संगोष्ठी में भाग लेने के अन्य कारण है और

वे ये कभी नही कि आज प्रधान मंत्री होने केकारण आया हूँ, परन्तु इन लोगों से मैंने पहले भी बहुत प्यार पाया है, और आज भी मैं इनसे बहुत प्यार पाता हूँ और इनेके प्रति से खिचाव इसलिए नही है कि मैं इन्हे नजदीकी से देखना चाहता हूँ परन्तु इसलिए मैं कि हमारे संस्कृति इनके पास धरोहर रूप में आज भी मौजूद है। इनके प्रति चाहत इसलिए नही है कि मैं कुछ दूसरो की सहायता करना चाहता हूँ । ये चाहत मुझे प्रसन्नता देती है कि आज मैं इनके बीच हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने को घर में पाताहूँ ये स्वीकारते हुए कि नाहि मैं इन्हे कुछ करूं या ये मेरे लिए कुछ करे । परन्तु ये भारत के अभिन्न अंग है, और इनके योग्यदान के बिना हमारी उत्पत्ति, हमारे देश की उत्पत्ति अधुरी रह जायेगी । अतः हम ये उम्मीद करते है कि ये भी आगे बढ़े और इस देश के उत्थान मे ये भी अपना योग्यदान दे । इसके लिए इनके आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचे में बदलाव बहुत जरूरी है और हमे इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब कभी हम इनके बीच कोई बदलाव के श्रोत ले जाये तो इस पर विशेष ध्यान दे कि इनके परम्पराओं और मान्यताओं को किसी तरह से ठेस न पहुँचे ।

उनके विचार आज के प्रगतिशील मानव शक्तियों से बहुत मिलते जुलते हैं । औरहम जब कभी बिना सोचे विचारे, उनके उत्थान का प्रयास करते है तो ये पाते है कि उनके विचार हमसे एक दम भिन्न हो उठते है। वे किसी भी कीमत पर अपने मान्यताओं को भूलना नही चाहते । फिर हमें ऐसा देखने को मिला है कि पूरे भारत मे आज जन जाति तीन समूह में बंट

गये है । पहले तरह के वे जनजाति है, जो आज भी अपने रूढ़िवादी परम्पराओं के साथ नही छोड़ पाये है और आज भी अन्य जनसंख्या से दूर जंगलो एवं पहाड़ो मे अपने वर्षो पुरानी रीतियो को अपनाये हुए रह रहे है । दूसरे तरह के जनजाति वे है जो कुछ तो अपनी सांस्कृतिक ढाँचे को अलग कर खेती बाड़ी करने लगे है परन्तु अपने सामाजिक एवं धार्मिक ढाँचे में कोई बदलाव नही आने दिया है। तीसरे समूह वे है जो आज के आधुनिक जीवन शैली को अपना चुके है और नौकरी वगैरह करने लगे है। इनके सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक ढाँचे मे करीबन पूरी तरह से बदलाव आ चुका है परन्तु अभी भी उनके बीच धार्मिक ढाँचे की महक वही पुरानी है ।

और यही सब कारणे उनके असली समस्याके प्रमुख कारण है । डॉ0 डी0 एन0 मजूमदार ने " इकानमी आफ खासा -ए- पालिएन्ड्रस पीपुल ऑफ दी हिमालयास" नामक ग्रंथ में जौन-सार क्षेत्र के बारे में कहा कि बदलते हुए आर्थिक जीवन ने जौनसार जनजातियो में कभी बेचैनी और असंतोष उत्पन्न कर दिया है। इस असंतोष का सबसे बड़ा कारण जमीदारो द्वारा बनाये गए कोल्टाओ के प्रति प्रशासन का बदला हुआ दृष्टिकोण है। इस प्रकार के असन्तोष के फलस्वरूप जौनसारी जनजाति के उप-समूहो के पारम्परिक एवं पारस्परिक सम्बन्धो में व्याप्त परिवर्तनो एवं तीनो उप-समूहो की अन्योन्याश्रिता का ज्ञात करना ही शोध का मूल उद्देश्य है ।

1.4 शोध सम्बन्धी पूर्ववर्ती अध्ययनो की समीक्षा -

जौनसार ब्यावर (देहरादून) जौनपुर (देहरी) तथा खाइन (उत्तर काशी) द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में ऐसे लोग निवास करते है, जिन्हें सामूहिक रूप से जौनसारी कहते हैं म इस जौनसारी लोगों के बीच अनेक लोगों ने कार्य किया। कई मानव वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने भी इसे अपना कार्य क्षेत्र बनाया। जिसके द्वारा हमें इन जौनसारी समूह के अत्यन्त बातें ज्ञात हुई। तथा इस क्षेत्र की कई ऐसी जानकारियाँ खड़ा हुआ। और इसके फलस्वरूप कई विद्वानो और विद्यार्थियों ने नये- नये शोध यहाँ किये और अनेक नई जानकारियाँ प्राप्त की।

इन विद्वानो मे डॉ0 डी0 एन0 मजूमदार, डा0 नदीम उल हसनैन, डॉ0 आर0 एम0 सक्सेना, महापंडित राहुल सांस्कृत्यान का नाम प्रमुख है। डॉ0 डी0 एन0 मजूमदार ने अपने पुस्तक हिमालयन पालियेंडरी" मे जौनसारियो के विवाह के बारे वर्णन किया है। अपने इस पुस्तक में डॉ0 मजूमदार ने यह बताने की कोशिश की है कि जौनसारियो के बीच उनके रहन-सहन कैसा है। उनकी बनावट कैसी है। उनकी कार्यशैली क्या है और उनके बीच इन परिस्थिति में क्या-क्या परिवर्तन आया, जिसके द्वारा उनका पुराना रहन-सहन शादी, विवाह, समाज, धर्म, राजनीति बदल गयी। मूल रूप से कहे तो यह बताने की कोशिश की कि वे कौन से कारण थे जिसके द्वारा उनके

संस्कृति मे बदलाव आया। और इनसारो चोजों को बताने के अपना विषय उन्होंने बहुपति विवाह को लिया। उन्होंने यह ज्ञात किया कि यहाँ एक पति अपने पत्नि को कैसे सभी भाइयेां केबोच बराबर का हम देता है। कैसे यहाँ का व्यवस्था मालाबार के बहुपति विवाह का दूसरा मत है। जहाँ बहुपति व्यवस्था मैतृक वंश से पभावित होताहैअौर जौन-सार मे यह पैतृक वंश भी अपने प्रभाव को दर्शाता है, परन्तु यह कैसे विवाह के मामले में पैतृकता को अपनाता है। डा0 मजूमदार ने अपने सारे कार्य को 1997 में शुरू किया 1942 में इसे पुरा किया । इन्हो प्रथम प्रयास के बाद बहुत से मनोवैज्ञानिक समाज-शास्त्री और मानवशास्त्रो आगे आये और यहाँ पर काम किया ।

डॉ0 आर0 एन0 सक्सेना जो कि उस समय डी0ए0वी0 कॉलेज देहरादून क प्रधानाचार्य थे, आगे आये और डा0 मजूमदार के पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ कई शोध किये । वे अपने विद्यार्थियेां के साथ आये और जौन-सार व्यावर के बहुविवाह क्षेत्र पर काम किया। उनका सारा काम एक पुस्तक के रूपमें पॉलियेउरस पिपल ऑफ जौनसार ब्यावर" के रूप में आगरा विश्व-विद्यालय के दारा सन् 1955 में प्रकाशित हुआ । आगरा विश्वविद्यालय के दारा ही उनको पुस्तक " सोशल इकनामिक ऑफ ए पॉलियेन्डरस पिपुल " प्रकाशित हुआ जिसमे कि उन्होंने जौनसार व्यवार के बारे में ज्यादा केन्द्रित हुआ । इसके दारा उन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों के जोवन शैलो पर प्रकाश डाला । जौनसार व्यवार के पुरे इतिहास पर काम किया। अपने इस

इस कार्य के दौरान उन्होंने उनके बीच शादी विवाह को समझा और बारीकी से अध्ययन करके उसके हर पहलू को लोगों के सामने सौंपा। तत्पश्चात उन्होंने विवाह का अन्त तलाक से किया। यह तलाक क्यों होता है इनके बीच यह समझाया। शादी - विवाह के बाद उन्होंने जौनसार व्यवार के बीच धार्मिक मानतायें और इसके द्वारा पनपे अंध विश्वास को समझाया वहाँ के टाने टोटके, टाबू को नजदीक से देखा। इन लोगों के मनोरंजन में आने वाले साधन को देखा। और बतायाकि कृषि उनका प्रमुख आय का साधन है। उनके कुछ देहाती उद्योग का भी वर्णन किया। वे लकडी के टोकरी, ऊन का काम पशुपालन औरकम्बल बनाने का काम में विशेष योग्यता रखते है। उनके व्यपार और साधन का भी वर्णन किया है। जिसमे कि खच्चर प्रमुख है।

डॉ नदीम उल हसनैन ने सर्व प्रथम सन् 1972 में इस क्षेत्र में प्रवेश किया। डायरेक्टोरेट ऑफ हरीजन एन्ड सोशल वेलफेयर उ0प्र0* के द्वारा प्रायेाजित एक प्रयेाजना में शोधकर्ता के रूप में भाग लिया था। यह प्रयेाजना इस विषय के पर ज्यादा जोर दिया कि जौनपुर§ टेहरी गढ़वाल§ रायवान § उत्तरकाशी§ और जौनसार- व्यपार § देहरादून§ के हरीजनो का सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। इन क्षेत्रो में फैले कर्ज और इजारा पर विशेष ध्यान दिया गया। इन क्षेत्रो में रहने वाले लोगों के ऊँचे जाति के साथ सम्बन्ध पर ध्यान दिया। मास्टर डिग्री करने बाद उन्होंने इस क्षेत्र के हरिजनो के सामाजिक स्थिति पर काम किया और उनका मुख्य कार्य क्षेत्र

कोल्टा रहे। अपनेपुस्तक बौन्डेड फोर एवर" मे वहाँ लोग, इतिहास क्षेत्र के बारे में पूर्ण विवरण दिया । उनके मैतृकवंश के सूचक, खान-पान, स्वास्थ्य, नैतिकता, औरते, सेक्स, पर पूर्ण पर ध्यान दिया । जौनसार व्यपार के क्षेत्र और बाहर दुनिया के सम्बन्धो और उनके आपसी मेल जोल और डर परगहन अध्ययन किया। उनके लोक गीतो को भी अपने शोध में विशेष ध्यानदिया ।

और अन्त में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के कार्य बताये बिना यह पुरा क्षेत्र ही अधूरा रह जायेगा । सन् 1961 में प्रकाशित उनकी पुस्तक जौनसार देहरादून" में देहरादून जिले के बारे में सारे बाते बतलायी है। इसमे इन्होंने वहाँ का क्षेत्रफल, पर्वत, नदियो, ताल, खनिज, जलवायु, जुंगल, वनस्पति, प्राणजगत का पूर्ण विवरण दिया है। इन्होंने जौनसार व्यवार के प्रदेश इतिहास, निवासी जाति और धर्म, बहुपति विवाह, आजीविका एवं राजनैतिक व्यवस्था कापूर्ण वर्णन दिया है। यहाँ के निवासियों का जनसंख्या , भाषा, जातियाँ, धर्म, के बारे में बतलाया। इनके आजीविका कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार, पशुपालन के हर पहलु कोबहुत नजदीक से परखा है। यहाँ तक कि उन्होंने रेल सड़के, डाक बंगले, डाक तारघर स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक कोनजदीक से देखकर अपने इस पुस्तक की शोभा बढ़ायी । अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पायेंगे कि सांकृत्यायन ने किस तरह से जौनसारियों के बारे में पूर्ण जानकारी दी, और उनके हर छोटे-छोटे से पहलु पर शोध

किया और उनका वर्णन किया, जो कि बाकी लोगो के लिए अत्यन्त ही

लाभ दायक सिद्ध हुई ।

अध्याय - दो

जौनसारी जनजाति की प्रमुख संस्थायें

2.1 परिवार का स्वरूप

परम्परात्मक रूप से जौनसारी जनजाति के लोग बहुपति विवाही होने के कारण संयुक्त परिवार में ही विश्वास रखते है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक कारक ही विवाह के एवं परिवार के विभिन्न स्वरूपो के निर्धारक हो रहे है क्षेत्रीय कार्य करते समय अध्ययन के लिये चुने गये छः गाँवों में पारिवारिक स्वरूप निम्नवत पाया गया, देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार के ग्राम लुधेरा एवं चिल्ला में क्रमशः 14 एवं 5 संयुक्त परिवार । एवं 2 बृहद परिवार तथा 2 केन्द्रीय परिवार पाया गया ग्राम चिल्ला मे एक भी केन्द्रीय परिवार नही पाया गया इसी क्रम में गैरजन जातीय क्षेत्र, जौनपुर (देहरी गढ़वाल) के ग्राम सुमनक्यारी एवं नैनबाग-बाजार में क्रमशः 17 एवं 14 संयुक्त परिवार, 4 एवं 6 केन्द्रिय परिवार तथा 2 एवं 4 बृहद परिवार के रूप पाये गये । ग्राम पुजेली एवं ठकराड़ी (बाई जि0 उत्तरकाशी) में क्रमशः 23 एवं 14 संयुक्त परिवार, 7 एवं 1 बृहद परिवार, 9 एवं 2 केन्द्रीय परिवार तथा ग्राम ठकराडी में ग्राम टटोर (जौनपुर) के रहने वाले अध्यापक लाखीसिंह रावत का एक अलग ही स्वरूप में परिवार मिला, जिसे एक विवाही नवस्थानीय परिवार की संज्ञा दी जा सकती है।

पुरूष विश्लेषण की प्रक्रिया से ज्ञात होताहैकि पुरूष वर्ग की आर्थिक स्थिति ही परिवार के विभिन्न स्वरूपो के प्रति सहमति असहमति

एवं बदलाव का कारण है लेकिन सुदूर ग्रामीण परिवेश से जुड़ी महिलाये बहुपति प्रथा तथा संयुक्त परिवार प्रथा को मान्यता देती है । इसका प्रमुख कारण यह है कि उसे एक से अधिक पुरूषों का न केवल प्रेम प्राप्त है बल्कि सामाजिक आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त होताहै।

जिन परिवारो में पुरूषों की संख्या कम होती है और परिवार के पास अपेक्षाकृत रूप में कृषि योग्य भूमि एवं पशुओ की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे में अतिरिक्त कार्य के लिये बहुपत्नी प्रथा को पाया जाता है तथा यह उल्लेखनीय है कि दूसरी पत्नी लाने की अनुमति पहली पत्नी सिर्फ इसलिये देती है कि उसका श्रमकार्य का बोझ हलका हो सके ।

इसी जनजातीय समाज के कुछ शिक्षित एवं सरकारी सेवाओ में सेवारत लोग बहुपति एवं बहुपत्नी प्रकार के विवाहों को आज के युग में समाज विशेष के नाम पर कलंक मानते है क्योंकि वे तुलनात्मक दृष्टि से आज के सभ्य समाज में विवाहों के यह भिन्न -भिन्न प्रकार मानवीय काय एवं पाशविक अधिक है इसी कारण से शिक्षित जौनसारी समाज एक विवाही एकाकी परिवार प्रथा का समर्थन करने लगा है जिसके परिणामस्वरूप पारम्परिक पारिवारिक स्वरूप का ढांचा बदल रहा है -

2.2 विवाह -

जौनसारी जनजाति के सभी उप-समूहों में बहुपति विवाह पारम्परिक रूप से विद्यमान है बहुपति विवाह की प्रथा वर्तमान काल में वहाँ से थोडी दूर हट कर उत्तर के पड़ोसी किन्नौरी लोगों में और उनके बाद सारे तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। नेपाल एवं भूटान की कुछ जातियो मे यह प्रथा देखी जाती है। मध्य एशिया के शकों में और ईरान के मिडियन मे भी यह प्रथा थी । शक एवं और खस या खास ‌{गिलगित से लेकर नेपाल तक के रहने वाले} मूलत: एक ही जाति के है इसलिये शकों की बहुपति विवाह की प्रथा खासो में थी । जौनसारी जनजाति के उच्च कुलीन लोगों मे चाहे अन्य जातियो का भी कुछ सम्मिश्रण समय-समय पर हुआ हो लेकिन वह मुख्यत: एवं प्राय: शुद्ध रूप से खस या खास ही है इसलिये अपने प्राचीन पूर्वजो के समय से ही इनमे बहुपति विवाह की प्रथा चली आई है। डॉ0 आर0 एन0 सक्सेना ने जौनसारीयो केबहुपति - विवाह का बहुत अनुसंधान किया है उन्होंने सात गाँवो से प्राप्त आंकडो के आधार पर यह पाया कि विवाहित स्त्रियों में 124 बहुपतिवाली थी 30 एक पतिवाली एवं 12 बहुत पत्नी वाले एक पति से विवाहित थी आधुनिक प्रभाव के कारण अब जौनसारी जनजाति के युवा वर्ग में विवाह के प्रकार में परिवर्तन आ रहा है वह एक पति या बहुपत्नी विवाह को पसन्द कररहे हैलेकिन ऐसे लोग प्राय: अपने गाँवो से दूसरीजगह जा बसते है पारम्परिक तौर पर जौनसारी लोगों में 10-12 साल की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता

जा रहा है। पारम्परिक तौर पर यहा भी बड़े भाई के साथ ब्याह की सारी रस्म अदा की जाती है लेकिन पत्नी के सहपति सभी भाई होते है वह भी जो अभी जन्मे नही । पत्नी पर बड़े भाई का सबसे अधिकार होता है पति " खाबन्द" कहे जाते है बच्चे भी अपनी माँ के सभी पतियों कोपबाबा ﴾ पिता﴿ कहते है, उनमे भेंद करने के लिये उनके नाम कार्यो पर आधारित होते है जैसे बकरियाँ चराने वाला " बकरवा बाबा" गाय चराने वाला " गायर बाबा " । केवल एक माँ के ही बच्चे या भाई साझे में शादी नही करते उसे सौतेली माँ या दूसरी माँ के लड़के भी सम्मिलित होते है । यदि पहली पत्नी बहुत बूढी होगई हो और दूसरे भाई उम्र मे छोटे हो तो नई पत्नी लाने की आवश्यकता होती है किन्तु हर नयी लाई जाने वाली पत्नी का विवाह रिवाज के अनुसार बड़े भाई के साथ होता है ऐसी अवस्था में बड़ा भाई नई बीबी के साथ यौन सम्बन्ध रखने का दावा कर सकता है इसी तरह छोटा भाई भी पहले की स्त्री के साथ अपने सम्बन्ध बना सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बीबी लाने का कारण पहली का बाँझपन भी हो स कता है, रिवाज के अनुसार ब्याह करने वाले को कन्या के पिता को बधु मूल्य दो हिस्सो में चुकानाहोता है आधा विवाह के समय एवं आधी सन्तान होने के बाद यदि सन्तान नही हुई तो वह ﴾पति﴿ अपने पहले दिये हुये रुपये वापस करने की माँग करसकता है । इस समाज में जिन स्त्रियों के बच्चे नही होते उन्हे कुलच्छनी समझा जाता है दूसरी पत्नी प्राय:

पहली की बहन ही होती है किन्तु यदि दूसरी स्त्री दूसरे परिवार से लाई गई तो घर के बूढ़े लोग पहली स्त्री से उसकी मैत्री स्थापित कराने के लिये मान्त्रिक तथा तान्त्रिक क्रियाओं का सहारा लेते है इसके लिये नयी दुल्हन को घर के एक कोने में सौत के सामने बैठा दिया जाता है दो बड़ी बुढ़ियाँ दोनो औरतो के पास जलती हुई लकड़ी हाथ मे लेकर खड़ी हो जाती है । लकड़ी इस तरह से रखी जाती है कि एक सौत की परछाई दूसरे के ऊपर न पड़े । फिर तीसरी औरत दोनो के हाथ को मिला देती है दोनो सौते एक दूसरे को चाँदी का सिक्का देती है अगर पहले को एक से अधिक सौते हुई तो उन्हें भी बारी-बारी से नई दुल्हन के साथ ऐसा ही जोग - टोना करना पड़ता है ।

यौन सम्बन्ध में सबसे पहले अधिकार बड़े भाई का है। लड़के भी उसी के नाम से पुकारे जाते है बड़े भाई के न होने पर उमर के अनुसार दूसरा उसका स्थान ले लेता है। बहुत से लोग ऐसा समझते है कि बहुपति विवाह भाईयो में ईर्ष्या और झगड़े का कारण होगा, किन्तु ऐसी बात नही है । यदि किसी स्त्री के कारण भाईयो में ऐसा होता है तो उस स्त्री को ही छूट} तलाक} दे दी जाती है अधिक भाईयो के कारण कोई छोटा भाई अपने को यौन सम्बन्ध से वंचित समझकर अलग ब्याह कर सकता है ऐसी स्थिति में वह चाहे तो अपने भाईयो से अलग हो सकता है या अपनी अलग बीबी रखते हुये पहली बीबी से सम्बन्ध रख सकता है, यदि अलग होना

चाहता है तो पहले के बच्चो और भाइयो का हिस्सा निकाल कर उसे घर को सम्पत्ति में हिस्सा मिल सकता है । यदि सभी भाई अलग हो तो बड़े भाई को समान भाग के अतिरिक्त भी मिलता है यह उसके बड़े होने का अधिकार होता है इसी तरह सबसे छोटे भाई को भी कुछ सम्पत्ति अतिरिक्त मिल जाती है । लड़के अपनी माँ के साथ बड़े भाई के साथ रहते है यदि उसने छुट न दी हो । डॉ० सक्सेना का कहना है कि ठीक है कि बिरादराना बहुपति विवाह जौनसारी जनजाति में साधारण विवाह प्रथा है ।

जौनसारी जनजाति में पत्नी की स्थिति अच्छी नही है पति के घर रहते हुये स्त्रियों को स्यान्टी कहते है तथा उसे बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है दूर पहाड़ी चश्मे से पानी लाना पड़ता है फिर भोजन बना खिला कर खेतों मे हर तरह के काम करने जाना पड़ता है काम से लौटकर उसे पानी लाकर पूरे घर का खाना बनना पड़ता है । बड़े सबेरे लड़के उठकर रात में सबसे अन्त में सोना होता है उस पर कई पतियो के होने के कारण वह निश्चिन्त सो भी नही सकती । सम्पत्ति में उसको कोई हक नही होता है। तलाक देने पर उसे अपने सारे जेवर पति के घर पर छोड़ने पड़ते है, तब उसको ध्यान्टी या धौन्तुही कहते है मायके में आकर उन्हे हर प्रकार की स्वतन्त्रता रहती है ससुराल के कड़े परिश्रम के बदले में वह यहाँ आराम करती है ।

बाँझ साबित होने या खटपट हो जाने पर स्त्री को छूट दे दी जाती है, जिस पर मायके वालों को कन्या मूल्य (बधू मूल्य) लौटा देना पड़ता है बच्चे वाली स्त्रियों की यहाँ बहुत माँग है। कभी कभी 20-25 वर्ष का जवान अपने से छोटी लड़की को छोड़कर बड़ी उम्र की औरत से सिर्फ बच्चा होने के कारण विवाह करना चाहता है । छूट देने का अधिकार केवल पतियों को ही नहीं वरन् पत्नियों को भी होता है । उत्सव- त्योहार में मायके जाने पर अगर स्त्री सन्तुष्ट नहीं है तो वह पहले के पति अथवा पतियों से छूट ले सकती है।

विवाह पद्धति -

जौनसारी जनजाति के लोग उत्सव प्रिय है सभी त्यौहारों के तरह विवाह भी बड़े उत्सव से होता है किन्तु धूमधाम से नहीं होता है। वह रश्म पहले से ही हो जाती है । लड़के का बाप एक दो सम्बन्धियों के साथ लड़की के बाप से मिलने जाता है यदि मामला ठीक हो जाता है तो वह लड़की के पिता को रूपया (सन्दी) देता है जिसे " जोद धन" कहा जाता है अब मंगनी हो गयी समझी जाती है फिर पुरोहित ब्याह के लिये अच्छी साईत ठीक करताहै। ब्याह के दिन से दो दिन पहले वर का पिता अपने सम्बन्धियों के साथ कन्या के घर जाकर एक बकरा मारता है फिर भोज खाकर दलबल सहित अपने गाँव लौट आता है। एक दिन बाद बारात के साथ-साथ अपना दहेज लिये कन्या वर के गाँव में आती है,

दहेज को "पैता" और दहेज ले जाने वाले को पैतरू कहते है । विवाह का सारा कर्मकांड वर के घर में पूरा किया जाता है, तीन प्रकार के विवाह यहाँ मान्य है।

प्रथम प्रकार को "बेऔको" कहते है इसमे दुल्हन के साथ पाँच से दस बराती तक आते है तथा दहेज थोड़ा या बिल्कुल नही होता है द्वितीय प्रकार के विवाह को "बोकेडंडो" कहते है इसमे कन्या के साथ 30 से 40 तक बाराती आते है तथा आठ दस आदमी दहेज ढोकर लाते है तीसरे प्रकार के विवाह को "बजथा" कहते है यह धनी जमींदारी एवं सयानों का विवाह है, जिसमे सारे घाट को न्योता दिया जाता है और बरातियो की संख्या कभी-कभी 500 एवं 600 तक होती है । बकरे मारे जाते है, खूब घी, चावल और सुर§ स्थानीय शराब§ का भोज होता है। तीस चालीस आदमी दहेज को ढोकरलाते है एवं धूमधाम से विवाह होता है ।"

2.3 आजीविका अर्थव्यवस्था

पारम्परिक रूप से कृषि एवं पशुपालन तथा मजदूरी यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका है जौनसारी जनजाती दो प्रकार की खेती करती है, स्थाई एवं अस्थाई बीच में परती छोड़कर । चावल की खेती यहाँ नदियों एवं गढ्डो के किनारे होती है 3000 फुट की ऊँचाई से ऊपर चावल की खेती बहुत कम होती है पहाड़ी खेत एक के ऊपर एक सीढ़ी की तरह बनाये जाते है जिसमें नीचे कीतरफ 5 से 10 फुट ऊँची पहार की दीवार खड़ी की जाती है दीवारों को बनाने एवं उन्हे सुरक्षित रखने के लिये किसानो को काफी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी मूसलाधार होने वाली वर्षा उन्हें बहा ले जाती है जिस जगह उपर्युक्त स्थान मिलता है किसान खेत बना लेते है धान के खेत ऐसी जगह बनाये जाते है जहाँ सिंचाई की सुविधा हो सीढ़ियों वाले खेत खिल कहे जाते है ये जौनसार जौनपुर एवं खाइन के लोगों की जीविका के सबसे बड़े साधन है इन खेतो को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है बहुत तीखी चढ़ाई वाली खेत कटलर कहे जाते है, जिनमे हल्की जोताई सम्भव नही है इसलिये वहा यहाँ काम छोटी पहाड़ी कुदालों से लिया जाता है कटलर कोदो साल जोत बो कर फिर परती छोड़ दिया जाता है उस समय उनसे घास पैदा होती है खिल खेती में खाद डालने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है कटलर की खेती से एक बड़ा नुकसान यह है कि तीखी ढालन वाली भूमि पर वृक्ष-वनस्पतियो की जडो के अभाव के कारण भूमि स्खलन

इत्यादि होता रहता है जिससे यातायात मार्ग अवरूद्ध हो जाता है । खेती सारे पहाडो की तरह, वहा की उर्वरता, समुद्रतल से ऊँचाई एवं प्राप्य सिंचाई की सुविधा पर निर्भर करती है ऊँचाई के अनुसार तापमान कम ज्यादा होने कारण फसलों की बुवाई-कटाई इत्यार्बद अलग लगने के कारण ज्यादा नमी रहती है इसलिये यह खेती के लिये उत्तम समझी जाती है । जो भूमि वर्षा से कुछ बची हुई है वहाँ मिट्टी की तह मोटी होती है उत्तरी तरफ की खेती दक्षिण की खेती से उत्तम समझी जाती है ।

सिंचाई की सुविधा की तरफ ध्यान देते हुये खेती चार प्रकार से की जाती है, प्रथम प्रकार को क्यारी कहते है जो कि दीवार बन्द तथा समतल किये सिंचाई वाले खेत होते है दूसरे प्रकार को सिगांर कहते है जो कि अच्छी तरह सीढ़ी बांधे और न समतल किये सिचाई वाले खेत होते है जो कि बहुत कम होते है तीसरे प्रकार को "उकाड़ी" कहते है यह बिना सिंचाई वाले किन्तु स्थाई खेत होते है, तीखी ढलान वाले वाले खेत चौथे प्रकार के होते है, सिंचाई का सारा काम कूलो ﴾ एक प्रकार छोटी नहर﴿ से होता है जिन्हे नदियो या झरनो से दूर-दूर से लाया जाता है इसके लिये नदियों पर एक छोटा सा बांध बना लेते है जिसे पत्थरो एवं डालियो से बांधते है आमतौर पर दस मील के कूले तो वहाँ के लोग स्वयं तैयार कर लेते है । कभी-कभी इन कूलो को तीखी चढाई वाली चट्टानो और खड्डो में चीड़ की खोखली सिल्लियों द्वारा निकाला जाता है ।

गोबर के अतिरिक्त जंगली पत्तियाँ, विशेषकर पशु शालाओं में नीचे बिछाई गई कंज की पत्तीयाँ, इन्हे दो तीन महीने कूड़े के रूप में जमा करके खेतो में डाला जाता है वर्षा में कंज की सुखी पत्तियाँ नही मिलती उस समय हरी पत्तियों को पशुओं के नीचे से हर तीसरे दिन बदल देते हैं, "खिल " छोड़कर हर खेत में थोड़ी बहुत खाद डाली जाती है ।

मंगोरा और मंडुवा की फसलों के लिये खेत को एक बार हल से जोत दिया जाता है, बाकी फसलों के लिये दोबार जोतना पड़ता है जहाँ हल नही चल सकते है वहाँ यह काम छोटी कुदाली द्वारा लिया जाता है घासतिन के निकालने के लिये चार इंच ऊँचे पंजे इस्तेमाल किये जाते हैं ।

नदियो के किनारे चावल के खेत होते है ऊपरी जगहो पर " कोलपतास" और नीचे की जगहो में "बासमती" धान की खेती होती है यहाँ के गाय बैल कमजोर एवं कद मे छोटे होते है जानवरो के झोपड़े, आमतौर पर खेतो के पास होते है जिससे खाद को दूर तक न ढोना पड़े, महुआ चौलाई आदि फसलो की सिर्फ बालियाँ काटी जाती है डंठल खेत में ही छोड़ दिया जाता है जिन्हे जानवर चर जाते है या जोतकर उन्हे खाद में मिला दिया जाता है तथा उसमे पानी छोड़कर मिट्टी मे मिला दिया जाता है ।

"सिगोर" जमीन में बारी-बारी से एक साल बाद खेती की जाती है जिसमे खरीफ मंडुवा या चौलाई और रबी में जौ गेहूँ या तम्बाकू

BASKETS

को खेती होती है मई में मंडुवा बोकर अक्टूबर मे उसे काट लिया जाता है फिर जमीन मई तक के लिये ये परती छोड़ दी जाती है बारी- बारी खेती करने के लिये जमीन दो हिस्सो में बाँट दी जाती है आधे में मंडुआ एवं आधे मे चावल {धान} बोया जाता है। फसलो को लगाने का एक और तरीका है, पहले तिल फिर उसी खेत में मंगुर और तब खरीफ की दाले और उसके बाद पाँच महीने खेत को परती रखना ।

"क्यारी" गाँव के सबसे गरम जगह पर होता है इसमें धान बोआ जाता है। सिंचाई का प्रबन्ध होने से वर्षा की कमी के कारण फसल के नुकसान होने की बहुत संभावना नही होती । क्यारियो में चावल और गेहूँ दो फसले हुआ करती है । गेहूँ के लिये ज्यादा उपयुक्त यह जमीन नहीं होती है ।

खेती के अलावा पशुपालन भी यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है यहाँ के लोग जितेन ही किसान है उतने पशुपालक भी है पशुओं को यहाँ के लोग जंगलो में चराते है तथा उनके लिये चारा भी लाते है यहाँ के लोग भेडो के प्राप्य ऊन से वस्त्र तैयार करेते है तथा कपास से सूती वस्त्र तैयार करते है तथा उन्हे आस-पास के बाजारो एवं प्राय: गाँव में ही बेच दिया करते है, मांस के लिये बकरियो की मुर्गा मुर्गी एवं दूध के लिये गाय तथा अब भैंस भी पाली जाने लगी हैतथा दूध का व्यापार होता है ,हल्दी, अदरक, मिर्च राजमा, प्राय: हर बार में होता है जाडों

में खेती के काम न होने के कारण गाँव वालों जंगलों में लकडी काटने की मजदूरी किया करते है वर्तमान समय में प्राय: प्रत्येक गांव के कुछ लोग सरकारी सेवाओं तथा व्यक्तिगत सेवाओं में रत है।

प्राय: लोगों के घर पहले पूरी तौर पर लकड़ी के बने होते थे तथा छतों पर स्लेटी चट्टानों को परें लगाई जाती है जो कि छत के लकड़ी का वर्षा सेबचाव करती है किन्तु अब आधुनिक तरीकों के पक्के लिन्टरदार मकान भी पाये जाने लगे है मकान प्राय: दो मंजिल के होते है नीचे पशु या अनाज रखा जाता है तथा ऊपर खुद रहते है ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है, इस समाज में चार मंजिला लकडी का मकान भी देखने मे मिला करता है जो कि अब नही बनाया जाता है।

गरीब लोगों का भोजन मोटा अनाज मंडुवा और झंगोरा है जंगली साग भी मिल जाते है, खाते पीते लोग अरहर की दाल इस्तेमाल करते है भेड़ बकरी का मांस प्राय: सभी लोग खाते है मछली भी खाई जाती है तथा स्थानीय नदियों से मारी जाती है सुअर बड़ी जात वाले नही खाते है लेकिन जंगली सुअर को काकडहरिन की तरह ही सभी जात वाले पसन्द करते है।

समाज मे हो रहे परिवर्तनों से इस जनजातीय समाज के लोग दूर नहे है इस जनजाति के अनेक गाँवो के लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं

स्थानीय सरकारी विभागों, तथा सुदूर फौजो में तथा निकटवर्ती शहरो में व्यापार मे भी संलग्न है, देहरादून के ओ0 एन0 जी0 सी0 में जौनसारी जनजाति के अनेकानेक लोग विभिन्न विभागों में कार्यरत है, किन्तु पारम्परिक तौर पर आज भी यह समाज कृषि प्रधान ही है तथा खेती करना ही अपना प्रमुख धन्धा मानते है एवं स्थानीय स्तर परव्यापार को करा लिया करते है इस जनजातीय समाज की आजीविका वर्तमान समय में नौकरी तथा खेती एवं पशुपालन प्रमुख रूप से है, खाली समय में सरकारी विकास कार्यक्रमों में मजदूरी कर लियाकरते है।

2.4 ग्रामीण संगठन एवं राजनीति

जौनसार व्यवार के ग्रामीण संगठन को बहुत नजदीक से देखने पर इनके बीच के नेतृत्व और भारत के अन्य भागों के नेतृत्व को आपस में तुलना करने परहमें एक साफ लकीर देखने को मिलती है । अगर हम सामान्य तौर पर देखे तो हमें कुछ परम परागत शैली देखने की मिलती है । ये नेतृत्व चौहदी , रिश्तेदारी जाति, और धर्म के आधार पर बंटा मिलता है। जौनसार- व्यवार में नेतृत्व चौहदी, रिश्तेदारी और जाति पर निर्धारित पर होता है । इनके सारे संगठन और नेतृत्व पैतृकवंशावली पर आधारित होते है । इनके नेता मुख्यत: ब्रह्मगण और खासा जाति के होते हैं ।

जातिगत आधार के नेतृत्व उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों पर ही देखा गया है निम्नजाति के बीच भी नेतृत्व का रूप पाया गया है मगर इसके लिये उनके पास कोई क्षेत्र नहीं बंटा होता परन्तु उन्ही के खुद कोजाति के बीच कोई एक प्रतिष्ठा वाला या बुजुर्ग नेता बन जाता है जो उसी जाति के आपसी मतभेदो को दूर करने के लिये होता है लेकिन जब कभी यह बात पूरे गाँव की हो किसी दूसरे जाति को भी अपने अन्दर खीचने की कोशिश करती है तब ये निम्न जातियो के नेता अपने आपके इस मामले से हट जाते है या फिर चुप रहते है क्योंकि ख जब कभी गाँव कोबात होती है तो ये समस्या उच्च जाति के लेागों का एकाधिकार में हो जाती है ऐसे उदाहरण जब कि देखने को मिलते है तो हमे यह देखने को

मिलता है कोई जमीदार या ग्राम प्रधान ही इनको दूर करते नजर आते है परन्तु समय की धारा में पड़ और आधुनिकता का प्रभाव पड़ने के कारण निम्नजाति के लोग भी आगे आये है निम्न जाति के लोगो को आगे लाने में सरकार की नयी नीति सफल रही है ये निम्न जाति के लोग अब उच्च जाति के लोगों के अगल बगल पंचायतों में बैठे दिखते है जो कि सीधे सरकार के उत्तरदायित्व को स्वीकारते हैं ।

जौनसारी जनजातियो के बीच धर्म का स्थान बहुत ही कम होता है जब नेतृत्व की बात होती है । गाँव के मंदिर जिसमे श्री भगवान महासु रहते है इसका बहुत ही उच्च स्थान है, लेकिन इसके पुजारी का कोई भी विशेष कार्य नहीं होता है। जैसा कि गांव के पुजारी का होता है । गाँव के उच्च जातियो के समूह में आने वाले परिवार के मुखिया लोग ही बारी-बारी से गाँव के पुजारी बनते है जिन्हे कि क्षेत्रीय भाषा में सयाना कहा जाता है । और ऐसे मौके कभी कभी है देखने को मिलते है । यथार्थ मे ये पुजारी एक नेता कहलाने केहकदार नहीं होते है। बल्कि ये गाँव वालों के एक कर्मचारी होते है। कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते है कि गाँव में पुजारियो के अलावा कुछ ब्राह्म्मण जिन्हे बाकिस कहा जाता है वे उस गाँव के नही होते है। ये अधिकतर निम्न जाति के लोग है । ये अधिकतर निम्न जाति के लोग होते है। इनके मुख्यत: बाजगी और नाथ होते हैं । ये

धार्मिक पारिवारिक उत्सवो के दौरान कुछ पूजा कराते हैं परन्तु ये गाँव में उतना इज्जत कभी प्राप्त नही कर पाते जितना कि किसी भी एक पुजारी का होता है ।

गाँव के मुखिया का मुख्य स्त्रोत उसके द्वारा गाँव की परंपरा को संभाले रखने वाला होता है। कोई भी मुखिया का पद तभी प्राप्त करता है जिनके पूर्वज कई पीढ़ियो से रहते आए है । अक्सर देखा गया है कि प्रत्येक गाँव में मुखिया किसी एक ही परिवार का होता है जिस परिवार के बारे में ये मान्यताए होती है कि इस गाव को बसाने में उन्हीं के पूर्वजो का योगदान रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार जो अभी हाल में दूसरे जगह से आकर बसा है गाँव वालो का विश्वास जीत पाया है। अधिकतर ये देखा गया है कि मुखिया की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसका परिवार सयाना समूह से है बल्कि उस व्यक्ति के अपने स्वयं के आचरण और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है । जो लोग सबसे बुजुर्ग होते है, जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है, जो अच्छे वक्ता होते है जिनमे अच्छा प्रशासनिक गुण होता है जिनके परिवार प्रतिष्ठत होताहै वही मुखिया के रूप में सबसे ज्यादा ग्रामवासियों का विश्वास जीत पाता है और ये ग्राम सभा जिसे कि खुमरी कहा जाता है के बीच सबसे ज्यादा सफल होते हैं ।

सयानाचारी प्रथा-

सयानाचारी प्रथा या सयाना प्रणाली जौनसारियो का बहुत

ही पुराना केन्द्र रहा है । सयाना का मतलब किसी वंश के मुखिया के रूप में होता है । यथार्थ में सयाना हर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि गाव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वैसे गाँव के प्रमुखों को ही गाँव सयाना या सदर सयाना कहा जाताहै। पुराने जमाने में सदर सयाना से भी ऊपर एक समूह होता था। ये समूह ज्यादा मजबूत और उच्च परिवार से संबंधित होते थे जिन्हे चौवरा कहा जाता था। ये तो कहना मुश्किल है कि इस प्रथा का उदय कब हुआ लेकिन ये पक्का है कि यह अंग्रेजो शासन (1815) के पहले से ही है। और सरकारों ने इसका इस्तेमाल मुख्यत: माल गुजारी वसूलने के लिएकिया । समय के अनुसार इसमें बदलाव आता गया और इसकी बनावट और कार्यप्रणाली में नयापन आता गया।

खुमरी - ग्राम पंचायत -

खुमरी जौनसारियो की एक पारंपरिक संगठन है। जिस तरह कि मैदानी इलाकों के गांवो में हमें पंचायत देखने को मिलताहै उसी तरह जौनसारियो के बीच खुमरी होता है। जब कभी गाँव में आर्थिक सामाजिक राजनैतिक या धार्मिक बातों पर मतभेद होताहै तो ये खुमरी एक आम सभा का स्वरूप बना कर सारे मतभेदो को दूर करने का प्रयास करता है । इसकी उत्पत्ति कब हुयी बताना बहुत ही कठिन है। देखने और सुनने में इसके बनावट जितने ही मजबूत दिखते है यथार्थ में ये बहुत ही कमजोर होते है। अब हमें जौनसारियो के बीच अलग अलग ढग के खुमरी देखने को मिलते है ।

कुछ खुमरी क्षेत्र पर निर्भर करते है कुछ जाति पर और कुछ रिश्तेदारी पर परन्तु किसी न किसी तरह ये सयानासे जुड़े होते है। वैसे खुमरी जो जातीय आधार पर होते है इन पर उच्च जातियों का एकाधिकार होता है कभी-कभी बहुतायत जनसंख्या वाले जातियो के भी एकाधिकार में देखा गया है। वैसे तो उच्च जातियो के बीच खुमरी का कोई विशेष महत्व नही होती है। इनके निर्णय अधिकतर निम्न जाति के ही लोगों पर थोपा जाता है और आज के समय में करीबन कोई भी गांव का निवासी इनकी प्रतिष्ठा को उतना आदर नहीं देता जितनाकि उनकी मान्यताएं कहती हैं। उदाहरण के रूप में पुजेली गाँव में चार तरह के खुमरी पाए जाते हैं। सबसे ऊपर राजपूतों की खुमरी है। फिर ब्राह्मणों की। वास्तविकता मे ये दो ही खुमरी है और निम्न जाति के लोग लगातार इनके लिए अशांति उत्पन्न करते रहते हैं। तीसरे तरह की खुमरी कोल्टा और बाजगियों के बीच देखा गया है। चौथा खुमरी बदी और सुनारों का होता है।

वैसे जो भी कहा जाए ये क्षेत्रीय खुमरी अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते और कभी-कभी ही ये लोग इन खुमरियों की आज्ञा का पालन करते देखे गए है फिर भी इनके बनावट इतने सुदृढ है कि जौनसारियों की पूरा राजनैतिक प्रणाली इन्ही के स्वरूप पर निर्भर करते है। आज के जमाने में शिक्षा, आधुनिकता सरकारी व्यवस्था में लगातार प्रभाव देखे जाते है परन्तु अगर जौनसारी अपनी जनजाति का इतिहास या परम्परा

बनाये रखने में सफल है तो उसमें धुमरी का सबसे बड़ा योगदान है।

राजनैतिक संगठन और बदलाव -

कोई भी संस्थान अपने क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए पनपता है। एवं इसके प्रणाली में जो भी कमजोरियां होती है वही इसके बदलाव का कारण होती है और जब भी उस समाज के बीच किसी निधि की कोई आवश्यकता नही महसूस की जाती है और ऐसी ही कुछ जौनसार जनजाति कें पारंपरिक प्रणाली में उसके ग्रामीण संगठनो में देखा गया है।

जैसे जैसे यातायात के साधनों में बदलाव आता गया नये-नये सरकारी विकास के प्रयोग बढ़ते गये और धीरे-धीरे क्षेत्रीय संगठन समाप्त होते गए। सयाना और धुमरी प्रणाली में विघटन बढता गया।

लुधेरा गाँव के राजपूत जाति का एक उदाहरण सामने आता है जो आज के आधुनिक परिवारो का एक उदाहरण है। नारायण सिंह तोमर जो कि एक अकेला परिवार के मुखिया है उनके पाँच लड़के औरतीन लड़कियाँ है बाद में बड़ा होने पर उनका सबसे छोटा बेटा परिवार से अलग होना चाहा क्योंकि उनके बीच बहुपति विवाह प्रणाली जो मौजूद थी उन्हें रास नहीं आया कारण कि पाँचो भाइयो के बीच जो अकेली बीबी थी उसे कुछ औरत के साथ अलग रहना चाहता था। ये बात नारायण सिंह तोमर को अच्छी नही लगी। उन्होंने इसे रोकने को कोशिश की किन्तु रोक नही पाए।

इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जायदाद का बंटवारा करना पड़ा और न चाहते हुए भी उन्हे अपनी जायदाद के पाँच हिस्से करने पड़े । इस तरह उसके छोटे लड़के को घाटा उठाना पड़ा क्योंकि उसे आधा हिस्सा जिसका कि वो अधिकारी था न मिला जो कि सबसे छोटे लड़के को मिलता है। इसके लिए उसने गाँव में खुमरी बुलवाया । खुमरी ने छोटे बेटे की ओर फैसला दिया लेकिन उसके पिता ने खुमरी की आज्ञा को नही माना जिसके फलस्वरूप दूसरी खुमरी बैठक के आज्ञानुसार उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया। वैसे तो खुमरी ने अपनी पुरानी परम्परा को बनाए रखा और कड़ाई से अपनाया भी परन्तु नारायण सिंह तोमर पर इसका कोई असर नही पड़ा क्योंकि पूरे गाँव की तुलना में वह सबसे अमीर व्यक्ति था और उसने अपनी जिन्दगी में सामाजिक बहिष्कार का कोई महत्व नहीं आने दिया । आज तक उसका छोटा बेटा इस बात का अफसोस करता है कि खुमरी के बदले मे वह अपने बाप से अच्छा संबंध रखता तो उसे वह आर्थिक घाटा कभी न मिलता क्योंकि नारायण सिंह तोमर खुमरी के आज्ञा का उल्लंघन करने के बावजूद अपने दौलत के बल पर करीब-करीब गाँव के सारे लोगों को वश मे कर रखा था और वह जो चाहता अपनी इच्छा को आसानी से प्राप्त कर लेता ।

न्यायपालिका एवं प्रशासन -पंचायत -

पूरे देश मे जो पंचायती व्यवस्था है उसे अनुसार किसी भी पंचायत में तीन उपसंगठन होते हैं । ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय या पंचालती अदालत । जहाँ तक जौनसारी जनजाति का सवाल है इसके बीच दो ही उपसंगठन देखने को मिलते है - ग्राम सभा और न्याय या अदालती पंचायत आवश्यकता के अनुसार इस प्रणाली में न्याय पंचायत एक न्यायपालिका है जबकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक कार्यकारिणी समूह हैजेा कि चुनाव के द्वारा आती है । और ये गाँव के लोगों के प्रति उत्तरदायी है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आपस में मिल गए है। ग्राम सभा जो कि आम ग्रामीणों की सभा होती है कभी भी अपने नाम से नही पुकारी गयी बल्कि ग्राम पंचायत जो कि गाँव के चुने व्यक्तियों का समूह है ग्राम सभा के बदले ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है और इस तरह प्रत्येक गाँव में एक ग्राम प्रधान और ग्राम उप प्रधान चुना जाता है जो कि गाँव का मुखिया और उप मुखिया होता है ।

सन् 1953-54 के सरकारी व्यवस्था एवं समुदाय विकास येाजना के आने के चलते जौनसार जनजातियो के बीच खुमरी व्यवस्था का अंत हेाता गया और पचायती व्यवस्था आती गयी । न कि खुमरी के मजबूत बनावट और उसके उच्चे प्रशासन को पंचायती व्यवस्था के आगे घुटने टेकने पड़े बल्कि धीरे-धीरे लोग खुमरी व्यवस्था के भूल गए है उन्हे सिर्फ खुमरी एक इतिहास के रूपमें याद है। इसका मुख्य कारण कोल्टा जाति के लोग है क्योंकि इन

जनजातियों के बीच कोल्टा वर्ग ही सबसे ज्यादा सताया गया था और जैसे जैसे कोल्टाओं के बीच अपने सामाजिक स्तरका विश्वास बढ़ता गया और सरकारी व्यवस्थाओं ने अपने हिम्मत बढ़ायी वैसे वैसे इनमें जागरूकता पैदा हुयी और नयी शिक्षा व्यवस्था के आगमन होते ही इन्होंने खुमरी व्यवस्था को अपने से साफ अलग कर दिया। खुमरी व्यवस्था के महत्व को कम करने में कुछ हाथ सयाना लोगों का भी है। इन समान्य लोगों में से कुछ लोग नाजायज धन इकट्ठा करने के चलते इस व्यवस्था का महत्व घटा दिया । इसके चलते इन सयानाओं के महत्व भी घटे और ये खुमरी व्यवस्था कमजोर होती गयी और इन्ही घटते महत्व का कारण नयी पंचायती व्यवस्था का उदय होना शुरू हुआ ।

2.5 धर्म -

जौनसारी जनजाति के लोग हिन्दू ही हैंकिन्तु इस जनजाति के धार्मिक रीति रिवाजो एवं अनुष्ठानो में अन्तर है इस जनजातीय क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रमुख देवता महासू है, जिसे स्थानीय ब्राह्म्मणो विष्णु का छठे अवतार परशुराम से मिलाने की कोशिश करते है। लाखा मण्डल में परशुराम का मंदिर भी है, महासू, सम्भवत: किराती या खसो का जनजातिक देवता है, जौनसार बावर में बासक पिबासक बैठा एवं चालडा ﴾ चलता ﴿ चार देवताओं का संयुक्त नाम महासू है। बासक, पिबासक एवं बैठा का मंदिर हनोल ﴾ रंवाई, उत्तर काशी﴿ तहन ﴾ पंज गाँव खाट ﴿ एवं अनवर में स्थित है चलता महासू यद्यपि पूरे जनजातीय क्षेत्र में घूमा करता है किन्तु उसका निवास स्थान बैराट ﴾ कोरूखाट ﴿ मे है जौनसारी जनजाति के महासू देवता के प्रति अपार श्रद्धा विश्वास के साथ भयभीतव्याप्त होता है कि देवता सर्वनाश भी कर सकता है।

महासू देवता की उत्पत्ति की कथा जौनसारी जनजाति के अनुसार निम्न प्रकार है।

उनाभट्ट मैन्दरथ नामक गाँव में रहा करता था। इसी समय कालसी ﴾जौनसार﴿ के पास टौंस और यमुना के संगम पर खीरदाना नामक दानव प्रकट हुआ, वह उनाभट्ट के आदमियों को एक-एक करके खाने लगा, अन्त में उना उसके तीन बेटें एवं एक लड़की बच गयी। उना भाग कर

जंगलो में चला गया और वहाँ बदला लेने के लिये किरवीर के विनाश का उपाय सोचने लगा, एक रात महासू देवता ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि ऊना, निश्चिन्त रहो कश्मीर जाओ, वहा पाँचमहासू रहते है उनसे सहायता के लिये प्रार्थना करो सिर्फ वही वीर वीर का नाश करने में समर्थ है ऊना ने कश्मीर के प्रस्थान किया वह चलते हुये एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ महासू देवता का चौकीदार अपने बगल मे सौ मन लोहे की गदा लिये सो रहा था चौकीदार की आज्ञा के बिना कोई भी महासू देवतातके नहीं पहुँच सकता था, दो गदाओं से एक को उठाकर उना ने सोये चौकीदार पर रख दिया। उसने जाग कर तुरन्त पूछा तू कौन है उना ने जबाब दिया मामा मै तेरा भांजा हूँ। चौकीदार ने कहा भाई तू मेरा भांजा नही है जो कोई हो किन्तु इस सम्बोधन के कारण मैं तेरी मदद करूगा यहाँ क्यो आया है। उना ने उसे सारी आप बीती सुनाई चौकीदार ने पहले उसे रास्ते में खतरा कहकर रोकना चाहा किन्तु उना के न मानने पर चौकीदार ने ऊना को थोड़ा चावल और थोड़ी दाल दिया और कहा कि तूफान का खतरा आये तो इन दानो को हवा में फेंक देने से तूफान बन्द हो जायेगा।

उना आगे बढ़ते हुये कनासीताल पहुँच गया, जिसमे उसे अपना बाल और थूंक फेकना था यदि उसका बाल साँप बन जाये और थूक कौडी तो उसे समझना था कि वह कश्मीर पहुँच गया है और वैसा ही हुआ

वहाँ बड़े मैदान मे दो घर थे जिनमे से एक ने महासू देवता रहते थे तथा दूसरे में उनका अनुचर केलूवीर पहलवान रहता था। प्रातः काल महासू ढोल की आवाज के साथ बाहर निकला पहले अपनी कचहरी करने के लिये बसाल निकला, फिर पिबासक तब बैठा तत्पश्चात् चलता, चलता देवजन निकलने के समय ही ऊना को उसके पास जाकर अपनी व्यथा कथा सुना कर आदेश लेना था, ऊना ने चौकीदार के कहे अनुसार वैसा ही किया, महासुओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुये कहा तुम अपने देश चले जाओ, हम कीरवीर का विनाश करेंगे चलता ने ऊना को एक मुट्ठी चावल, एक मीट्टी का बर्तन और अपना डन्डा देकर कहा कि भूख प्यास लगेतो इस डन्डे को जमीन पर पटकना धरती मे से पानी निकलेगा जिससे अपना चावल पका लेना। इससे यह भी सिद्ध होगा कि चलता महासू मेरे साथ है। मेहेन्द्राथ मे पहुँचने पर चलता के दिये हुये चावल मे से कुछ टौंस में बिखेरना था जिसमे किरमीर उसका कुछ भी नही बिगाड़ सकेगा। आनेके बाद पहले इतवार को एक बिना जोती बछिया हल मे जोतना। पहले कभी भी हल को हाथ न लगाये हुये लड़के के द्वारा हल चलाने [जोतने] पर ऊना देखेगा कि हल सोना हो गया और फाल चाँदी। इसके बाद वह स्वयं पाँच हराई जोतेगा तो उनमे से हर एक में चारो महासू और उनकी माँ देवलारी की मूर्तियां मिलेगी। ऊना ने लौट कर चलता महासू के कथनानुसार सारा कार्य सम्पादित किया सबसे पहले बासक निकला, जिसकी जांघ में फाल बंधी थी, फिर पिबासक निकला, जिसका कान घायल था इसके बाद बैठा प्राप्त हुआ वह भी एक आँख से घायल था। चलता ही स. अंगो से पूर्ण

प्राप्त हुआ । पहले तीनों को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। चल्दा चलने फिरने वाला था। चारों महासुओं की माँ देवलारी पाँचवी जोताई (हराई) में निकली । उनके नाम पर एक मंदिर उसी खेत में बना दिया गया। ऊना ने उस महासुओं की पूजा की और अपने छोटे लड़के को उनकी सेवा करने की आज्ञा दी । उसने बाप की आज्ञा मानी और देवपुजारी हो गया। दूसरे लड़के को घडियाल बजाने को कहा तो वह राजपूत बन गया, तीसरा बाजा बजाने वाला बाजगी हो गया । ऊना ने महासुओं के अनुचरों के चौसंठ घर बनाये । महासुओं ने कीरवीर दानव के विरूद्ध युद्ध छेड़ दिया और अन्ततः महासुओं के अनुचर केलूवीर ने कीरवीर दानव को पराजित कर उसका शीश काटकर महासु के मंदिर में टाग दिया। बसाक, पिबसाक ने गढ़वाल स्वामित्व लिया, जहाँ बिजौली खाई (हनोल) में इनके मंदिर मौजूद है वर्तमान समय में हनोल स्थित मंदिर के पुजारी श्री   है जिनसे शोधकर्ता स्वयं मिला तथा विषय में सम्बन्धित परिचर्चा भी थी जिससे कि उपसमूहों के अन्तर्सम्बन्धों को समझाने में काफी मदद मिली । जौनसार बाबर के स्वामी बैठा एवं चल्ता दोनो भाई महासु बने जौनसार में महासुओं के मंदिर ऊना के बहुत दिन बाद लोगों ने बनवाया । संगरूं के मंदिर मन्धान में कोरू खाट और उदपलटा खाट में है जहां से चल्ता महासु सेमलटा, उदपलटा, कोरू और से ही के खाटों में जाता है। इन गजेटियर के अनुसार चल्ता (चाल्दा) परिभ्रमण पर जाने के पहले राज्य का शिष्टाचार का ध्यान रखते थे उनके दल में साठ–

सत्तर लोग एवं नर्त्तक लड़कियां रहा करती थी । यात्रा करते समय वे किसी गाँव में जब तक की उस गाँव के वजीर के द्वारा उन्हें निमंत्रण न मिले नहीं जाया करते हैं लेकिन भगवान के भय से उन्हें प्रायः निमन्त्रण मिल ही जाया करता था वर्तमान समय में जौनसार केग्राम विसोई { नागकात } के सदर समाना राजेन्द्रसिंह चौहान जो कि मंदिर के वजीर भी है मैंने इस विषय में साक्षात्कार लिया तथा इस प्रथा को यथावत पूर्णतया सत्य पाया गया जौनसारी जनजाती में वर्तमान समय में कुछ बातों के निषेध एवं नियम है जो महासू के आदेश है और सामाजिक रूप से मान्य है जैसे चारपाई पर कभी न सोना, शुद्ध दूध को कभीनही पीना, जिसका दूध पीना उस जानवर का मांस नहीं खाना मट्ठा पीने की छुट है सबसे अच्छे बकरी की बली महासू केमंदिर में चढानी चाहिये, जौनसारीयो के जैसा ही दूध न पीने का रिवाज एटकिन्सन के अनुसार सिन्धु उपत्यका के वर्तमान निवासियों औरमूल स्थान से भागकर लद्दाख मे सिन्ध के किनारे बसे हुये आजकाल के दार्दरी में दूध पीना मना है।

कश्मीर से आये हुये चारो महासुओ में दो शासक एवं पिबासक टेहरी गढ़वाल चले गेये तथा उनके दो भाई और चालता जौनसारी जनजाति के बड़ी जाति के देवता है, यदि किसी गाँव में प्राकृतिक आपदा स्वरूप कोई बीमारी फैलती है तो चलता महासू से आने की प्रार्थना की जाती है इस सारी ....ति को निमंत्रण देने वाले गाँव एकदिन का भोजन करता है।

छः महीने तक उस क्षेत्र के खाटो से चन्दा लेकर देवता को अपने यहाँ रखते है लोगो को चढावे के रूप में घी एवं बकरा भी देना पड़ता है " कार्नवाल एवं एच0 वी0 रॉस दोनो ने बतलाया है कि सारे जौनसार बावर के ऊपर महासु देवता का पूर्णतया प्रभाव है। महासु के मंदिर में जाकर देवता की आज्ञा से मुकदमों का फैसला होता है, अगर इसके बाद कोई अनिष्ट हुआ, तो उसे देवता का कोप भाजन मानकर झगडे वाले जमीन को सदा के लिये अभिशाप्त समझ कर परती छोड़ दिया जाता है। यदि किसी की किसी से शत्रुता हो गयी तो वह अपने खेत से मुठ्ठी भर मिट्टी ले जाकर महासु देवता के सामने पूजा प्रार्थना करताहै, इसके बाद यदि कोई अनिष्ट हुआ तो देवता के कोप से डर कर वह खेत छोड़ देता है। जिन लोगो ने आपस में कसम उठा रखी है, उनकी सन्ताने भी सदा के लिये जाति से वहिष्कृत हो जाती है और वह आपस में कोई सम्बन्ध नहीं रखती है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी एक स्कूल में नही पढ़ सकते है, जौनसारी लोग देवताओं के अनन्य भक्त एवं दास होते है। रॉस के समय में कुछ अनिष्ट घटनाये घटी जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप चोजात के लोगों ने चार सौ देवदार बलि के रूप में जला दिये - यहाँ पर एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कोई भी निम्नवर्ग का व्यक्ति मंदिर के आंगन में प्रवेश नही कर सकता है ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से देवता के कोप का भाजन बनना पड़ता है स्त्रीयाँ का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है किन्तु

बाजगो भी स्त्री प्रवेश कर सकती है क्योंकि धार्मिक संस्कारों मे बाजा इत्यादि बजाने के लिये इसकी आवश्यकता पड़ती है।

इस जनजातीय समाज के निम्न वर्ग में जो कि आज भी अछूत समझे जाते है देवताओं के प्रति मन में अपार भय समाया हुआ है इन्हें यदि कोई जबरदस्ती मंदिर मे जाना चाहे या पुजारी भी कहे तो भी यह मंदिर में जाने को तैयार नही होते है तथा इनका मानना है कि ऐसा करने से देवता कुपित होकर उनका सर्वनाश भी कर सकता है।

MUSICAL INSTRUMENTS

अध्याय - तीन

शोध की कार्यविधि

3·1 प्रस्तुत अध्ययन का महत्व

जौनसारी जनजातीय समाज समात्र बहुपति विवाही समुदाय है जो महाभारत कालीन पाण्डवो को आज भी अपना पूर्वज मानता है और उनके सम्मान मे अनेको त्यौहारो को सम्पन्न करता है आज की जौनसार- बादर मे अनेक ऐसे मंदिर है जो पाण्डवो के नाम से जुडे है और इन्हे स्थानीय भाषा मे पाडो की चौरी कहा जाता है यह जनजाति अपनी विशिष्ट वेश भूषा तथा परम्पराओं, सामाजिक सांस्कृति मूल्य प्रतिमानो धर्म, जादू, तथा अर्थ व्यवस्था के लिये प्रसिद्ध रही है। जौनसारी जनजाति, विभिन्न उप जातियो जैसे ब्राहमक राजपूत बाउडी, बाजगी, नाई, लोहार कोल्टा जिनमे क्रमश : उच्च-नीच का संस्तरनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है मे बटी है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र मे पिछडे होने के कारण जौनसार-बाबर क्षेत्र मे निवास कर रहे लोगो को सन 1967 मे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तब से लेकर अब तक इस जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये शासन द्वारा निरन्तर विभिन्न कल्याण कारी योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता रहा है।

आज जनजातीय समुदायो का कोई भी पक्ष परिवर्तन के प्रभावो से अछूता नही है शासन द्वारा संवैधानिक प्रावधानो के अन्तर्गत जनीतयो को जहां

एक ओर सामाजिक आर्थिक एंव राजनैतिक क्षेत्र मे विविध प्रकार के आरक्षण प्रदान किये गये है वही शैक्षिक क्षेत्र मे उनके उत्थान के लिये शिक्षा संस्थाओं मे प्रवेश के नियमो मे शिथिलता शुल्क मुक्ति की व्यवस्था मुफ्त छात्रावास छात्रवृत्ति आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई । जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियो शैक्षिक स्थिति मे अवश्यमेव प्रगति हुई अत: शिक्षा के प्रचार प्रसारो के फलस्वरूप जनजातियो के सामाजिक आर्थिक जीवन में घटित परिवर्तनो का अध्ययन न करना एक ओर शैक्षिक क्षेत्र मे शासन द्वारा निर्मित प्रावधानो की प्रासंगिकता को परखने और दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन के एक अभिकरण के मे शिक्षा की भूमि का अध्ययन अपेक्षित प्रतीत होता है ।

वस्तुत: सामाजिक परिवर्तन एंव गतिशीलता जटिल एंव वृहद अवधारणाये है जो विभिन्न कारणो की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप जन्म लेती हैयही कारण है कि विभिन्न समाज विज्ञानियोनेभिन्न-भिन्न आधारो पर सामाजिक परिवर्तन एंव गतिशीलता की प्रकृति की व्याख्या की है ।

जौनसारी जनजाति के कृषि व्यवसाय से जुडे लोगो की परिस्थिति

की एवं विभिन्न पीढियो मे उनके परिवार की व्यावसायिक स्थिति के आधार पर ज्ञात होता है कि विगत दो पीढियो से ही उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक पिछडी थी यही कारण था कि जीविकोपार्जन हेतु वे कृषि व पशुपालन के साथ-साथ दैनिक मजदूरी की किया करते थे और दूसरी बात यह कि सड़क यातायात, नगरी करण व आधुनिकी करण के प्रभावो से वेसदा को अछूते रहे है।

सरकारी सेवाओं मे सेवारत लोगो मे से अधिकांश था परम्परात्मक व पिता का निवास स्थान या तो नगरो मे था या कस्बो मे या नगर व कस्बो के सन्निकट अवस्थित ग्रामो या सड़क यातायात से 5 कि0 मी0 की परिधि के अन्दर अवस्थित ग्रामो मे जिसका परिनाम यह हुआ कि अनुकूल परिस्थितिकी ये कारण ऐ तो शासन द्वारा निर्मित योजनाओं को सफल किया जा सका और दूसरा यह कि विभिन्न सुधारवादी व कल्याणकारी योजनाओं व शिक्षा जैसी सुविधाओं से ये लाभान्वित होते गये चाहे वो उच्च उप समूहो के हो चाहे निम्न उप समूह के हो परिस्थित को अनुकूलता के कारण इन्हे वाहय अजनजातीय समुदायो के सम्पर्क मे आने के अवसर उपलब्ध होते रहे है जिसके फलस्वरूप इन लोगो मे शिक्षा

परम्परात्मक व्यवसायों जैसे व्यापार सरकारी सेवा आदि के प्रति मुख्यता बढ़ती गई और सामाजिक जीवन के परम्परात्मक मूल्यों के प्रति भी इनका दृष्टिकोण लचीला होता चला गया। पहले भी कहा जा चुका है कि जौनसारी जनजाति एक बहुपति विवाही जन जातीय समुदाय है जहां बहुपत्नी एवं एक विवाह की प्रथा के उदाहरण भी परिलक्षित होते हैं यही कारण है कि कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों का कुछ न कुछ प्रतिशत आज भी विवाह के इन विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किये हुए है। विवाह के प्रचलित इन विभिन्न स्वरूपों का परम्परागत आधार चाहे जो भी रहा हो लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण अंचलों में रह रहे व कृषि व्यवसाय से जुड़े जौनसारियों के लिये चाहे वह जिस भी उप समूह के हों आर्थिक कारक ही विवाह के विभिन्न स्वरूपों का प्रमुख निर्धारक है प्राय: अत्यधिक गरीबी के कारण एक परिवार के प्रत्येक भाई आपस में मिल कर संयुक्त रूप से किसी एक महिला से विवाह कर लेते हैं। जिन परिवारों में केवल एक ही पुरूष हो और उसके पास कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी कार्यों के लिये अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती ऐसी स्थिति में वह बहुपत्नी विवाह को अधिक उपयुक्त समझते हुये दो या अधिक महिलाओं के साथ विवाह कर कृषि व पशुपालन में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिये स्थाई जन शक्ति के रूप में दो से अधिक पत्नियां प्राप्त कर लेते है।

विवाह एंव परिवार के विभिन्न स्वरूपो के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण पुरूषो से भिन्न है कृषि व्यवसाय व सुदूर ग्रामीण परिवेश से जुडी जौनसारी जनजाति की अधिकांश महिलाये बहुपति विवाही प्रथा को ही अधिक पसन्द करती हैं इसका प्रमुख कारण यह हैकि उसे ऐ से अधिक पुरूषो का न केवल प्रेम ही प्राप्त होता है बल्कि सामाजिक आर्थिक संरक्षक भी प्राप्त होता है ।

यद्यपि कुछ विचारको ने बहुपति विवाही जौनसारी परिवार मे महिला की स्थिति को दयनीय एंव उपेक्षा पूर्ण बताया है लेकिन यह मतसत्य नहीं प्रतीत होता है। एकाधिक पुन पतियो द्वारा " एक मात्र पत्नी " को खुश रखने व अपनी ओर आकर्षित करने की छोड स्वरूप प्रदान किये जाने वाले छोटे-छोटे उपहार तथा प्रेमभाव ही स्त्री को मानसिक सन्तोष प्रदान करने के लिये तथा एकाधिक पुरूषो के बीच उच्च सम्मानित स्थिति प्रदान करने को पर्याप्त होता है । इसी लिये महिलाये चाहे वह जिस भी उपसमूह की हो आज भी बहुपति विवाह प्रथा के प्रति सहमति प्रदान करती है ।

जौन सारी परिवारो के प्रथागत नियमो के अनुसार परिवार मे वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक महिला {पत्नियो} का पद तथा कार्य सुनिश्चित करता है जिसके लिये वे मानसिक रूप से विवाह के पूर्व ही तैयार रहती है इस प्रकार की मानसिकता महिलाओं के बीच तनाव जैसी स्थिति को

उत्पन्न नही होने देती है। सरकारी सेवाओं मे सेवारत लोग, जो कि शिक्षित है तथा सतत सभ्य मानव समाज के सम्पर्क मे रहते है बहुपति विवाह को " आज के युगमे किसी एकसमाज या समुदाय के नाम पर कलक मानते है क्योकि यह प्रथा अनाज के सभ्य समाजो के दृष्टि मे मानवीय कम और पाशविक अधिक है । एवं इसी कारण से जौनसारी जनजाति को को सभ्य समाजो द्वारा हेय एवं उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है यही कारण है कि अधिकांश शिक्षित लोग बहुतपति विवाही प्रथा से सहमत नही है सरकारी सेवाओं मे सेवारत महिलाये आज तक विवाही एकाकी परिवार मे अपने पति एवं बच्चो की ही साथ निवास करती है ।

लगभग 20 वर्ष पहले इस जनजाति के निम्नवर्ग मे वेश्यावृत्ति का प्रचार प्रसार चरमसीमा पर था एवं निम्न वर्ग की लड़कियो एवं बहुओ को इस व्यापार मे डालने मे स्थानीय उच्च वर्ग के लोगो का हाथ होता था, वर्तमान समय मे यह व्यापार इस क्षेत्र मे समाप्त तो नही किन्तु समाप्त प्राय: इसी सन्दर्भ मे हनोल- खाई जि0 - उत्तर काशी के क्षेत्र निरीक्षक के दौरान परिस्थिति स्पष्ट हुई हनोल मे मंदिर के पुजारी के अलावा सिर्फ कोल्टा परिवार ही रहते है। तथा उनको लड़किया शादी नही किया

करती है तथा सभी वही अपने घर ही वेश्यावृत्ति का धन्धा करती है वहां
जा कर रूकने वालो से उनके परिवार के लोग खुद ही सम्पर्क करते है,कुछ
लडकियो एंव बहुये बडे शहरो जैसे दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर एंव कानपुर
के वेश्यालयो मे पायी गई है, अब इन्हे किसी स्थानीय दलाल की आवश्यकता
नही है अब स्वय ही यह धन्धा सवेच्छा से उन्होने अपना लिया है
तथा उनके घरवालो का पूरा सहयोग उन्हे इसमे प्राप्त होता है, स्थानीय कुछ
लोगो ने बताया कि लाखामण्डल जौनसार बाबर के आस पास के कुछ
निम्नवर्गीय परिवारो की लड़कियाएंव बहुये दोनो ही बड़े शहरो के वेश्यालयो
मे धन्धा करती है तथा वह स्वय ही गांव की लडकियो को अच्छे जीवन
का प्रलोभन देकर इस धन्धे मे उतरने को प्रेरित ही नही करती अपितु
उन्हे अपने साथ बड़े शहरो के वेश्यालयो तक ले भी जाती है जातिगत एंव आर्थिक
अनुपात की दृष्टि से निम्न वर्गीय जातियां एंव कमजोर आर्थिकी वाले
लोग इस धन्धे से सम्बन्धित पाये जाते है ।

सरकार को चाहिये कि भविष्य मे कल्याणकारी योजनाये बनाते
समय इस सब बात का ध्यान रखे कि उसकी भोजनाओं का लाभ सुदूर ग्रामीण
क्षेत्रो मे बसे जनजातीय समूहो को भी मिल तथा इस जनजातीय समाज के
सबसे निचले वर्ग, जो आज भी सामाजिक, शैक्षिक, मानसिक तथा आर्थिक
स्तर पर अन्य उच्च उपसमूहो से बहुत पीछे है को विशेष से उनकी स्थिति

को उत्तरोत्तर बढाने के लिये अलग से नवीन योजनाये बना कर उनका उत्थान करे । प्रस्तुत अध्ययन का उपयोग इस जनजातीय समूहो के अन्त सम्बन्धो को समझने के लिये उससे प्राप्त भिन्न- भिन्न प्रकार की विषमताओं तथा एंव तीनो उपसमूहो मे व्याप्त ऊच नीच की भावनाओं के अध्ययन हेतु किया जा सकता है । जिससे भविष्य मे बनने वाली अनेक कल्याण कारी योजनाओं से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो मे रह रहे लोगो तक योजनाओं को न पहुचने देने वाले कारको को समाप्त करने मे तथा जन जातीय समूह का उत्थान करने मे मदद मिलेगी यही प्रस्तुत अध्ययन का महत्व है ।

3.2 प्रणाली विज्ञान

किसी भी क्षेत्रीय कार्य करते समय एक विशेष कार्य तरीका का उपयोग करना एक क्षेत्रीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह क्षेत्रीय कार्य, मानव विज्ञान के साथ इसके शुरू आती जिन्दगी के समय से ही जुड़ा हुआ है । और आज यह मानव विज्ञान के छात्रों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक जीव विज्ञानके विद्यार्थियों के लिए एक प्रयोगशाला होता है । इस लिए ही क्षेत्र एक मानव वैज्ञानिक के छात्र के लिए क प्रयोगशाला ही माना गया है। औ र इसके उपयोगिता को देखते हुए पिछले कई वर्षों से इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मानववैज्ञानिकों अपने प्रकार वैज्ञानिक तरीके ढूढ निकाले है जिनका क क्षेत्र में कार्य करने वाला उपयोग करते हैं । मैं जहाँ तक हो सका अपना क्षेत्रीय कार्य इस तरह से किया है ।

विषय का चुनाव -

मुझे इस विषय का चुनाव "जौनसारी समाप्त के तीन उप-समूहों में अन्तर सम्बन्ध " मेरे विभागाध्यक्ष प्रो० ए० आर० एन० श्रीवास्तवा के द्वारा सुझाया गया । और जहाँ तक इस विषय की बात है मै अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि विषय मेरे मनलायक मिला है । क्योंकि पहाड़ और उसके आस-पास का जीवन अक्सर मुझे अपनी ओर करता रहता था। मेरे पास भरपुर समय था और इस क्षेत्र में कार्य करने

के लिए, और मैने इसका भरपूर उपयोग किया। मेरा शोध कार्य आंकड़ों का इकट्ठा करना जो कि वहाँ के जीवन शैली उनके आपसी सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करना था। और इससे आंकलन, जीनमार व्यवार के पूरे आर्थिक , सामाजिक, और राजनैतिक सम्बन्धो की बहुत सारी जानकारी देता है ।

सौहार्द-स्थापन

क्षेत्रीय कार्य के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वह लोगों के बीच अपना अच्छा परिचय बनाये । जहाँ वह अपना कार्य करने जा रहा है। एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कभी भी अपने आपको एक निश्चित समुदाय में जगह नहीं बना पाता है । क्योंकि हरदम वह एक बाहरी अपरिचित ही रहता, लेकिन यह शोधकर्ता पर निर्भर करता है कि वह अपने आपको अपने विषय क्षेत्र में कैसे प्रस्तुत करताहै। वह जितना जल्द हो सके, अपने आपको ऐसा बनाये कि वहाँ के लोगो के आँखो में न खटके । और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह होती है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपनी स्थिति का सही रूप से वहाँ केलोगों के बीच प्रस्तुत करे । और अगर क्षेत्रीय कार्यकर्ता एक सम्बन्ध या परिचय वहा के लोगो के बीच नही पाता है तो वह उस चीज को प्राप्त नही कर सकता जिसके लिए उस जगह पर वह गया हुआ है । वह अपने लक्ष्य से बहुत ही दूर भटक जाता है। मैं अपने कुछ पूर्व अनुभव और भाग्य के चलते अपने क्षेत्र अच्छा परिचय बनाने में बहुत जल्दी ही कामयाब हो गया था ।

सर्व प्रथम मै देहरादून शहर के जौनसारी नाम जाने वाला होटल जो कि श्रीमति गंगा देवी (विधवा) जो कि संचालिका थी, ग्राम मोवाई, खाट से ली चकराता की रहने वाली है, के पास गया। यहाँ परमैं ग्राम लुहोरा के खजान सिंह से मिला । जो कि खासिया राजपूत का एक बेरोजगार स्नातक है। उससे सौहाद्र स्थापना के बाद, वह मेरे साथ अपने गाँव चलने को तैयार हो गया। इसी संदर्भ में मैं ओ. एन. जी. सी के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अतर सिंह चौहान से मिला जो कि डी०ए०वी० कॉलेज सेस्नातकोत्तर है। इसके बड़े भाई मुन्ना सिंह चौहान ग्राम चिल्ला जौनसार, जो कि स्थानीय वर्तमान विधायक भी है। अतरसिंह चौहान नेमुझे क्षेत्रीय कार्य अध्ययन के लिए कुछ नाम पते और संदर्भ पते भी दिये, जिसके द्वारा मुझे सौहार्द स्थापित करने में विशेष परेशानी नहीं उठानी पड़ी । खजानसिंह के साथ देहरादून से बस द्वारा मंसूरी एवं मंसूरी से नयनबाग बाजार (जौनपुर) पहुँचा। वहाँ से ग्राम लुधेरा पहुँचा जिसके लिए यमुना नदी पार करनी पड़ी । ग्राम लुधेरा में खजान सिंह के यहाँ रुकने का प्रबन्ध कियागया। खजानसिंह के पिता नारायण सिंह तोमर जो गाए के मुखिया भी है अत्यन्त शिष्ट एवं भाषी व्यक्ति थे । इस परिवार में सभी सदस्यों से मैं बहुत आसानी से घुला मिल गया क्योंकि सभी हिन्दी बोल और समझ लेते थे । उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं अपने रहन-सहन का अध्ययन करने आया हूँ । नारायण सिंह तोमर ग्राम लुधेरा में क्षेत्रीय कार्य करते समय सभी ग्रामीणों

से साक्षात्कार कराने मेरी मदद की । ग्राम चिल्ला जौनसार में अतर सिंह चौहान के छोटे भाई ने कोल्टाओं से साक्षात्कार कराया और मेरी अन्य भी विविध प्रकार से मदद की । प्रथम दृष्टया ग्राम और ग्रामीणों के अवलोकन करने पर वाह्य परिवेश में आधुनिक बदलाव किन्तु परम्परागत वही पुरानी सामाजिक परम्परायें पाया। साक्षात्कार के प्रारम्भिक अवस्था में मुझे उत्तरदाताओं को यह समझाना पड़ता था कि मैं कोई सरकारी मनुष्य नही बताया कि एक शोध छात्र हूँ जो उनका सामाजिक जीवन से कुछ सीखने आया हूँ । प्रारम्भ में उत्तरदाताओं ने सम्बन्धी सम्पत्ति सम्बन्धी सारी सूचनाए तो वे सच बता देते है किन्तु शोध विषय के मूल प्रश्न उप समूहों में अंतर सम्बन्ध के प्रश्नो को पूछे जाने पर अधिकांशतः हिचकिचाते थे । ऐसे मौके पर मेरा प्रारम्भिक सूचना दाता खजान सिंह हमेशा आगे आकर हमारी परिचय को और नजदीक कर मेरे सारे परेशानियो को दूर करता था। वही मेरा मध्यमार्ग, क्षेत्रीय भाषाओं का उद्धारकर्ता था । गाँव की बहूओं एवं औरते, विशेष कर कुमारी लड़कियो से साक्षात्कार लेने में, खजानसिंह की बहन मीना ने विशेष सहयता किया। पुरूषों की अपेक्षा औरतो ने मेरे प्रश्नो को ज्यादा खुलकर जवाब दिया। इनके विशेष सोधे स्वभाव के बा चलते मुझे अपने क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान विशेष परेशानी कभी महसूस नही हुई । अपने सम्पूर्ण अध्ययन के दौरान ग्राम ठकरानी के लाखी सिंह रावत, साहू कोल्टा , ग्राम पुजेरो के (खाई) हरे कृष्ण नौडयाल तथा सुमदास बाजकी इन सभी ने साक्षात्कार के दौरान अपने घरो में एक मित्र, परिवार के तरह रहने, सुखमय प्रदान । गाई

के बाद जब लौटने का समय आया तो मेरा मन तो भर ही आया था, साथ-साथ हर गाँव के लोग मुझे छोड़ने के लिए अपने-अपने गाँव के बाहर तक आये । सारा माहौल गम्भीर बन गया था, तथा मेरे दोबारा लौटने के वचन देने केबाद ही उनके चेहरो पर रौनक लौटते देख पाया । और फिर मै भी वापस लौट सका ।

आँकड़ो के संग्रहण की विधि -

मैने इन सारी तरीको को अपनाया । आकडो के संग्रहण से पहले मैं अपने शोध निरीक्षक से तथा पुस्तकों के माध्यम से एक सामान्य जानकारी हासिल की तथा देहरादून शहर में ओ0 एन0 जी0 सी0 के महाप्रबन्धक सुरक्षा श्री जी0एम0 श्रीवास्तव से मिला जिनसे मुझे इस क्षेत्र विशेष के बारे मे तथा क्षेत्रीय विषयगत जनजातीय संस्कृति के बारे में विशेष जानकारी मिली अपने सम्पूर्ण कार्य को करते समय मैने सहभागी अवलोकन एवं साक्षात्कार का विशेष उपयोग किया अवलोकन से प्राप्त तथ्यों का साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों से तुलनात्मक अध्ययन ही से अभीष्ट प्रश्नो के उत्तर तक पहुँचने में मदद मिली । आकडो को वैज्ञानिक रूप देने के लिए अधिक से अधिक प्रश्नावली प्रणाली को साक्षात्कार के बाद उपयोग किया मेरे अध्ययन की मुख्य विधि मे प्रथम स्थान मध्यस्थता (खजान सिंह) का रहा तत्पश्चात् अवलोकन का विशेष स्थान रहा, अवलोकन से से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उस विषय पर समय स्थान पर

पाये जाने वाले लोगों का साक्षात्कार लिया तत्पश्चात् प्रश्नावली को उपयोग किया तथा अन्त में इन सम्पूर्ण बातों का वापस आकर कार्य क्षेत्र के निवास स्थान पर । अपने सूचनादाता खजान सिंह से प्रत्येक दिन के विवरण का पुर्ननिरीक्षण एं सत्यापन करवाया वर अपने अभीष्ट प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचा ।

साक्षात्कार का अपना एक अलग ही महत्व होता है क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो कि लोगों का अपना स्वयं होताहै वह किसी भी तरह से कोई व्यक्ति जान नही सकता जब तक कि वह व्यक्ति खुद ही न बता दे । और ऐसे समय पर साक्षात्कार ही अकेला उत्तर होता है। सर्वप्रथम मैं किसी भी व्यवस्था को बहुत ही नजदीक से देखता था, और फिर हर सम्भावना को देखते हुए किसी एक उत्तर तक पहुँचने से पहले मैं बहुत से लोगों से बातचीत कर उसे सत्यता के नजदीक तक पहुँचने की कोशिश करता था। इसके लिए मैं हर उम्र के लोग, बच्चा, जवान, बुजुर्ग , दोनों लिंग , औरत एवं मर्द एवं हर जाति, हर वर्ग, कहने का मतलब यह कि जहा तक हो सका, मैने इसके जड़ तक पहुँचने की हर कोशिश की।

और फिर किसी भी कार्य उत्तर के आकलन करते हुए मैनें बहुत ही आरामदायक माहौल महसूस किया। मैं अपना सूचनादात्ता के हर बात को अच्छी ढंग से लिखता रहा , और जहा तक हो सका

फोटो खिचकर मैंने अपनी बातों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक खाका खिचता रहा। मैं कभी अपने सूचनादाता पर पूर्ण भरोसा नही किया जहां तक हो सका हर चीज को मैंने खुद बहुत ही नजदीक से टटोल-टटोल कर देखा।

और इसतरह मैंने अन्त में अपना निष्कर्ष निकाल पाने में सफलता प्राप्त की ।

आंकडो का विश्लेषण:- स्वतन्त्रता के बाद भारत के कल्याण कारी नितियो के परिधि के अन्तर्गत केन्द्र एंव राज्य संककारो द्वारा जनजातीय समुदायो पुरातन समाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा परिस्थितिकी सम्बन्धी एकान्तता को समाप्त कर उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को समाप्त कर उन्हे समाज की मुख्य धार से जोडने मे निरन्त रचनात्मक उपायो के फलस्वरूप जनजातीय समाजो मे परिवर्तन की प्रक्रिया मे जन्म लिया है । आज जनजातीय समाज को कोई भी पक्ष परिवर्तन के प्रभावो से अछूता नही है ।

वस्तुत: सामाजिक परिवर्तन एंव गतिशीलता जटिल एंव वृहद अवधारणो है जो विभिन्न कारणको की क्रिया शीलता के परिणाम स्वरूप जन्म लेती है यही कारण है कि विभिन्न विभिन्न समाज विज्ञानियो ने विभिन्न-भिन्न आधारो पर सामाजिक परिवर्तन एंव गति शीलता की व्याख्या की है। बेलन ‖ 1922•192 ‖ विचार की आदतो को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते है। मार्कस ‖ 1935•92 ‖ ने उत्पादन प्रणाली को सामाजिक परिवर्तन की निर्णायक शक्ति माना है जबकि माल्थस ‖ 1798 ‖ जन संख्यात्मक कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिये उत्तरदायी व्यावसायिक परिवर्तनो से सम्बन्धित माना है जबकि श्रीवास्तव्य ‖ 1962 ‖ ने कुमाऊ की मोटियाजन जाति में

इसका प्रमुख कारण माना है। कोहन ।1963। ने राजनैतिक सत्ता को सामाजिक गतिशीलता का आधार माना है। रो ।1966। ने आर्थिक समृद्धियो आधार पर सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या की है ।

अतः प्रस्तुत शोध के आकडो के विश्लेषण एंव वैज्ञानिक निष्कर्षो को आधार पर स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन एंव गतिशीलता का कोई एक ही विशिष्ट कारण नही होता है, फिर भी शिक्षा को सामाजिक जीवन के भिन्न- भिन्न क्षेत्रो मे परिवर्तन प्रेरित करने एंव गतिशीलता को जन्म देने वाले एक प्रभावशाली कारक के रूप मे स्वीकारा जा सकता है । क्योकि शिक्षा ही एक ओर मानव को मानासिक रूप से विभिन परिवर्तनो को स्वीकार करने के लिये विवेकपूर्ण एंव तर्क पूर्ण ढग से तैयार करता है तो दूसरी तरफ सामाजिक- आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे परिवर्तनो को घटित करने के लिये उन्हे अभिप्रेरित भी करता है। वास्तव मे शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे के सामाजीकरण मानव के व्यक्तित्व विकास सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक परिवर्तन और व्यवसायो के विकास मे सहायक होती है, इस प्रकार शिक्षा को सामाजिक परितर्वन तथा गतिशीलता का एक प्रभाव शाली कारक मानते हुये जौनसारी जनजाति के तीनो उप समूहो की व्यावसायिक गतिशीलता तथा विवाह वह परिवार के विभिन्न स्वरूपो

पर शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप घटित हो रहे परिवर्तनो एवं तीनो उप समूहो के अन्यान्योश्रिता पर पड़े प्रभाव को ज्ञात करने का प्रयत्न ही शोध का प्रमुख उददेश्त है ।

शोध कार्य के विश्लेषो की प्राप्ति के लिये शोधकर्ता द्वारा कुल छः गांवो के ।05।उत्तरदाताओ का चयन ( ) निदेशन पद्धति द्वारा अध्ययन हेतु किया गया देव गावो का चयन यादृच्छिक चयन विधि से किया गया । कुल ।050 उत्तर दाताओ मे से 525 (50% विभिन्न सरकारी विभागो मे कार्यरत है। तथा शेष 525 (50%) कृषि एवं निजि व्यवसायो मे कार्यरत है, प्राथमिक पद्धतो की प्राप्ति साक्षात्कार अनुसूची तथा सहभागी अवलोकन द्वारा की गयी तथा आवश्यकता नुसार द्वेतीयक तथ्यो का उपयोगभी परिणामो की सत्यत: एवं वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने के लिये किया गया है ।

शोध अध्ययन हेतु छः ग्रामो के चयनित उत्तर दातओं की सामाजिक पृष्ठ भूमि के अन्तर्गत परिस्थितियो लिगाविभाजन वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संरचना शैक्षिक स्तर तथा व्यावसायिक स्थिति से सम्बन्धित सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है ।

तालिका संख्या । तथा 2 मे प्रस्तुत प्रदत्तो के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्शी संरचना मे 874 (83·32) पुरूष तथा ।75 (16·68·)

महिला उत्तरदाता है। पुरूष उत्तरदाताओं मे 43• लगभग 150% § कृषि व्यवसाय से जुडे है और दूरस्थ ग्रामीणपरिवेश के है जबकि शेष 438 §50% § सरकारी सेवाओ मे सेवारत हैजिने 305 § 69•7: § नगरो कस्बो या उसमे सन्निकट के अविस्थित ग्रामो मे निवास करते है और शेष 133 § 30•29% § सड़क यातायात से पांच कि0 मी0 की परिधि के अन्तर्गत अवस्थित ग्रामो सम्बन्धित है। महिला अन्तर दाताओं मे 89 § 50% § कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई है और सुदूर ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित है जबकि शेष 88 §50: § महिला अत्तर दाता सरकारी सेवाओं मे रत है जिनमे अधिकतम 78 §89•68% § महिलाये नगरो कस्बो या उनके सन्निकर के अवस्थित ग्रामो मे निवास, करती है जबकि शेष 10 §11•42% § महिलाये सड़क यातायात से 5 कि0मी0 की परिधि के अन्दर निवास करती है ।

आयु विभेद के आधार पर कृषि व्यवसाय से जुडे 47 §10•83% § पुरूष एंव 8 §8•57:§ महिला उत्तर दाता 20 वर्ष से कम उम्र के है , 175§40% पुरूष व 42 § 48•56%§ महिलाये 20 से 30 वर्ष की आयु समूह के है, 163 §38% § पुरूष, 20 § 22•65% § महिलाये 30 से 40 वर्ष समूह की है, 30 § 6•86 % § पुरूष, 10 §11•42 § महिलाये 40 से 50 वर्ष आयु

समूह सम्बन्धित है जबकि शेष 23 § 5·15% § पुरूष व 8 § 8·58 § महिलाये 50 से अधिक उम्र के है। सरकारी सेवाओ मे सेवारत उत्तरदाताओं मे 18 §4·00% § पुरूष व 13 § 14·29% § महिलाये § 14·29% § महिलाये 20 वर्ष से कम उम्र के है। 205 § 46·86% § पुरूष एवं 60 § 68·57% § महिलाये 20 से 30 वर्ष की आयु समेह के अन्तर्गत आते है 180 § 41·14 % § पुरूष व 15 § 17·14% § महिलाये 30 से 40 वर्ष की आयु समूह के है जबकि शेष 35 § 8·00% § पुरूष उत्तरदाता 40 से 58 वर्ष की आयु समूह अन्तर्गत आते है ।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर कृषि व्यवसाय से जुडे सभी पुरूष एवं महिला उत्तर दाता विवादित है, जबकि सरकारी सेवाओं मे सेवारत केवल 18 § 4·00% § पुरूष उत्तरदाता अविवाहित है और शेष सभी पुरूष एवं महिला उत्तर दाता विवाहित है ।

परिवार के विभिन्न स्वरूपो के सम्बन्ध मे तालिका संख्या 3 मे प्रस्तुत प्रदत्तो के आधार पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कृषि व्यवसाय से जुडे हुए उत्तरदाताओं मे अधिकतम 357 § 85·14% § पुरूष एवं 52 § 60·00% § महिला उत्तर दाता सभात बहुपति विवाही परिवार के सदस्य है, 23 §5·15% §

पुरूष व 18 § 20·00 % § महिला उत्तरदाता बहुपत्नी विवाही परिवार के है जबकि शेष सभी 43 § 9·75% § पुरूष 19 § 20·00% § महिला उत्तरदाता एकाविवाही परिवारो मे रहते है । सरकारी सेवाओं मे कार्यरत उत्तरदाताओं मे अधिकांश 208 § 58·85: § पुरूष एवं 87 § 100 % § महिला उत्तरदाता एक विवाही परिवार का सदस्य है जबकि शेष सभी 180 § 41·14 % § पुरूष उत्तरदाता बहुपति विवाही परिवार से सम्बन्धित है ।

उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर के सम्बन्ध मे तालिका संख्या 5 मे दिये गये प्रदत्तो के आधार पर ज्ञात होता है कि कृषि व्यवसाय से जुडे अधिकतम 400 § 91· 42 % § महिला उत्तरदाता अशिक्षित है और केवल 38 §8·58 § पुरूष व 8 §8·58 % § महिला उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक कि शिक्षा प्राप्त किये हुये है सरकारी सेवाओ मे सेवारत उत्तरदाताओं मे 13 § 2·86% § 178 §40·58 % § 210 § 48·00% § 33 § 7·45% § तथा 5 §1·14% § पुरूष उत्तर दाता क्रमश : जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल इन्टर मीडीयेट, स्नातक व स्नाकतोतर स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है और सेवारत महिला उत्तरदाताओं 5 §5·72 % §, 45 § 51·42% § व 38 §42·85% § क्रमश जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर मीडिएट स्तर पर शिक्षा प्राप्त है ।

उत्तर वर्णित तथ्यो के विश्लेषण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सुदूर ग्रामीण परिवेश मे रहने वाली जौनसारी जनजाति के पुरूष एंव महिलाओं मे शिक्षा का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है इसी कारण से यह आज भी शिक्षा से वंचित है तथा अपने परम्परा गत व्यवसाय कृषि से जुडे हुये है। अशिक्षा के कारणो को ज्ञात करने हेतु उत्तरदाताओं की परिवारिक तथा परिस्थिति की सम्बन्धी पृष्ठभूमि से सम्बन्धित प्राप्त सूचनाओं को तालिका सं04 मे प्रस्तुत किया गया है तालिका 4 के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि कृषि व्यवसाय से जुडे प्राय : सभी उत्तरदाताओं का परम्परात्मक व पैतृक व्यवसाय या तो पशुपालन था या कृषि, या कृषि पशुपालन एंव मजदूरी तीनो एक साथ समयानुसार परम्परात्मक व्यवसाय के सम्बन्ध मे कृषि व्यवसाय से जुडे उत्तरदाताओं के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 330 (75•42%) पुरूष एंव 45 (51•42%) महिला तथा 107 (24•57) पुरूष व 42 (48•58 %) महिला उत्तरदाताओं का परम्परागत रूप से व्यवसाय क्रमशः पशुपालन एंव कृषि तथा पशुपालन कृषि तथा दैनिक मजदूरी भी था। पिता के व्यवसाय के सम्बन्ध में कृषि व्यवसाय से जुडे उत्तरदाताओं मे से 343 (78•86%) पुरूष व 38 (54•30%)

महिला, 23 § 5·15 % § पुरूष एंव 13 § 14·30 % § महिला 60§16·00% §
पुरूष एंव 28 § 31·44 % § महिला उत्तरदाताओं का पैतृक § पिता का §
व्यवसाय क्रमशः : पशुपालन + कृषि, दैनिक मजदूरी, पशुपालन + कृषि + दैनिक
मजदूरी था । इस प्रकार ृषिव्यवसाय से जुडे उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरो के
विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि विगत दो पिढ़ियो से ही उनकी
आर्थिक स्थिति बहुत पिछडी थी इसी कारण से वे जीविकोपार्जन के लिये कृषि
एंव पशुपालनके साथ साथ दैनिक मजदूरी भी किया करते थे तथा दूसरी तरफ
सड़क यातायात नगरीकरक व आधुनिकीकरण का प्रभाव उन्हे छू भी न पाया ।
इस प्रकार एक तरफ कृषि का वही पुराना सदियेा को परम्परात्मिक रूप
एंव कृषि प्रतिकूल भौगोलिक दशाये आर्थिक विपन्नता को पीढी दर पीढ़ी संचित
करने मे सहायक हुई है दुसरी तरफ जटिल भौगोलिक एंव परिस्थितिकी सम्बन्धी
कारके ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं विशेष कर शिक्षा सम्बन्धी योजनाये
एंव उनके सफलसंचालन मे बाधाये डाली है परिणाम स्वरूप जौनसारी
जनजाति के लोगो मे शिक्षा के सही नियोजन के अभाव के शिक्षा के प्रति उन्मुखता
नही आ सकी है न ही उन्हे शिक्षा के महत्व का ज्ञान है सुदूर ग्रामीण

परिवेश के उत्तरदाताओं के विश्लेषण से लगता है कि शिक्षा उनके लिये एक अनुत्पादक व्यवस्था है। इसी कारण से जौनसारी जनजाति के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो क मे शिक्षा का प्रचार प्रसार नही हो सका जिसका स्पष्ट प्रभाव इस जन ाति के सामाजिक- आर्थिक जीवन मे परिलक्षित होता है जैसा कि तालिका संख्या 5, 4, 6, 3 मे प्रस्तुत प्रदत्तो के आधार पर स्पष्ट है कि कृषि व्यवसाय से जुडे अधिकतर उत्तरदाता आज भी अनेकानेक आरक्षण एंव अनुदान सम्बन्धी सुविधाओं के दिये जाने के बाद भी शिक्षा, व्यवसाय, विवाह परिवार व विश्वदृष्टि कोण के सम्बन्ध मे यथास्थितिवादी बने हुये है ।

सरकारी सेवाओं मे सेवारत उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठ भूमि, परिस्थिति एंव विभिन्न पीढियो मे व्यवसायिक स्थिति मे सम्बन्धित प्राप्त प्रदतो के आधार पर ज्ञात होता हैकि कृषि व्यवसाय से जुडे उत्तरदाताओं की अपेक्षा इनका आर्थिक स्तर विगत पीढियो से ही अधिक उच्च था जैसा कि तालिका को संख्या 4 मे प्रस्तुत प्रदत्तो से ज्ञात होता है कि सरकारी सेवाओं से जुडे सभी ;00 % पुरूषएंव महिला उत्तरदाताओं का परम्परात्मक व्यवसाय क्रमश पशुपालन तथा कृषि रहा है जबकि पिता के व्यवसाय से सम्बन्ध

मे अधिकतम 375 (85•71 %) पुरुष व 63 (71•43%) महिला, 56 (12•58%) पुरुषएंव 23 (25•95%) महिला तथा शेष 8 (1•8 %) पुरुष एंव 2•86%) महिला उत्तरदाताओं का मत है कि उनके पिता क्रमश पशु पालन, कृषि, व्यापार एंव सरकारी सेवा से सम्बन्धित कार्य करते थे। इस प्रकार परम्परात्मक व पिता की व्यवसायिकस्थिति के आधार पर ज्ञात होता हैकि प्रथमतया सरकारी सेवाओं मे कार्यरत उत्तरदाताओं के दादा या पिता मे से कोई भी दैनिका मजदूरी का काम नही करता थे वे कृषि एंव पशुपालन से या व्यापार से अपनी जीविका अर्जित करते थे तथा उनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत रूप से सुदृढ रही होगी दूसरी तरह से सरकारी सेवाओं मेरत उत्तरदाताओं मे से अधिकांश का परम्परात्मक व पिता का निवास स्थान या तो नगरो मे था या सड़क यातायात से 5 कि०मी० के परिधि के अन्दर अवस्थित ग्रामों मे जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल परिस्थितिकी के शासन द्वारा निर्मित योजनाओं का सफल कि न्यावयन इन क्षेत्रो मे किया जा सकता तथा विभिन्न सुधार वादी एंव कल्याणकारी योजनाओं व शिक्षा जैसी सुविधाओं मे ये लाभान्वित होते गये इन्हे परिस्थितिकी की अनुकूलता के कारण इन्हे कहना अजनजातीय समुदायो के सम्पर्क मे आने के अवसर उपलब्ध होते रहे जिसके फलस्वरूप इन लोगो मे शिक्षा, व्यापार, सरकारी सेवा आदि के प्रति उन्मुखता पढती गयी तथा सामाजिक जीवन के परम्परात्मक

मूल्यो के प्रति भी इनका दृष्टिकोण लचीला होता चला गया है --

छः ग्राम समूहो द्वारा प्राप्त प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अनुकूल परिस्थिति के और सुदृढ आर्थिक स्थिति लोगो को अन्मुख करती है इसी कारण से नगरो कस्बो या उसके पाँच किलोमीटर के परिधि मे अवस्थित ग्रामो मे रहने वाले जौनसारी जाती के लोग बहुधा साखा उपसमूह के लोग परिस्थिति के अनुकूलता के कारण न केवल शिक्षा की ओर उन्मुत्व है । बल्कि आज अपने परम्परात्मका व्यवसायो को छोड़ कर सरकारी सेवाओं की ओर भी तीव्रगति से उन्मुख होती जा रही है। इसके विपरीत प्रति कूल परिस्थित की के कारण सुदूर ग्रामीण परिवेश मे रह रहे जनजातिए लोग चाहे वह किसी भी उपसमूह के हो अब भी आर्थिक रूप से दरिद्र शैक्षिक रूप से पिछडे है। उन्हे अशिक्षित भी कहा जा सकता है और यही कारण जो उन्हे आज भी अपने परम्परात्मक व्यवसायो से जुडे हुए है ।

भविष्य मे आने वाली पीढी की शिक्षा तथा व्यवसाय के निर्धारण के प्रति भी उत्तरदाताओं की मनोवृत्तियो मे अन्तर देखने के मिलता है जो निः सन्देह उनके परिस्थितकी शिक्षा के स्तर तथा व्यावसायिक स्थिति

की भिन्नता का ही परिणाम है। सरकारी सेवाओं मे कार्यरत उत्तर दाता ।
अपने बच्चो की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक एंव व्याहारिक है। जैसे कि
तालिका संख्या 5 मे प्रदर्शित प्रदत्तो के आधार पर स्पष्ट होता है कि
सरकारी सेवाओं मे कार्यरत अधिकतम 259 § 58•96 प्रतिशत § पुरूष एंव 45
§51•42 प्रतिशत § महिला उत्तरदाता अपने बच्चों को स्नातक स्तर तक की
शिक्षा देने की आकाक्षा रखते है 130, § 28•6% § पुरूष व 30 §34•28% §
महिला उत्तरदाता अपने बच्चो को स्नातक स्तर तक की शिक्षा देने की
आकाक्षा रखते है 130 § 28•6% § पुरूष व 30 §34•28% § महिला उत्तर
दाता अपने बच्चो को कम से कम इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा दिलाना
चाहते है जबकि शेष 43 § 9•62 % § पुरूष व 8 §8•58% § महिला उत्तरदाता
परास्नातक स्तर तक की शिक्षा दिलाने की अकाक्षा रखते है। इसी प्रकार
व्यवसाय के निर्धारण मे भी सरकारी सेवाओं मे सेवारतलगभगसभी उत्तर दाता
अपने बच्चों को कृषि तथा पशुपालन जैसे परम्परात्मक व्यवसायो से अलग
सरकारी सेवाओ मे या व्यापार जे से व्यवसाय को अपनाने के पक्ष मे अपना
मत व्यक्त करते है तालिका संख्या 4 से स्पष्ट होता है कि इस वर्ग के अधिकतम
328 § 64•8% § पुरूष 965 § 74•2% § महिला उत्तर दाता अपने बच्चो

को सरकारी सेवाओं मे सेवारत देखना चाहते है और शेष 110 § 25·14% § पुरुष व 23 § 25·71 % § महिला उत्तर दाता व्यापार के पक्ष मे है ।

कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाता अपनी आने वाली पीढ़ी अर्थात अपने बच्चो की शिक्षा के प्रति जागरूक तो है और यह भी स्वीकार करते है कि प्रतिकूल परिस्थिति की एंव अशिक्षा समान रूप से उनके पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। अत: वे अपने बच्चो को कम से कम साक्षर करने की इच्छा आवश्य रखते है। तालिका संख्या 5 मे प्रस्तुत प्रदत्तो से ज्ञात होता है कि अधिकतम 260 § 59·43% § पुरुष तथा 95 § 51·43% § महिला उत्तर दाता अपने बच्चो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाना चाहते है। 90 § 20·58% § पुरुष व 33 § 37·14% § महिला उत्तरदाता जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा के पक्ष मे है तथा 78 § 17·71 % § पुरुष व 10 § 11·42% § महिला उत्तरदाता हाई स्कूल तथा शेष केवल 10 § 2·28% § पुरुष उत्तरदाता इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा दिलाने की इच्छा रखते है। लेकिन सहभागी अवलोकन के आधार पर ज्ञात होता हैकि आर्थिक दरिन्द्रता तथा शिक्षा संबंधी आवश्यक सुविधाओं के अभाव मे वे अपनी महत्वकाक्षाओं को कार्य रूप देने मे है क्योकि छ: वर्ष की उम्र प्राप्त करते – 2 बच्चा दूर ग्रामीण क्षेत्रों

मे रह रहे जौनसारी जनजाति के परिवारो मे आर्थिक क्रियाओं मे सहमाति करने लगता है अतः उन्हे शिक्षा हेतु भेजना व्यर्थ ही होता है व्यवसाय के चुनाव के प्रति भी कृषि व्यवसाय से जुडे उत्तरदाताऐं अधिकतम 343 §79•2% § महिला उत्तरदाता अपने ही कृषि सम्बन्धी व पशुपालन सम्बन्धी व्यवसाय को अपने बच्चो को विरसत मे देने की आकांक्षा रखते है क्योकि आर्थिक रूप से विपन्न होने एंव अशिक्षा के कारण इससे अधिक सोच पाना उनके लिए सम्भव नही है। विश्लेषणो से यह ज्ञात होता है । कि 60 §13•71% § पुरूष व 23 § 25•71 % § महिला उत्तरदाता दैनिक मजदूरी को भी आने वाली पीढी को हस्तातरित करने की इच्छा रखते है अर्थात के तत्व 35 § 8•08% § पुरूष तथा 5 § 5•71 % § महिला उत्तरदाता मे ही अपने बच्चो को सरकारी सेवाओ मे देखने की मात्रा मानसिकता ही परिलक्षित होती है लेकिन अपनी महत्वकांक्षाओं के साकार रूप देने मे वे सक्षम नही है। विश्लेषणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि परिस्थीत की शिक्षा व्यवसाय एंव आर्थिक स्तर व्यक्तियो की अभिरूचि एंव आकांक्षाओं के प्रमुख निधारक तत्व है । साथ ही साथ यही निर्धारक तत्व उप समूहो के अन्तर सम्बन्धो के अन्यान्योश्रिता को भी प्रभावित ही नही बल्कि परिवर्तित एंव निधारित भी करता है ।

वस्तुतः जौनसारी जनजाति एक बहुपति विवाही जन जातीय समुदाय

कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए जनजातीय लोगो का कुछ न कुछ प्रतिशत आज भी विवाह के इस विभिन्न स्वरूपो को स्वीकार किये हुए । तालिका सं-6 मे प्रस्तुत प्रदत्तो से ज्ञात होता हैकि कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए उत्तरदाताओं मे अधिकतम 330 § 75•43% § पुरूष एंव 68 §77•14% § महिला उत्तर दाता बहु विवाह के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते है तथा 73 § 16•60% § पुरूषव 13 § 14•30% § महिला उत्तरदाता बहुपत्नी विवाह के प्रति उसके पक्ष मे मत व्यक्त करते है । जबकि 35 §9•80% § पुरूष व 8 §8•60% § महिला उत्तर दाताओं द्वारा एक विवाही परिवार के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की गयी । लेकिन सरकारी सेवाओं मे कार्यरत उत्तरदाता विवाह के प्रचालित विभिन्न परम्परा -त्मक स्वरूपो के प्रति भिन्न मनोवृत्ति रखते है। आज भी 180 § 41•14 % पुरूष उत्तरदाता § तालिका संख्या - 3 § संभ्रात बहुपति बिवाही परिवार से जुड़े है और अपने भाइयो के साथ एक ही महिला को अपनी पत्नी स्वीकार किये हुए है। लेकिन बहु विवाही प्रथा के प्रति वे भी शेष 258 §58•85% § पुरूष उत्तरदाताओं के समान असहमति व्यक्त करते है । जिन स्तर दाताओं का बाल्यावस्था मे ही बहुपति विवाही प्रथा के

अन्तर्गत विवाह नही किया गया था उन्होने शिक्षा प्राप्त करने के बाद परिवार के मुखिया के पूर्व अनुमातितया इस आग्रह के साथ कि वे एक अलग पत्नी के आर्थिक संरक्षण के उत्तर दायित्व का निभाने मे स्वय सक्षम है ऐसी व्यक्ति अपना अलग एक विवाही एकाकी परिवार स्थापित किये हुये है फिर भी सेवारत पुरूष उत्तरदाताओं मे से ﴾4.00% ﴿ ऐसे भी है जो अब भी बहुपत्नि विवाही प्रथा के पक्ष मे है। जहां तक सरकारी सेवाओं मे सेवारत महिलाओं की अभिवृत्ति का संबंध है । 138 ﴾ 100% ﴿ महिलाये आज तक विवाही एकाकी परिवार मे अपने प्रति एंव बच्चो के साथ निवास करते है। ग्राम चिल्ला के श्री अतर सिंह चौहान जो कि ओ0एम0 जी0 सी0 देहरादून मे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है उन्होने अपना विवाह स्वय अन्तराजातीय लडकी से किया एंव इस विवाह के प्रति उनके धरवालो ने बाद में अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी अतर सिंह चौहान वर्तमान समय मे देहरादून शहर मे अपनी पत्नि के साथएक विवाही एंकाकी परिवार के रूपमे निवास कर रहे है । इसी प्रकार﴾ से ग्राम पुजली जिला उत्तर काशी खाई परगना ﴿ के नवीन कृष्ण नोडियाल ने अपने ही गांव की स्वजातीय लडकी से विवाह करके अपने गांव से 3 कि0 मी0 निचे अवस्थित ग्राम ठकराणी मे जा बसे है ।

3·3 आंकडो का विश्लेषण- स्वतन्त्रता के बाद भारत मे कल्याणकारी नितियो के परीधिके अन्तर्गत केन्द्र एंव राज्य सरकारो द्वारा जनजातीय समुदायो पुरातन सामाएकान्तता को समाप्त कर उन्हे समाज की मुख्य धार से जोड़ने मे निरन्तर रचनात्मक उपायो के फलस्वरूप जनजातीय समाजो मे परिवर्तन की प्रक्रिया ने जन्म लिया है। आज 8 जनजातीय समाज को कोई भी पक्ष परिवर्तन के प्रभावो से अछूता नही है।

वस्तुत: सामाजिक परिवर्तन एंव गतिशीलता जटिल एंव वृहद अवधारणाये है जो विभिन्न कारको की क्रिया शीलता के परिणाम स्वरूप जन्म लेती है, यही कारण हैकि विभिन्न विभिन्न समाजविज्ञानियो ने भिन्न- भिन्न आधारो पर सामाजिक परिवर्तन एंव गति शीलता की व्याख्या की है। बेल्लन§1922·192§ विचार की आदतो को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते है। मार्क्स §1935·92 § ने उत्पादन प्रणाली को सामाजिक परिवर्तन की निर्णायक शक्ति माना है जबकि माल्थस § 1798 § जन संख्यात्मक कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिये उत्तर दायी मानते है शर्मा § 1961§ ने जातीय गतिशीलता को व्यावसायिक परिवर्तनो से सम्बन्धित माना है जबकि श्रीवास्तव्य §1962§ ने कुमाऊ की मेटियाजन जाति मे गतिशीलता के अध्ययन मे आर्थिक तत्व को

तथा वही पर कृषि कार्य एंव फलो का व्यवसाय करते है, इस विवाह के प्रति उनके परिवार तथा गांव वालो ने घोर असहमति व्यक्त की तथा दण्ड स्वरूप छोड़ना पड़ा वह भी एक विवाही एकाकी परिवार के पत्नि एंव बच्चो के साथ प्रशान्न पाया गया अतः बदलते हुऐ परिवेश को देखते हुए इस जन जातीय समाज के विभिन्न परम्परात्मक प्रतिमानो के तेजी से परिवर्तन हो रही है।

तालिका "क"

तालिका -शोधरत ग्राम एवं कुल आवास

क्रम सं0	ग्रामो के नाम	आवासो की संख्या
1-	लुधेरा	17
2-	चिल्ला	07
3-	जौनपुर बाजार	24
4-	सुमन कयादी	23
5-	प्रजेली	45
6-	ठकरा डी	18
	कुल योग	134

तालिका "ख"

तालिका -परिवारिक स्वरूप

	कुएरा	चिल्ला	जौनपुर बाजार	सुमन	प्रजली	ठकरा	डीयोग
	2	0	6	4	9	2	23
	14	5	14	17	23	14	93
	1	2	4	2	7	1	17
	0	0	0	0		1	1
	17	07	24	23	39	24	34

तालिका "ग"

ग्रामो मे उपजाति के आधार व परिवार

	ब	चि0	जौ0	सुमन	पुत्र	करण	योग
ब्राह्मण	0	00	07	03	32	01	43
राजपूत	11	04	06	13	00	4	38
शिल्पकार	2		02	02	02	04	12
कोल्टा	4	03	07	04	11	07	29

तालिका संख्या -1

अायु, लिंग एंव वैवाहिक स्थिति के आधार पर छ: ग्रामो के उत्तरदाताओं का विभाजन

आयु समूह वर्षों में	कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाता				सरकारी सेवा मे सेवारत उत्तरदाता				कुल योग	
	विवाहित		अविवाहित		विवाहित		अविवाहित		पुरुष	स्त्री
	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री
20वर्ष से कम	45	8	-	-	-	13	18	-	63	21
प्रतिशत	10•86%	8•57%				14•29%	4•00%		7•42%	11•42%
20-30	175	43	-	-	205	60	-	-	380	103
प्रतिशत	40•00%	48•58%			46•86%	69•57%			43•42%	58•58%
30-40	163	20	-	-	190	15	-	-	343	35
प्रतिशत									39•14%	20•00%
40-50	30	10	-	-	35	-	-	-	65	10
प्रतिशत	6•88%	11•42%			8•00%				7•42%	5•711%

50 से अधिक	23	8	-	-	-	-	-	-	23	8
प्रतिशत	5·15%	8·58%	-	-	-	-	-	-	5·15%	8·58%
योग	436	89			420		18		874	177
प्रतिशत	100%	100%			96·00%		4·00%		83·32%	10·07%

तालिका संख्या - 2

छ:ग्रामो के उत्तरदाताओं के विभिन्न पिढियो मे निवास स्थान की स्थिति

विभिन्न पीढिया	उत्तरदाता	सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो में पु0	स्त्री	सड़क यातायात से 5कि0मी0 की परिधि के अन्दर पु0	स्त्री	नगरो,कस्बो या उनके समीप अवस्थित ग्रामो में पु0	स्त्री
दादा का परम्परात्मक निवास स्थान	कृषि व्यवसाय से जुडे हुये	436	89	-	-	-	
	प्रतिशत	100%	100%				
	सरकारी सेवाओ मे सेवारत प्रतिशत	88 20·00%	5 5·71%	108 24·58%	23 25·71%	243 55·42%	
पिता का निवास स्थान	कृषि व्यवसाय से जुडे हुये	436	35	-	-	-	
	प्रतिशत	100%	100%	-	-	-	
	सरकारी सेवाओ में सेवारत -	65	3	113	18	260	
	प्रतिशत-	14.86%	2·86%	25·71%	20%	59·43	

उत्तरदाता निवास	कृषि व्यवसाय से जुडेहुये	436	89	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%	-	-	-	-
	सरकारी सेवाओ मे सेवा रत	-	-	133	10	305	78
	प्रतिशत	-	-	30•29%	11•42%	69•71	88•58%
आने वाली पीढ़ी के आवास के प्रति आकाक्षा	कृषि व्यवसाय से जुडेहुये	378	73	33	8	28	8
	प्रतिशत	86•29	82•85%	7•42%	8•57%	6•29%	8•57%
	सरकारी सेवाओ सेवारत	-	-	30	3	408	85
	प्रतिशत			6•86%	2•86	93•14%	97•14%

तालिका संख्या -3

विभिन्न पीढियां	उत्तरदाता	सभ्रात्रबहुपति तिवारी परिवार		अभ्रात्रबहुपतिविवाहीपरिवार		बहुपली विवाही परिवार		एकविवाहीपरिवा	
		पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री
दादा के परिवार का स्वरूप	कृषि व्यवसाय से जुडे हुये	436	89	-	-	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%						
	सरकारी सेवाओ मेसेवारत	436	89	-	-	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%	-	-	-			
पिता के परिवार का स्वरूप	कृषि व्यवसाय मेसेवारत	357	75	-	-	45	5	35	8
	प्रतिशत	81·71%	85·71%			10·29%	5·7%	8·00%	8·57%
	कृषि व्यवसाय से जुडे हुये	372	53	-	-	23	18	43	18
उत्तरदाता के परिवार का स्वरूप	प्रतिशत	85·14	60%			5·10%	20·00%	9·71	20%

	सरकारी सेवाओ मेसेवारत	190	–	–	–	–	–	258	89
	प्रतिशत	41·14						58·85%	100%
आनेवाली पीढ़ी मे परिवार के स्वरूप के प्रति अभिरूचि	कृषि व्यवसाय से जुडे हुये	371	67	–	–	23	13	42	8
	प्रतिशत	85·14%	77·14%			5·10%	14·28%	9·71%	8·57
	सरकारी संवाओ मे सेवा रत	–	–	–	–	–	–	436	89
								100%	100%

तालिका संख्या -4

छ : ग्रामो के विभिन्न पीढ़ियो मे उत्तरदाताअ के परिवार की व्यवसायिक स्थिति व भविष्य के प्रति आकांक्षा

व्यवसाय परम्परात्मक दादा का व्यवसाय	कृषि कार्य से जुड़े उत्तरदाता पु0	 स्त्री	सरकारी सेवाओ मे सेवारत उत्तरदाता पु0	 स्त्री
1- आखेट				
2- पशुपालन				
3- कृषि				
4- पशुपालन कृषि, प्रतिशत	330	45	438	87
	75•42%	51•42%	100%	100%
5- दैनिक मजदूरी				
6- पशुपालन + कृषि + दैनिक मजदूरी	108	42		
प्रतिशत	24•58%	48•58%		
7- व्यापार				
8- सरकारी सेवा				

1-पशुपालन				
2-कृषि				
3-पशुपालन + कृषि	345	48	375	63
प्रतिशत	78•86%	54•29%	85•71%	71•43%
4- दैनिक मजदूरी	23	12	-	-
प्रतिशत	5•14%	14•29%		
5- पशुपालन + कृषि + दैनिक मजदूरी	70	28	-	-
प्रतिशत	16•00%	31.42%	-	-
6- व्यापार			55	23
प्रतिशत			12•58%	25•71%
7- सरकारी सेवा			08	3
			1•71%	2•85%

3 भविष्य मे आने वाली पीढ़ी के व्यवसाय के प्रति आकांक्षा				
1–कृषि।पशुपालन	342	60	–	–
प्रतिशत	78•29%	68•58%		
2–दैनिक मजदूरी	60	23		
प्रतिशत	13•71%	25•71%		
3– व्यापार	–	–	110	23
प्रतिशत			25•14%	25•71%
4– सरकारी सेवा	35	5	328	65
प्रतिशत	8•00%	5•71%	74•86%	74•29%

तालिका " 5 "

छ: ग्रामो के उत्तरदाताओ की विभिन्न पीढ़ियो मे शैक्षिक स्तर तथा भविष्य के प्रतिआकांक्षा

शैक्षिक स्तर विभिन्न पीढियाँ	उत्तरदाता	अशिक्षित		प्राथमिक		जूनि0हाईस्कूल		इ0मिडियेट		स्नातक		परास्नातक	
		पु	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री0	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री0
दादा का शैक्षिक स्तर	कृषिव्यवसाय से	437	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जुडे, प्रतिशत	100%	100%										
	सरकारी सेवाओ से जुडे	437	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	100%										
	कृषि व्यवसाय से जुडे	437	85	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रतिशत	100%	97·14%	2·29%	2·86%								
	सरकारी सेवाओ से	382	68	48	20	8							
	प्रतिशत	87·42%	77·14%	10·86%	22·8%	1·72%							
उत्तरदाता का शैक्षिक स्तर	कृषि व्यवसाय से जुडे	400	80	38	8								
	प्रतिशत	91·42%	91·42%	8·59%	8·5%								

सरकारी सेवाओ से जुड़े	-	-	-	-	13	5	177	45	210	38	32	-	5	-
प्रतिशत					2·86%	5·72%	40·58%	51·42%	48%	42·86%			1·14	
बच्चो की शिक्षा के प्रति आकांक्षा — कृषि व्यवसाय से जुड़े	-	-	-	160	45	90	32	77	10	10	-	-	-	-
				59·43%	51·43%	20·58%	37·14%	17·71%	11·42%	2·58%				
प्रतिशत	-	-	-	-	-	-	8	5	130	30	257	45	42	8
सरकारी सेवाओ से प्रतिशत							1·75	5·72	29·7	3428%	58·86%	51·42%	7·72%	8·59%

तालिका संख्या -6

विवाह के विभिन्न स्वरूपो के प्रति छ: ग्रामो के उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति

विवाह को विभिन्न स्वरूप	कृषि व्यवसाय से जुड़े उत्तरदाता सहमत		असहमत		सरकारी सेवाओ से सेवारत उत्तरदाता सहमत			
	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री
बहुपति विवाह	330	68	107	20	-	-	437	87
प्रतिशत	7 5•42%	77•14%	24•58%	22•86%			100%	100%
बहुपत्नी विवाह	72	13	365	75	18	-	420	87
प्रतिशत	16•58%	15•28%	83•43%	85•72%	400%		96•00%	100%
एक विवाह	35	8	403	80	437	87	-	-
प्रतिशत	8•00%	8•58%	92•00%	91•42%	100%	100%		

3·4 शोध के परिणाम:- प्रदत्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि जौनसारी जनजाति की कुल जन संख्या का केवल वही भाग शिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति कर रहा है जो या तो नगरो मे या कस्बो मे या नगरो व कस्बों के समीप उपस्थित ग्रामो मे और या सड़क यातायात से 5 कि मी परिधि के अन्दर अवस्थित ग्रामो के निवास कर रहा है तथा विगत लगभग दो पिढ़ियो से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। जबकि सुदूर ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोगो में, प्रतिकूल परिस्थिति की एंव गरीबी के कारण शिक्षा का समुचित प्रचार प्रसार नही हो सका है ।

§जौनसारी §

जनजाति के शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आज अपने परम्परात्मक व्यवसाय जैसे कृषि पशुपालन आदि को छोड़कर सरकारी सेवाओ व व्यापार जैसे व्यवसायों की ओर उन्मुख हो रहे है। इस प्रकार जोनसारी जनजाति मे व्यवसायिक गतिशीलता जलाने मे शिक्षा की प्रकार्यात्मक भूमि का स्पष्ट होती है ।

§व्यावसायिक §

गति शीलता के साथ-साथ जौनसारी जनजाति के शिक्षित- व्यक्तियो मे शिक्षा के फलस्वरूप स्थानीय गतिशीलता की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और विभिन्न

सांस्कृतिक समूहो के सम्पर्क मे आने और उनकी संस्कृति व प्रथर, परम्पराओ को समझने मेसहायता मिली है शिक्षित पुरूष एंव महिला उत्तरदाता विवाह व परिवारो को प्रचलित परम्परागत मान्यताओ को त्याग कर एक विवाह एंव एक विवाही एकाकी परिवारो की ओर उन्मुख होते जा रहे है ।

यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ि की शिक्षा, व्यवसाय, विवाह एंव परिवार के स्वरूपो को निर्धारण मे वे आधुनिकतावादी दृष्टिकोण रखते है।

शिक्षा के अभाव मे कृषि व्यवसाय से जुड़े सुदूर ग्रामीण परिवेश से सम्बन्ध लोग व्यवसाय, विवाह, परिवार तथा भविष्य के प्रति लगभग यथास्थिति वादी अर्थात परम्परागत मान्यताओ के ही पक्ष पर है। यही कारण है कि उनमे न तो व्यावसायिक गतिशीलता के दर्शन होते है और न ही के विवाह व परिवार के प्रचालित परम्परात्मक स्वरूपो को ही लगाने के लिये सहमत है यहां तक कि आने वाली पीढ़ी के शैक्षिक, व्यावसायिक, वैवाहिक व परिवारिक जीवन के प्रति के परम्परात्मक दृष्टि कोणको ही अपनाये

मान्य उप समूहो केआधार पर विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि जौनसारी जनजाति के खासा उप समूह जो कि सबसे उच्चवर्ग है

इनमे परिवर्तन की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से पायी गई इस उप समूह के लोग शिक्षा प्राप्त करके सरकारी सेवाओ की ओर उन्मुख होते जा रहे है तथा परम्परागत स्वरूपो के प्रति इनका दृष्टिकोण सबसे तेजी से बदल रहा है ।

इन जनजाति के दूसरे उप समूह शिल्पकारो मे इस परिवर्तन का यह असर हुआ हैकि शिल्पकार समाज ग्रामो के पास के बाजार मे ज्यादा बस रहा है तथा परम्परागत व्यवसाय तथा दूसरे नये व्यापार भी कर रहा है इनमे सरकारी सेवाओ के प्रति अभिरूचि निजि व्यवसाय के अपेक्षाकृत कम पाई गयी,

इन जनजातीय समाज का सबसे निचला वर्ग जो कि पारम्परिक रूप से अछूत समझा जाता है उसे कोल्टा कह कर सम्बोधित करते है, इस वर्ग मे चमार, डोम इत्यादि भी आते है यह वर्ग पहले बंधुआ मजदूर के रूप मे जाना जाता था । सरकारी कल्याणकारी नीतियो के कारण बंधुआ तो नही रह गया हैकिन्तु उसकी आर्थिक एंव सामाजिक स्थिति मे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुआ है आज भी यह वर्ग स्थानीय धनी या उच्च वर्गो के यहॉ मजदूरी करते है कृषि पशुपालन जैसे परम्परात्मक व्यवसायो को अपनाये हुये है सरकारी सेवाओ के प्रति इनकी अभिरूचि तो है किन्तु शैक्षिक स्तर पर अत्यन्त पिछड़े होने के कारण इनमे से बहुत कम लोग सरकारी सेवाओ

मे जा पाये है वह भी प्राय: चतुर्थ श्रेणी मे ही सरकारी सेवाओ के उच्च पदो तक न पहुच पाने का कारण इनके शैक्षिक स्तर मे पिछड़े होने के साथ-साथ इनका पीढ़ियो से बधुआ रहे जाने के कारण मानसिक दासता मनोविज्ञानिक रूप से इनके मन मे बैठ गई है, जिससे सम्पूर्ण जौनसारी समाज अब भी मुक्त नही हो पाया है उच्च वर्ग या उच्च उप समूहो के लोग आज भी इन्हे अछूत मानते है तथा इन्हे आज भी बधुआ समझते है यहॉ दुखद पक्ष यह है कि यह निचला वर्ग भी स्वय अपने आपको उच्च वर्ग का गुलाम समझता है तथा वह मानता है कि उसका जीवन इन्ही की सेवा के लिये बना है इसके लिये यह वर्ग ईश्वर को उत्तरदायी मानता है तथा यह कहता है ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वह वैसा ही रहेगा । साबू कोल्टा ‖ ग्राम ठकराड़ी रवाई जि0 उत्तर काशी ‖ के शब्दो मे अब तो जी भगवान ने बना ही दिया तो चाकरी तो करनी ही पड़ेगी अगर ऐसा न होता तो किसी ब्राह्मण, राजपूत के यहॉ जन्म होता किसी कोल्टे के यहॉ नही, कोल्टे के घर मे पैदा हुये हो तो चाकरी तो करनी ही पड़ेगी किन्तु यहॉ एक बात है कि इस जनजातीय समूह का निचला वर्ग यह अनुभव तो करता है कि उसे भी समय के साथ-साथ परिवर्तित होना चाहिये किन्तु अपनी पीढियो से चली आ रही मानसिकता

के कारण वह ऐसा परिवर्तन अपने अन्दर कर पाने मे असमर्थ है - परिवर्तन की प्रक्रिया सबसे धीमे इसी उप समूह मे पायी जा रही है यही कारण है कि यह वर्ग आज भी परम्परात्मक स्वरूपो को अपनाये हुआ है ।

अध्याय - चार

निष्कर्ष

अध्याय-4

निष्कर्ष:- प्रस्तावित शोध कार्य के निम्नलिखित लक्ष्य निधारित किये गये थे ।

§अ§ इस बात का पता लगाना है कि जनजाति की परिभाषा से जौनसारी समाज कितना मेल खाता है ।

§ब§ जौनसारी समाज के पारम्परिक सामाजिक संघटन मे हुये परिवर्तनो को ज्ञात करना ।

§स§ इस बात का पता लगाना कि जौनसारी समाज के तीनो उप-समूहो मे कितना अन्योन्याश्रय है ।

प्रथम लक्ष्य को परिभाषित करते हुये हम पाते है कि नृविज्ञानियो ने जन जाति को इस प्रकार परिभाषित किया है - " जनजाति एक ऐसा विशेष जन समूह होता है कि जिस की अपनी बोली तथा संस्कृति होती है और जो किसी क्षेत्र विशेष को मूल निवासी होने के साथ ही साथ राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते है " यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार की जाति प्रथा मैदानी भागो मे प्रचालित है वैसी प्रथा जौनसारी जनजाति मे नही पायी जाती है। किन्तु यहाॅ जन संख्या दो वर्गों मे विभक्त की जाति है ।

एक ऐसा वर्ग जिसके पास अधिकार है तथा दूसरा ऐसा वर्ग जिसके हाथ मे कोई अधिकार नही होता है जमींदारी वर्ग धनी होता है तथा शेष लोग निर्धन कहे जाते है । जौनसारी समाज का सबसे निचला वर्ग स्थानीय नियमो के अनुसार भूमि का स्वामित्व नही प्राप्त कर सकता था उन्हे अपने मालिको के लिये काम करना पड़ता था जो कि खास कहे जाते है । इस निम्न वर्ग को अछूत समझा जाता है किसी जनजातिय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भूस्वामी बनने का अधिकार प्राप्त होता है किन्तु वर्ण व्यवस्था मे भूमि का स्वामित्व सर्वाधिक, प्रभावशाली जाति के पास होता है और उनका आर्थिक संगठन ऐसा होता है कि जिसमे अन्य जातियो खेती करने फल के एक भाग को प्राप्त करने के अधिकार के बदले सेवा कार्य करती है यदि हम उपयुक्त विवरण को ध्यान मे रखते है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जौनसारी जनजाति जाति के आधार पर विभाक्ति है जिनमे प्राप्त उप समूहो मे क्रमश ऊंचनीच का संस्तर नात्मक सम्बन्ध पाया जाता है सामाजिक - आर्थिक क्षेत्र मे अत्यधिक पिछड़े होने के कारण सन 1967 मे इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया जौनसारी जनजाति सिर्फ जौनसार- बाबर मे ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाये

हुये है, जौनपुर (टेहरी गढ़वाल) तथा खाई (उत्तरकाशी) में निवास कर रहे लोगो के अनुसूचित जनजाति का दर्जा नही दिया गया है । किन्तु नृविज्ञानीय दृष्टिकोण से इन तीनो क्षेत्रो मे रह रहे लोग जौनसारी कहे जाते है नृविज्ञानी इन्हे गैर अनुसूचित जनजाति की संज्ञा से सम्बोधित करते है ।

शोध कार्य के दूसरे अभीष्ट को परिभाषित करते हुये आकड़ो के विश्लेषण से, इस जनजातीय समाज के के पारम्पारिक सामाजिक संघटन मे हुये परिवर्तन का आसानी से ज्ञात किया जा सका । जैसा कि आंकड़ो के विश्लेषण के अध्याय मे वर्णित है ।

प्रस्तुत शोध का मूल उददेश्य जौनसारी जन जाति के तीन उप- समूहो के अन्योन्याश्रयन की सीमा का पता लगाना होने के इसके द्वारा किसी परिकल्पना का परीक्षण नही किया गया है । प्रस्तुत अध्ययनमे व्यक्तिगत आधार पर सूचना एकत्रित की गई है ।

जौनसारी जनजाति के अपने क्षेत्र केन्द्र पर वहां की ग्रामीण संरचना की विवेचना करने पर पुरी आवादी तीन वर्गों के पायी जाती है

सामान्य तौर पर वहां ग्राम- समूहो मे कुछ ही निधारित जातियां पायी जाती है जिनकी श्रेणी बद्व स्थिति इस प्रकार है :-

§1§ सर्व प्रथम प्रभावी शाली व्यक्तियो का समूह आता है जिन्हे श्रेष्ठ जाति समझी जाती है। इनमे ब्राहमण और खाता § राजपूत § आते है ।

§2§ मध्य श्रेणी मे बहुत सी जातियां पायी जाती है । इनमे बाड़ी, सुनार जोगडा, नाथ लोहार बाग जी इत्यादि आते है। ये जातियां उपर और निचले तबके के बीच की कड़ी भी समझी जाती है।

§3§ निम्न तबके मे सामान्यत: कोटे आते है तथा कही कही पर डोम और मोची भी माने जाते है ।

जाति व्यवस्था वहा की ऐतिहासिक व भू-आर्थिक परिदृश्य मे निहित है। इसकी सामाजिक मान्यता के पिछे धार्मिक आस्था भी जुडा हुआ है । ऐसा वहो के लोगो का मानना हैकि जातिगत

विभक्ति देवी अकातय है। इस सदर्भ मे यह कहा गया है कि जाति के प्रति समझाता वाही अभिप्राय जो वहा के निम्न व उच्च वर्गो के लोगो मे पाया जाता है हो सकता है कि किसी राजनैतिक प्रचार के कारण हो जैसे कि पाया जाता है कि इस लिये यह सदेह की स्थित है कि जौनसारी जनजाति के लोगो का विचार जाति के प्रति आपसी समझ-बूझ पर आधारित है। लेकिन इस सदेहास्पद स्थिति का निदान पुजली के ब्राहमण के वकत्व्य से हो जाता है । उसके अनुसार जाति ईश्वर की संरचना है। किसी भी स्त्रियां पुरूष का जन्म उच्च या निम्न वर्ग मे होता है । तो यह उसके पुर्व जन्म के कामो पर आधारित होता है। उच्च वर्ग मे जन्म लेने के लिए व्यक्ति को पवित्र सद्गुणो को आत्म-सात करना पडता है। इस सदर्भ मे व्यक्ति कुछ नही कर सकता । भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्व विद्यमान है। वह व्यक्ति द्वारा निष्पादित हर कर्म को देखता है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नही है और कोई भी व्यक्ति उसके इच्छा के विपरित नही जा सकता है। और अगर कोई भी मनुष्य उसके द्वारा स्थापित कानुन या धर्म के विपरित जाता है तो वह मृत्यु के आदनरक को प्राप्त होता है ।

यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि यही विचार जौनसारी जनजाति के सभी लोगो के बारे मे मान्य है लेकिन अधिकांश ब्राहमणो की यह मान्यता है और ज्यादातर लोग इसे स्वीकार भी करते है। हो सकता है एक निम्न वर्ग का व्यक्ति इस सिद्धांत से सहमत नही हो लेकिन उसे इस सिद्धांत पर प्रश्न चिहन खडा करने का साहस नही है। चाहे जिस तरह भी हो यह एक धार्मिक अवधारणा है जिससे सभी जातियां सहमत है चाहे यह कितना भी अप्राकृतिक क्यो न हो । इस सदर्भ मे बहुत से उदाहरण -

> " किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु किसी दुघटना वक हो गई हो इसे जाति व्यवस्था का खिलाफ जाने का परिणाम माना जाता है । "

यहां जौनसारी लोगो की जाति व्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे इस जनमात्र के उपसमूहो की अन्यायोन्याश्रित स्पष्ट होती है ।

उच्च वर्ग

सामान्यत: उच्च वर्ग समूहो मे ब्राहमण व राजपूत ॥ खासा ॥ आते है। लाखामण्डल मे लोग रावत और राजपूतो मे अंतर समझते है। रावतो को वहाँ के स्थानीय पुराने राजाओ के वंशज समझते है। यह भेद जौनसार मे लाखामण्डल के सिवा और कही नही पाया जाता है। यह विचार गढवाल के सिद्वान्तो से मेल खाता है। दुसरी तरफ ब्राहमणो मे भी कभी-कभी दो समूह देखने को मिलता जिनमे एक दो राजपूतो के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते है पर दुसरा समूह ऐसा नही कर सकता है।

ब्राहमणो और खासा राजपूतो दोनो की सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग बराबर है। दोनो ही जातियाँ एक तरफ समाज मे जमीदार है और दुसरी तरफ गाँव के प्रभावशाली वर्ग भी इन्ही लोगो का है। नियमानुसार जो पहले भी कहा जा चुका है ये ही वो दो जातियाँ है जो गाँव मे प्रभावशाली भूमिका अदा करते है, यही इनके व्यवस्था का इतिहास भी है और इसीके अनुसार वहाँ के गाँव राजपूत गाँव का ब्राहमण गाँव के रूप मे जाने जाते है।

चिल्ला दोनो राजपूत गांव है जबकी लाखामण्डल एक ब्राहमण गांव है। कोई भी ब्राहमण चिल्ला मे निवास नही करता है जब कि एक मात्र ब्राहमण परिवार का कुधेरा मे तथा दो नये राजपूत परिवारो का लाखामण्डल मे कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नही है ।

कर्म-काण्डो की दृष्टि से ब्राहमणो की स्थिति राजपुतो से उपर है। ब्राहमण वैदिक व धार्मिक क्रिया- कलापो से जुडे होते है । केवल ब्राहमण ही मंदिर के गर्भ स्थान तक जाकर पुजा कर सकते है। धार्मिक बलिदान का समारोह को संपादित करना उनका कर्तव्य है। वे कथा का आयोजन करते है और कभी-कभी व्यक्ति का भविष्य भी बताते है तथा जन्म पत्री बनाते है। वे मदित सेवन नही करते है लेकिन राजपूतो की भांति मांस सेवन करते है ।

राजपूतो को राजाओं और योद्धाओं का वंशज माना जाता है जो पुराने समय मे अपने कुछ परिवारो तथा पुरोहितो के साथ जौन सार जीतने आये थे। राजपुतो तथा ब्राहमणो की उत्पत्ति के बारे मे निश्चित पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता है। लेकिन राजपूत

उच्च जातियो मे बहुमत मे पाये जाते है तथा पुन: सम्पूर्ण जौन सारीयो की जन संख्या मे उनका बहुमत है। जोसबसे प्रमुख है। यह है कि दोनो ही जातियां लगभग सामान्य रूप से दूसरी जातियो द्वारा सम्मानित की जाती है ।

मध्य वर्गीय जातियां

मध्य वर्गीय जातियो के बीच कोई निश्चित एक रूपता नही पाई जाती है लेकिन व्यवहारिक कार्यवाही वश उन्हे एक श्रेणी मे रखा जा सकता है साधरणता इन जातियो के बीच सामाजिक स्थिति को लेकर कोई ज्यादा भेद भाव नही है ये उच्च जातियो से नीचे तथा निम्न जातियो के ऊपर एक क्रम मे आने माने जाते है । इसके बावजूद इन जातियो के बीच कार्य तथा सामाजिक आधार पर हमे इनकी सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन करना है इन जातियां मे बढ़ी ≬बढ़ई≬ सुनार उच्च जातियाँ समझी जाती है । जिसका प्रभाव लगभग एक बराबर है जबकि जौहार और वाजगी इनमे काफी नीचे समझ जाते है ।

जोगरा और नाथ की स्थिति कोई निश्चित नही है कभी-कभी इनका भेद करना दुश्कर प्रतीत होता है सामान्यता यह बाजमियो से उपर तथा बढई से नीचे समझे जाते है ।

यह किसी की भी गांव मे सभी मध्य वर्गीय जातियां नही बल्कि उनमे से कुछ एक पायी जाती है हमारे फीलसेन्टर के छ गांव मे केवल बढाई, सुनार, बाजगी चमार इतने ही पाये गये उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है - वाड्डी { बढई } पारम्भारिक बढई व्यवसाय तथा भवन निर्माण मे कुशल होते है ये सभी गोवो मे नही भी पाये जा सकते है कुधेरा ग्राम मे कोई बढई नही था तथा जैनबाग मे दो बढाई परिवार पाये जिनकी बाजार मे दुकाने थी ।

स्थानीय दृष्टि से के सुखी सम्पन्न थे, जाति क्रम मे वे राजपूतो की ठीक बाद आते है लेकिन उच्च वर्ग में उनका स्थान नही है ।

सुनार लोग परम्परागत रूप से स्वर्ण कार है तथा यह गांवो मे बहुत कम पाये जाते है अपने क्षेत्र अध्ययन मे सिर्फ पुरोला मे सुनार

परिवार मिले और जो कई पीढ़ी पूर्व सुदूर गांव से यहा आकर बसे थे उनका कृषि की तरफ कोई झुकाव नही है किन्तु वर्तमान समय मे फलो के बाग लगाते है जीविकोपार्जन के लिये पारम्पारिक पेशे पर निर्भर करते है ।

इनकी सामाजिक स्थित वाड्ढीओ के समकक्ष समझी जाती है, कही- कही इन दो जातियो के बीच वैवाहिक सम्बन्ध पाये जाते है ।

§ जोगरा एंव नाथ §

मुझे अपने क्षेत्र मे एक के गांव मे एक भी जोगरा परिवार नही मिला परम्परागत रू से इनका काम मार्ग दर्शको का होता है ये गांव मे महाब्राहमण भी कहलाते है जो कि मृत्युसंस्कार के उपरान्त दान मे दी गयी वस्तुये ग्रहक करते है लाखा मण्डल मे जोगराओ की स्थिति बाइडीयो से उपर समझी जाती है। जोगरा नाथ के रूप मे माने जाते है। किन्तु किन्ही स्थानो पर पाये जाने वाले नाथो की स्थिति सामान्य श्रेणी मे काफी नीचे आते है। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान मे किसी नाथ परिवार नही मिला वैसे नाथ अपना सम्बन्ध गुरू गोरखनाथ से बताते है तथा अपने को उनका अनुयायी बताते है

तथा अपने को उनका अनुयायी बताते है राज्य सरकार इन्हे आठवी अनुसूची जाति मे सम्मिलित कर चुका है नाग जादूगर भी होते है एंव जडी बुटियो के माध्यम से दवा भी करते है यह खेती भी करते है जोगरा एंव इन क्षेत्रो मेें अल्प संख्यक समूह मे समझे जाते है ।

बाजगी- यह प्राय: सभी जगह पाये जाते ,व्यवसायिक रूप से ढोल बजाते है, तथा नाउ एंव सिलाई का काम करते है वर्तमान समय मे यह सभी जगह पाये जाते है क्योकि उन्हे शादी, मृत्यु जन्म, त्योहार, आदि मे ही नही रोज मंदिरो मे बाजा बजाते होता है, मध्य वर्गीय उप समूहे मे यह सबसे निम्न होते है यहा एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय हेकि बाजगी महिला मंदिर मे प्रवेश कर सकती है अन्य स्त्रियां नही चाहे वह उच्च समूह की हो या किसी भी समूह की ।

निम्न वर्ग

इन समूह मे मुख्यत: कोलरा चमान एंव डोम आते है । जो कि पारम्पारिक रूप से भूमिहीन कृषक मजदूर होते थे सामान्यत: हर गांव मे पाये जाते है वह कृषि मे जमिदारो द्वारा मजदूर की तरह

ही नही बल्कि गांव मे और भी प्रकार से काम करते है जैसे सन्देशवाहक एंव जानवरो पर से चमड़ा उतारने का काम करते है तथा चर्मशिल्प का कार्य करते है कपड़ो की बुनाई तथा दरी आदि बनाते है। कलोल्टो की दो उप जातियां है चमार तथा डमे चमार डोमो से उच्च माने जाते है कभी- कभी यह अलग भी समझे जाते है तथा कोल्टा चमार डोमो को अछूत समझते है तथा उनसे विवाह भी नही करते है तथा उनके स्थान पर हुक्का भी नही पीते है, ऐसा लगता है कि कोल्टाओ मे यह जातिगत विभेदीकरण उच्च वर्ग द्वारा किया गया है।

अन्तर्राजातीय एकता तथा जातीय भेद

जौनसारी जनजाति उप समूह क्रम भारत के अन्य समूहो की तरह की उसमे भी अन्तरजातीय एकता तथा अन्तराजातीय भेद भाव का चरित्र पाया जाता है। इस पुरे सन्दर्भ मे सबसे ज्यादा चर्चित अन्तर्जातीत विवाह है यह सत्य है कि ब्राहमणो राजपूतो को बीच अन्तरजातीय विवाह मान्य है किन्तु यह प्रचलन कुछ क्षेत्रों तक ही समिति है जहां पड़ोसी राजपूत एंव ब्राहमण गांव एक वैवाहिक वृत्तीय क्रम बनाये हुये है। कुछ ऐसे भी बाहमण है जिन्होने राजपूतो के साथ

अर्न्तविवाह की कभी स्वीकृति नही दी अन्तजातीय विवाह कभी भी उच्च वर्ग से नीचे तथा नीचे से ऊपर वर्गों मे नही होता है इसी तरह मे वाड़ियो मे एंव सुनारो मे भी अर्न्तजातीये विवाह होता है । इसके अतिरिक्त दूसरे किसी भी प्रकार का अन्तजातीय विवाह मान्य नही है यहां तक कि अन्तजातीय शारिरिक सम्बन्ध या परगमन अगर साबित हो जाये तो इनके गंभीर परिणाम भुगतने होते है ऐसा लगता है कि जातियां संघरन जो इतनी कठोर है के विगत कुछ सालो से अपनाई गयी है और ऐसा समझा जाता हैकि यह मैदानी इलाको का प्रभाव है ।

निम्न उप समूहो मे एक समाना होता है जो कि अपने जाति के लोगो का ख्याल रखता है तथा उच्च श्रेणी मे समाना का पद गांव एंव खास स्तर का होता है ।

वर्तमान परिदृष्या मे तीनो उप समूहो की अन्योन्याश्रिता सामाजिक जातिगत रूप से से यथा वत उपरोक्त विवरण के अनुसार ही मान्य हैकिन्तु इस जनजातिय समाज की आर्थिक अन्योन्याश्रिता पर

समाज मे हो रहे परिवर्तनो का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है । प्रत्येक उप समूहो के लोग परम्परात्मक व्यवसाये के साथ-साथ नये व्यवसायो की शुरूआत कर रहे है तथा बाहर के बाजारो मे वस्तुओ की बिक्री करते है पहले सेवा कार्य के बदले मे धनी वर्ग निम्न वर्ग को अनाज एवं कपडे इत्यादि दिया करता था किन्तु निम्न र्ग अपने सेवा कार्य को बदले मे अब दिहाडी मजदूरी लिया करते है जो कि वर्तमान समय मे 50 वे 75 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से है यह मजदूरी का काम अपने गांव या आस = पास न मिलने की स्थिति मे ही यह दूर जा कर करते है अन्यथा गांव मे ही या आस - पास कृषि- मजदूरी किया करते है । आर्थिक अन्यायान्याश्रम के है अब लगभग मृतप्राय है क्योकि अब कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को अब इस लिये उधार नही देता है कि वापस मिलने की उम्मीद नही होती है तथा सरकारी नीतियो के कारण निम्न वर्ग के लोगो से डरा - धमका कर काम नही करवाया जा सकता है ।

बदलते हुये जीवन मे इतना परिवर्तन जरूर हुआ है कि अब ब्राम्हण हरिजनो की बस्ती मे संस्कार कर्म इत्यादि कर्म करवाने जाने

लगे है तथा पहले जो हरिजन या अछूत वर्ग मंदिर मे प्रवेश का अधिकारी नही था अब वह चाहे तो देवता के दर्शन कर सकता है यह और बात है कि यह निम्न वर्ग स्वय ही देवता के कोप से डर कर कि देवता विनाश कर देगा मंदिर मे प्रागणमे भी नही जाते है इसी संदर्भ में ग्राम पुजेली के मंदिर के पुजारी श्री हरेकृष्ण जोशियाल ने बताया कि "स्थानीय विधायक के आने पर (जो कि जाति के हरिजन है) मंदिर कर दरवाजा खोल दिया गया ताकि वे देवता के दर्शन कर सकें किन्तु विधायक बाहर से ही शीश नवां कर तथा प्रसाद चढ़ा कर लौट गये तथा पुजारी के बार- बार कहने पर भी मंदिर के अन्दर नही गये, उपरोक्त सभी विवरणो को ध्यान मे रखा जाय तो यह पाया जाता हैकि वर्तमान समय मे जौनसारी जनजाति के उप-समूहो की संरचना का आधार डावाडोल हो रहा है तथा उनमे आपस की अन्यायोन्याश्रिता भी समाप्त हो रही है धीरे-धीरे इस जन जातीय समाज का सबसे निचला वर्ग भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिये प्रयास कर रहा है तथा इसी प्रयास के फलस्वरूप धीरे-धीरे यह वर्ग भी गांवो से शहरो

की ओर उन्मुख होता जा रहा है तथा परम्परात्मक स्वरूपो को भूलता जा रहा है, कुछ समय के बाद प्रतीत होता है कि जौनसारी जनजाति की सांस्कृतिक विविधता सिर्फ पुरानी पुस्तको की ही वस्तु बन कर रहजायेगी तथा आने वाली पीढ़ी अपनी ही संस्कृति के बारे मे किस्से कहानियां इत्यादि सुनेगी व सुनायेगी :- ।

जौनसारी जनजाति का दस्तूर-उल-अमल

मि०ए०रौस के अनुसार अंकित- जौनसार- बाबर का दूस्तूर-उल-अमल,
मि०जे०सी० रार्वटसन के संशोधन एवं परिवर्धन सहित (मिस्टर ए० रोश)

जैसा की राजस्व जमिदारो की संपदा तथा उनके कृषि योग्य भूमि पर निश्चित किया जाता है लेकिन व्यक्ति के चल सम्पत्ति जैसे बकरी, भेड़, कृषि- जानवर, मजदूर तथा कृषि का उपज भी जान लेना जरूरी होता है ताकि समयानुसार कर निर्धारण मे इनका भी ध्यान रक्खा जाय । इस लिए समयानुसार कर परिवर्तन जरूरी था ।

(राजस्व सिर्फ जमीन पर तय किया जाता है)

जमीन की नापी बीघा और बिसुआ मे नही होती है जैसा कि आम तौर पर होता है । जमीन की नापी तथो ( ) के अनुसार की जाती है जैसे कि किसी खेत मे जितने पथ बीज डाले जाते है उसे उतना ही नापा जाता है जैसे अमुक खेत चार पथ का है । नये नापो मे सरकार ने सारे कृषि योग्य भूमि को एकड़ मे नापी करवायी । एक एकड़ बराबर चार बीघे के बरा बर समझा जाता है ।

(अब एकड़ मे होता है)

दो तरह के कृषक होते है एक मौसमी तथा दूसरा गैर मौसमी किसान ब्राहण और राजपूत जाति के होते है जिन्हे अपने खेत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है जिसके तहत वे खेत बेच या बदोबस्त कर सकते है। उन्हे गांव मे हर तरह से हक व सम्मान मिलता है । लेकिन गैर मौसमी किसानो को जमीन बेचने व बदोबस्ती का अधिकार नही रहता है वे जिस जमिंदार की खेत जोतते है उसे कर स्वरूप रूपया देता होता है ।

§ 1975 मे जो खेत जोतता था उसी का हो गया । गैर मौसमी नही रह गया । §

अगर कोई मौसमी किसान गांव छोड़कर कही अन्यत्र चला जाता है तो ऐसी अवस्था मे उसका खेत उसके भाई, भतिजा अथवा किसी नजदिकी रिश्तेदार को सुपूर्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नही रहने पर गांव का सयाना उस खेत को मौसमी किसानो के बीच बांट देता है लेकिन अगर यह व्यवस्था मान्य नही होती तो सयाना उस खेत को गैर- मौसमी व्यवस्था के तहत निश्चित राजस्व पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है । इसके वावजूद भी अगर कोई खेत उपरोक्त निर्धारणो द्वारा नही तय हो पाता तो सामाना उस जमीन को पूरे खेत के लोगो

मे सामर्थ्य के मुताविक बांट देता है लेकिन कोई भी डोम बनगी अथवा कोई भी निम्न वर्ग ऐसे जमीन का हकदार नही हो सकता है। केवल राजपूत और ब्राहमण ही गैर मौसमी अवधि के तहत इसे रख सकते है ।

{कोल्टा बाजगी को भी दिया जाने लगा है, उसे बेच नही सकते है}

पलायित कृषक के बारे मे नियम यह था कि बगैर किसी समय सीमा के भी वह पुन: कभी अपना जमीन मांगे अथवा उस गांव पुन: वास करना चाहे तो सरकार को समुचित कर देकर अपनी सम्पत्ति वापस पर सकता है। वह अपने पूर्व सम्पत्ति का तब तक अधिकारी जब तक की वह कही मौसमी किसान न बन जाय अथवा वह अपने अधिकार से इस्तिका दे दे बेनामा अनुबन्ध पर दस्तखत करके ।

इस व्यवस्था के तहत राजस्व की हानि होती थी जिसके चलते अब सरकारी आदेशानुसार पलायित कृषक पांच वर्ष के भीतर ही अपने पुर्व जमीन की मांग कर सकता है। उसके बाद जमीन नये किसानो को दे दी जायेगी बगैर इस तथ्य को ध्यान मे रखे कि विस्थापित कृषक कही का मौसमी किसान बना अथवा नही -

{ऐसी ही है}

अगर ससायना किसी को मौसमी अथवा गैर मौसमी कृषक बनाता है तो इसके लिए उस कृषक को सयाना द्वारा बन्ध पत्र दिया जाता है। ऐसे कृषक को दो रूपये ससायाना को चार रु0 तथाएक बकरी पंचायत को तथा दो रूपया उस गांव के निवासियो को देना होता है जहां का उसे मौसमी किसान बनना है।

(अब यह प्रथा समाप्त है, ससायना नही बना सकता है)

किसी भी खेत या मेहला का किसान दुसरे जगह जा कर बस जाता था तो उसे पहले का और वर्तमान दोनो जगहो पर कर देना होता था लेकिन अब सरकारी आदेशानुसार उसे केवल वर्तमान स्थान पर कर देना होता है ।

(ऐसा ही है)

अगर कोई किसान अपने पिछे स्त्री तथा बच्चो को छोड़ कर मर जाता है तथा उसकी विधवा दुसरे पत्ति के साथ सहवास करती है तो ऐसी अवस्था मे उस पति को विधवो की सम्पत्ति का गैर मौसमी अधिकार मिलता है। तथा उस पति को निम्नांकित अनुबंध पत्र करने पडते है ।

जिसके तहत उन दोनो के सहवास से अगर कोई सन्तान उत्पन्न होती है तो वह संतान केवल एक तिहाई जायदादका हिस्सेदार होता है तथा दो तिहाई पूर्व पति की संतान का होतहै । और अगर कोई किसान के उपर कर्ज है और उसकी मत्यु हो जाती है तथा उसका कोई वारिस नही है तो जो भी व्यक्ति उस जमीनपर अपना स्वामित्व रखता है उसे पुर्व किसान के सारे कर्ज अदा करने होगे ।

§ ऐसा ही है §

अगर किसी परीस्थीत जमीन को खेती के अन्तर्गत लाया जाता है तो गांव की प्राकृतिक सीमाएं जैसे पेड, खुद §   § नहर नालो आदि का भी ध्यान रखना होता है। भेड बकरियो के लिए चारागाह के वास्ते जमीन सीमा के बाहर भी लिया जा सकता है ।

§ ऐसा ही है §

§   § कुछ वृक्षो को छोड़ कर जैसे जो पेड़ गांव की सीमा से लगे या खेतो से सहे हुए जो कि जिमंदारो द्वारा लगाये गये होते, सारे वृक्ष सरकारो सम्पत्ति होती है। लेकिन जमिदारो को इतना

अधिकार होता है कि वे इसे काट कर हल अथवा घर बनानेके काम मे ला सके या इनका घरेलू उपयोग कर सके लेकिन उन्हे बेचने का अधिकार नही है। तथा जिनके खेतो मे देवेदार वृक्ष नही होते है वे दूसरे जगह से काट कर लगाने हेतु ला सकते है। और जहां से वे इसे लाते है उस व्यक्ति को इस पर कोई अधिकृत शुल्क अदा करना नही होता है ।

§ ऐसा ही है §

लोगो को सारे वासी जंगल तथा उनसे पायी जाने वाली औषधियां जैसे कुकुआ, सिंधी पर पूरा अधिकार होता है जिसके लिए कि वे कर देते है । उन जंगलो मे उन्हे जान कर चराने का भी अधिकार है। लेकिन दूसरे अधिकार जैसे खुदाई आदि पर सरकारी नियंत्रण होता है । कोई भी जमिदार किसी भी परीत जमीन अगर वह किसी खुद के अन्तर्गत नही आता है तो उसकी जुताई नही कर सकता है । इसके लिए उन्हे समाहर्त्ता §   § से अनुमति लेनी पड़ती है। और सरकार को किसी को भी जमीन बेचने अथवा वहजिसे चाहे देने का पूरा अधिकार होता है ।

§ ऐसा ही है §

अगर किसी खेत के सीमा निर्धारण मे विवाद उत्पन्न होता है तो वह या तो पंचायत अथवा शपथ के द्वारा निपटाया जाता है। शपथ की प्रक्रिया वही लागू होती है जहां पर निपटारा पंचायतके द्वारा संभव न हो । जिस व्यक्ति के पास के पास अधिग्रहण होता है उसे शपथ लेनी पडती है और अगर सायाना भी चाहे तो वह भी शपथ ले सकता है और अगर वह इन्कार कर गया तो विपक्षी पार्टी को शपथ लेनी पड़ती है। खेत के अन्तर्गत किसी भी जमीन विवाद का निपटारा इसी प्रकार किया जाता है ।

ऽ ऐसा हो है मुकदमे बाजी कम होती है ऽ

ऽ ऽ नापी कर लेने के बाद तथा सीमा-संभा चारो तरफ लागाकर ताकि आगे कोई विवाद न हो फैसले के पन्द्रह दिनो के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है जिसमें फैसले संबंधी सारी बाते तथा दोनो पक्षो की प्रतिक्रियाएं और अगर किसी पक्ष को किसी तरह का उससे असतोष है सारी बाते सम्मिलित होती है। और अगर पन्द्रह दिनो के भीतर कोई प्रतिक्रिया नही आयी तो फैसले को स्थाई समझा जाता है ।

ऽ ऐसा ही है ऽ

पंचायत के रिवाज के अनुसार अगर कोई विवाद पंचायत द्वारा तय किया जाता है तो ऐसी अवस्था मे दोनो पक्षो द्वारा पंचायत को एक-एक रुपया देय होता है। तथागंभीर विवाद सीमा को लेकर अथवा स्त्रीहरण या जैसा पैरा-6 मे और 15 मे वर्णित है ऐसे मामलो मे सम्बद्धपक्षो द्वारा पंचायत को दो- दो रुपये देय होते है।

§ ऐसा ही है किन्तु रुपये का निर्धारणपंच स्वय करते है । §

सम्पूर्ण परगना के अन्तर्गत पैंतिस खुट होते है। प्रत्येक खुट के तहत कुछ गांव होते है । खुट का प्रमुख सयाना कहलाता है। समाना ने कार्य निम्नवत है । जिमीदारी को सतुष्ट रखना, नियमानुसार सरकारी बकायें के वसूली करना, सामर्थ्य के मुताविक सभी को समान हिस्सा देना, सारे झगडो को सुलझाना नये रैयतो के कल्याण के लिए देख भाल करना सयाना और जिमीदार एक हि जाति एंव पितृत्व के होते है लेकिन ससाने की पदवी वंशगनुगत होती है। किसी किसी खुट मे ससायानो और जमिदारो के बीच जाति भेद भी पाया जाता है ।

§ कानूनी तौर पर सयानो को कोई अधिकार नही है

§ § एक कुट के तहत केवल एक महरम होता है । अगर कोई रैयत बकाया नही देता है तो ससाना उस धन के लिए अदालत मे उसके आवेदन कर सकता है। किसान के गांव छोड कर भाग जाने पर वह तहसीलदार के द्वारा उसकी सम्पत्ति कि कुर्कि करता है ताकि सरकार घाटे मे न रहे और आगे उसकी सम्पत्ति कर स्वरूप सरकार द्वारा जप्त कर ली जाती है । और किसी तरह वह कर वसुली नही कर पाता तो उसे कुट के अंदर पुट § की व्यवस्था करनी पडती है। पुट बंदी § § दिसंबर मे तहसील मे प्रस्तुत कर देना होता है और अगर सयाना किसी तरह यह नही कर पाता तो उस कर का देय उसी को करना होता है। लेकिन अगर अपर से कोई आदेश इस संबंध मे नही आता तो सरकार के समक्ष अप्रैल तक अपना पक्ष प्रस्तुत देना होता है ताकि विवाद का निपटारा किया जा सके ।

§सयाना अब कुछ नही करता है वसूली राजस्व विभागस्वय करता है §

सयाने की नियुक्ति निम्नलिखित तरीके से होती है । सयाने के मृत्यु के पश्चात उसका बडा बेटा उस पद का उत्तराधिकार होता है लेकिन अगर उसकी उम्र अभी नही हुई या किसी तरह की कोई कमी रहने पर भी पउ उसी के नाम

रहता है। उसका भाई या कोई दुसरा बेटा को वह अपने सहायकके तौर पर रख सकता है जिसे नायब कहते है। अगर सयाना चाहे तो अपने ' जीवन काल मे ही अपने बड़े बेटे को समाने के पद पर नियुक्त कर सकता है । लेकिन सयाने के बड़े भाई का इस पद पर कोई अधिकार नही होता क्योकि वे जमीदार होते है। लेकिन अगर वह चाहे तो विसुवा ((का कुछ अंश उन्हे दे सकता है । सम्पत्ति के बंटवारे मे सारी चोजे तो बांटी जा सकती है लेकिन सयाना-चारी पर कोई बंटवारा नही हो सकता है। छोटे बेटे को सयाने की पदवी नही मिल सकती है ।

(ऐसा ही है किन्तु बड़े बेटे के अक्षम होने पर दुसरे का नम्बर होता है (

अगर बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है और अगर उसके भी लड़के है तो ऐसे लड़के इस पद के दावे दार हो सकते है। और दुसरा कोई दावेदार नही हो सकता है ।

(ऐसा ही है (

अगर सयाना किसी को नामित किये बगैर मर जाता है तो ऐसी अवस्था मे उसकी पत्नि इस पद की दावेदार नही हो सकती है सयाने का भाई तब पदासीन हो सकता है ।

(ऐसी ही है (

एक कुट के तहत बहुत सयाने होते है लेकिन वही सयाना प्रमुख समझा जाता है जिसका आदेश व अधिकार सारे कुट पर होता है इस पाराग्राफ मे ऐसे सयाने के गांव को कुड कहा जाता है ।

ऐसा ही है

अगर सयाना किसी तरह राजस्व की हानि पहुचाता है या सरकारी आदेशो के खिलाफ काम करता है या कठोर तरीको से रैयतो को तंग करता है या गलत तरीके से रैयतो द्वारा दंड वसूल करता है अथवा अपने से श्रेष्ठ अधिकारियो के आज्ञा बरतने मे कोताही करता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था मे जिस व्यक्ति की अगली दावेदारी है और वह सारी योग्यताओं को पूरी करता है तो उसे सयाना चारी के पद पर आसीन किया जा सकता है बसर्ते की जिला कार्यालय द्वारा उसकी संतुति कर दी जाती है। और अगर वह व्यक्ति अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना नही चाहता है वे वह निम्न लिखित तरीको से इस्तिफा दे सकता है ।

ऐसा ही है

पहले कि उसे अपने भाई के पक्ष मे इस्तिफा देना होगा उसके बाद किसी और के लिए लेकिन वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को नामित नही

कर सकता जिससे कि उचित दावेदार के साथ अन्याय हो ।

§ अब सयाना प्रथा लगभग समाप्त कहीं

पर सयानो को सामाजिक मान्यता प्राप्त है

बहुत से खुट के प्रत्येक गांव मे एक पदाधिकारी होता है जो सयाने से कनिष्ठ होता है जिसे जिले की भाषा मे पद रखता §   § कहते है । यही जमीदारो मे तथा उसके बीच उर्फ पाया जाता है । किसी - किसी खुट मे सयाने अपने हिस्से का एक या दो रूपया जमीदारो को दे देता है । अथवा - नालिश के खत्म हो जाने पर पक्षो द्वारा जमीदारो को कुछ दिलवा देता है । ये चुकरेत §   § खुट के सारे कार्य सयाने की देख रेख मे करते है और अगर वह आज्ञा का पालन नही करता तो सामने को उसे बर्खास्त कर नये चुकरैत की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार है ।

§ अब लगभग 20 वर्षो से इसमे परिवर्तन है

अब प्रधान होते है तथा चुकरेत प्रथा समाप्त

अगर सयाने को कचहरी अथवा जिला कार्यालय जाना होता है तो एक नौकर एक कुली हो जाने की सुविधा है जिसके लिए उसे प्रत्येक जमीदार अट्टा § का एक §   § मिलता है । पहले के अनुसार सयाने का भारी खर्च परगने के

सारे जमीदारो के ऊपर बाँट दिया जाता था लेकिन जमीदारो पर ज्यादती के चलते इसे समाप्त कर दिया गया और भविष्य मे एक सयाना को साल मे एक बार प्रत्येक जमीदारो से जुम्मा के प्रत्येक रूपये पर आधा आना की दर से शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई और उसी से उसे खूट का सारा कार्यभार देखना होता है ।

(अब ऐसा नही है)

इसके अलावा उसके लिए छोटे- मोटे शुल्को की भी अदायगी मान्य है जो उसके कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित है ।

अगर कोई जमीदार अपना जमीन बेचना चाहता है तो उसको सयाने के द्वारा उस जमीन के हिस्सेदारो तथा खूट के जमीदारो से पूछ लेना होता है । उस खूट का जो भी उस जमीन को खरीदना चाहे वह खरीदकर दूसरे खूट के लोगो के हाथ न बेच सकता है न गिरवी रख सकता है ।

(ऐसा था पर अब ऐसा बदी नही किसी को भी बेच सकता है किन्तु सामाजिक तौर का यह ही मान्य है ।)

पहले के अनुसार खरीददार व्यक्ति उस जमीन का कर देता था और गिरवी जिसके पास रहती थी वह कर नही देता था लेकिन इसे बदल दिया गया ।

बदले हुए व्यवस्था के अनुसार खरीद या गिरवी दोनो हाल मे जिसके पास जमीन होती है उसे कर देना होता है ।

( ) गिरवी के मामले मे शर्त ये होती है कि सिर्फ जमीदारी अधिकार का ही हक होता है ना कि जमीन का । लेकिन यह शर्त तभी तक मान्य होता जितने दिन का अनुबंध हो या गिरवी का पैसा दिया हुआ हो या गिरवी रखने वक्त जैसा अनुबंध हुआ हो । गिरवी के तहत जिस व्यक्ति के पास जमीन हो कर भी उसे ही देना होता है । गिरवी संबंधी सारे शर्तो को घुट-बढ़ी ( ) मे दाखिल करना हो-ता है ।

बिक्री के संबंध मे अगर खरीदेन वाला और बेचने वाला दोनो एक ही खूंट के रहने वाले होते है तो खरीदने वाला बेचने वाले के रिश्तेदार को भोज दिया करते है तथा उनके तरफ से गवाहो को चार आना की दर से जितना बिक्री का मूल्य होता है पाते है। खूट का सयाना बेचने वाले के रिश्ते दार तथा अन्य निवासी बिक्री को मान्यता प्रदान करता है । और अगर खरीदने वाला दुसरे खुट का निवासी होता है तो उसके रिश्तेदार भी इसके गवाह बनते है लेकिन इसके लिए उन्हे कुछ भी भुगतान नही किया जाता है ।

(यह प्रथा समाप्त है जिला कार्यालय रजिस्टर होती है। भोज समाजिक तौर पर प्रतिष्ठा परक होने के कारण मान्य है ।)

गिरवी के संबंधमे अंतिम स्वीकृती सयाने द्वारा प्रदान की जाती है गिरवी के लिए कोई निश्चित समय सीमा नही होती है और नही कोई शुल्क देना होता है। सयाना को लिखा पढी वास्ते चार आने मिलते है। गिरवी का कारकुन निबंधन आवश्यक होता है।

§ सयाना प्रथा-सिर्फ सामाजिक तौर पर मान्य है §

अगर कोई व्यक्ति बिक्री या गिरवी दो व्यक्तियो के बीच करता है और पहले व्यक्ति को अगर मलिकाना मिल जाता है तथा दुसरे का पैसा वापस कर दिया जाता है तो बेचने वाला व्यक्ति बेईमान समझा जाता है।

§ ऐसा ही है §

रिवाज के मुताबिक चार भाइयो को दो या केवल एक स्त्री है तथा उस सबसे चार पांच लड़किया पैदा होती है और अगर कोई भाई फिर दुसरी शादी कर लेता है तो ऐसी अवस्था मे बच्चो का बंटवारा नही होता है बल्कि उसे बड़े भाई के साथ ही रहना पड़ता है। लेकिन बच्चो की हिस्सेदारी चारो भाइयो मे बराबर होती है जो कि सभी भाइयो द्वारा बड़े भाई

के साथ ही रहना पड़ता है। लेकिन बच्चो के हिस्सेदारी चारो भाइयो मे बराबर होती है जो कि सभी भाइयो द्वारा बड़े भाई के पास दी जाती है । और अगर भाई अलगहो गये तो शादी का खर्च बड़े भाई को वहन करना होता है ।

§ यह प्रथा समाप्त है सभी लगभग एक विवाही हो गये है पहले ऐसा ही था अलग हो जाते है बटवारा §

सामानो का बंटवारा निम्न लिखित ढ़ग से होता है। सभी प्रकार के वस्तुओ मे से एक भाग निकाल कर तथा एक खेत छोटे भाई को दे दिया जाता है । तथा बाकी सम्पत्ति बरा कर बराबर बाँट ली जाती है। और अगर खरीददारी अथवा गिरवी के तहत उने पास जमीन हैतो उसका भी बंटवारा होता है और वे खुद जमीन बेचे अथवा गिरवी रखे हो वही भी बांट दिया जाता है ।

§बराबर बराबर बँाटा जाता है ।§

सायना हिस्सेदारी तय करता है जिसके लिए उसे एक भेड़ एक बकरी एक थाली एक हथियार और पाँच रुपया मिलता है। पंचायत को पांच रुपया तथा

गांव वालो को दो रूपया भी देना होता है। और अगर गरीब परिवार होता है ये सब सारे शुल्क माफ कर दिये जाते है ।

§समाजिक तौर यह कोई-कोई मानता है, रूपयो की मात्रा ज्यादा होती है । जगह 500 ,1000 या §

अगर माता या पिता जीवित है तथा वे जिस भाई के साथ रहते हो उसे गाय थाली कपड़ा बुदले §   § का प्रबंध उनके लिए करना होता है औरदो माता पिता है तो दुसरे को कुछ भी नही देना होता है ।

§ ऐसी ही है §

अगर किसी व्यक्ति को तीन स्त्रीयां है तथा तीनो से भिन्न-भिन्न संख्या मे बच्चे पैदा हुए हो हिस्सेदारी के समय सभी को बराबर हिस्सा मिलता है, केवल उस लड़के को छोड़ कर जिसका साथ पहली माँ को रहना है, उसके थोड़ा ज्यादा मिलता है ।

§ऐसा ही है किन्तु किसी व्यकित के पास तीन स्त्रीयां दुर्लभ है §

अगर दो भाई है एक स्त्री है तथा उस स्त्री के मृत्यु के समय दो बच्चे है और दोनो भाई फिर शादी कर लेते है और शादी के बाद बड़ा भाई मर जाता है और बंटवारे के समय चार लड़के इस स्त्री से पैदा होते है तो आधी संपत्ति पहली स्त्री के दो बच्चे को मिलती है तथा आधी मे छ: हिस्से कर दिये जाते है जिसमे दो हिस्से फिर पहली स्त्री के बच्चो को ही मिलता है तथा शेष चार हिस्सो को दुसरी स्त्री के चारो बच्चो को दे दिया जाता है ।

॥ ऐसा ही है ॥

लड़कियो का पिता की सम्पत्ति मे कोई हिस्सा नही होता है केवल शादी की जरूरतो को पिता को देना होता है और अगर अगर घर मे शादी योग्य भाई है तो भाई- बहनो की शादी आपस मे कर दी जाती है ।

॥ यह प्रथा पूर्वतया समाप्त है ॥

शादी का रिवाज इस प्रकार है मिया और साउथ, जातियां कुनियाथ और माटो के साथ अन्तजातियां विवाह करते है इन जिलो मे राजपूतो और ब्राहमणो के शादी समारोह को झाजेरी कहा जाता है ।

॥ ऐसा ही है । ॥

वर-बधु के पिता आपस मे बर के पिता बधु के पिता को एक रूपया देता है तथा वधु के पिता उसे भोज देता है जिसे पेारीज ‖ ‖ कहा जाता है। यह मंगनी कर रश्म होता है। वधु के पिता लड़की को चोला, दामन, धातु, आदि से अपने सामर्थ्य के मुताबिक सजा कर तथा अपने सभी रिश्तेदारो के साथ वर के पिता के घर भेजता है वहा पर वर का पिता एक या दो भोज उन लोगो को देता है।

‖ ऐसा ही है। ‖

अगर वर का पिता मंगनी के बाद तय की गयी शर्तो को पुरा करने से इन्कार कर देता है तो जो पैसा उसने दिया वह वापस नही ले सकता है लेकिन अगर वधु के पिता मंगनी के बाद लड़की की शादी बिना वर के पिता से पुछे दुसरे से कर देता है तो लड़की के पिता को लड़के के पिता का साठ रूपये देना पड़ता है।

‖रूपये की मात्रा ज्यादा है ‖

अगर किसी निम्न जाति का व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति के स्त्री के साथ

किसी निम्न जाति का व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति के स्त्री के साथ भाग जाता है तो जो व्यक्ति लेकर भागता है अथवा उन लोगो को जो भी व्यक्ति

जिले रहने के लिए आश्रय देता है किसी को भी एक सौ पच्चीस रूपया देना होता है या तो औरत तथा जिसके साथ वो भागी दोनो को पुन: गांव जाना होता है लेकिन अगर उन लोगो के बीच कोई पुर्ण संबंध पाया जाता है तो उसे केवल समाने के माध्यम से पच्चीस रूपया देना होता है । और अगर उच्च जाति का व्यक्ति उच्च जाति के स्त्री का अपहरण कर देता है तो उसे दण्ड स्वरूप केवल साठ रूपये देने होते है ।

§ दण्ड की रकम, 10,000 तक भी हो सकती है §

जब कोई बच्चा पैदा होता है माता - पिता सामर्थ्य के अनुसार दान दिया करते है और अगरकोई विपत्ति मे है तो उसके रिश्तेदार सहायता स्वरूप बकरा और एक रूपया देते है ।

§ अब दान तो कोई कोई देते है किन्तु
सहायता कोई किसी को नही करता है §

क्रय विक्रय या किसी का सौदा इस प्रकार किया जाता है। इसके लिए कोई उल्लिखित दस्तवेज नही होता है सभी कुछ मौखिक ही तय किया जाता है। अगर कोई लिखना जनता है तो शर्तो को लिखता है और अगर इस संबंध को कोई झगडा उत्पन्न होता हैतो इस प्रकार सुलझाया जाता है ।

अगर कर्जदार व्यक्ति अपने कर्जे से इन्कार कर देता है तो साहुकार को अपने दुष्टके नामसे सोगंध लेनी पड़ती है और अगर कर्जदार कर्ज का कुछ हिस्सा कबूल करता है तथा बाकी इन्कार करता है तो साहुकार को कबुल की गई रकम देनी पड़ती है तथा बाकी के लिए साहुकार को सोगंध लेनी पड़ती है ।

(क्रय विक्रय लिखित होने लगा है किन्तु दुष्ट की सोगन्ध का वैसा ही महत्व है ।)

बयाज के बारे मे निम्नलिखितमान्यताये निधारित है । कर्जदार जब तक मूल धन लौटा न देता है तब तक उसे साहुकार को एक रूपय के लिये कटनी के समय आठ पुक्का आनाज देना होता है। और अगर कर्जदार दिवालिया हो जाता है तब साहुकार केवल अपना मूल धन लेकर ब्याज की कर्ज माफ कर देता है और अगर कर्जदार सूद नही दे सकता और ज्यादा आनाज देना चाहता है तो साहुकार उसे मूलधन के दुगना आनाज लेता है ।

(इस समय ब्याज 25% सलाना है)

आनाज संबंधी कर्ज के लिए निम्नलिखित मानदण्ड है। आनाज लेने के बाद अगर साल भर बाद लौटाया जाता है तो उसे 1/2 आनाज लौटाना पड़ता है। तथा साल भर बाद अगर वह पुरा नही लौटाया तो फिर अगले साल बचे हुए आनाज का डेड गुना लौटाना होता है।

§ इस समय ऐसा ही कही कही पर मात्रा निधारित नही है। §

और अगर कर्जदार निर्धन हो गया है तो साहूकार उससे कुल आनाज का तिगुना लेता है।

इस जिले सबसे ज्यादा महत्व दृष्ट महासु § §के सौगंध का माना जाता है। कली बोले बेनोली आदि के नाम से सौगंध का भी विशेष महत्व है।

§ ऐसा ही है। §

इस जिले मे और भी रीति रिवाज है जो इस प्रकार है। झगडे के संबंध मे लोग मे दृष्ट के मंदिर पर कूट के पत्थर तथा अपने घरो से कीचड़ ले जा कर चढ़ाते

थे और वह घर ट्रस्ट का घर होता है और उसके गिर जाने पर कोई व्यक्ति उसे नही ले सकता है। ज्यादातर विवादो मे ट्रष्ट जमीन और घर मुक्त कर देने की आज्ञा देते है। ट्रष्टो का यह सदेश मालीयो के द्वारा बताया जाता है जो कि गढवाल से आये है। सरकार ने इस परंपरा को अनुचित समझकर उद्द कर दिया ।

§ कही कही सामाजिक मान्यता है §

उंची जातियो के अलावा - छोटी जातियो जैसे बढई, बजगी कोली, लोहार, सोनार चमार भी रहते है। लेकिन ये अपने काम से मतलब रखते है इन्हे इनके काम की मजदूरी मिलती है प्रत्येक जमीदार सोनार, बजगी तथा बढई, को चार पथ असमाज देते है चमार अपने मालिक की सेवा करता है जिसके बदले उसे अन्य वस्त्र तथा परिवार के लिए थोड़ी सी जमीन मिलती हैं ।

§ अब कार्य दैनिकमजदूरी के रूप मे करते है यह सारी आन्योआक्रिया समाप्त हो गई है । §

§ § मालिक और नौकर के बीच सारे विवाद मध्यस्थो द्वारा सुलझाया जाता है ।

अगर कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी आदि चुरा कर बेच देता है या मार कर खा जाता है और अगर उसकी चोरी साबित हो जाती है तो प्रत्येक के बदले उससे सात लिए जाते है। और अगर वह नही देता है तो उसे आगे कचहरी जाना होता है और चोर के रूप में उसे सजा दी जाती है ।

ऽ ऐसा ही है ऽ

अगर कोई गंभीर समस्या जैसे हत्या आदि उत्पन्न होती है तो परम्परानुसार इसका फैसला पंचायत करती थी लेकिन अब यह इन संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है और इस तरह के मामले अब जिला पदाधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है ।

ऽ ऐसा ही है ऽ

अगर कोई झगडा होता है तो लोग आपस मे सुझला लेते है अथवा सयाना के द्वारा सुलझा दिया जाता है लेकिन इसके बाद अगर विवाद खत्म न हो तो उसे मामले कोदण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

ऽ सयाने की जगह ग्राम प्रधान ने ले ली है ऽ

उपरोक्त वर्णित परम्पराओ को छोड़कर कुछ परम्पराएं निम्नलिखित खूट के जैसे चुरथादी, मुलेथा, कोयल, संगोर छुरी पुर देयास दुसरे खूटो से भिन्न पाये जाते है । इन सब खूटो के सयाना का पूरा परिवार विसौता पाने का अधिकारी होता है उन्ही मे एक को सदर सयान नियुक्तकर दिया जाता है सदर सयाना का दुसरे खूटो मे जो अधिकार है वही अधिकार इन खूटो मे सयाना के पूरे परिवार के पास होता है सदर सायना के बाद उसका बड़ा लड़का सदर सयाना बनता है । इन सब खूटो के सारे किसान गैर मौसमी है किसी को भी खेत बेचने का अधिकार नही है सयाना के पास अधिकार है कि वह खेती करने दे अथवा उनसे खेत ले ले । कलसी के खूट मे जैसे हरीपुर, बेयास एक परम्परा जो सारे जौनसार से भिन्न है इस खूट मे राजस्व सामर्थ्य के अनुसार नही ली जाती है। यहां पर कृषी योग्य भूमि कापी है। समाना बचे हुऐ जमीन को भूटाई ‖ ‖ स्वरूप ले लेता है बाकी सारे रिवाज परगना भर मे समान है ।

‖ग्राम प्रधानो का चुनाव होता है तथा वो वोट प्रणाली द्वारा देश के अन्य भागो की तरह ही वैधानिक से चुनते है सयाना नही होते है ।‖

अध्याय - पाँच

संदर्भ - ग्रंथ

सन्दर्भ ग्रन्थ

1- विष्ट, बी०एस० 1990 द प्रोसेस आफ कल्चरल ट्रान्सफोर्मेशन अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्यूनिटीज आफ उत्तराखण्ड, आर०पी० यू० जी० सी० देहली ।

2- ब्रीफाल्ट आर० 1927 दि मदर, लन्दन ।

3- कोहन, बी०एस 1961 द चेंजिंग स्टेट आफ डिस्टेटस आफ डिप्रेस्ड कास्ट, विलेज इण्डिया (सम्पा०) एम० मैरिज, बम्बई, एशिया पब्लिसिंग हाउस ।

4- दुबे, एस०एम० 1968 एडूकेशन आकूपेशनल मोबिलिटी एण्ड द राइज आफ प्रोफेशन्स इन ए डेवलपिंग सिटी (पेपर फार द सेमीनार आन सोसियालाजी आफ डेवलपमेण्ट, आर्गनाइज्ड बाई यूनेस्को इन देहली फ्राम नव 25 टू सितम्बर 4, 1967)

1965 एडयूकेशन उण्ड सोसियोलाजी ट्रान्सलेटेडबाई एस०डी०फ्राक्स द फ्री प्रेस ।

6- मजूमदार डी०एन 1955 रेसेज एण्ड कल्चर्स आफ इण्डिया एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे ।

7- माल्थस टी०आर० 1798 ऐन ऐसे आन प्रिन्सिपल्स आफ पोपुलेशन, कैम्ब्रिज ।

8- मार्क्स कार्ल 1935 द पोवर्टी आफ फिलोसाफी मास्को ।

9- रो विलियम एल 1968 द न्यू चौहान्स ए कास्टमोबीलिटी मूवेमेन्ट इन नोर्थ इण्डिया इन द कास्ट सिस्टम इन इण्डिया कम्प्रेटिव स्टडीज इन सोसाइटी एण्ड हिस्ट्री सप्लीमेण्ट 3, दे हेग यू

10- शर्मा, के०एन० 1961 आक्यूपेशनल मोबिलिटी आफकास्ट इन ए नार्थ इण्डियन विलेज, साउथ वेस्टर्न जर्नल आफ एन्थोपालोजी, वाल्यूम 17 नं० 2 ।

11- श्रीवास्तव आर॰पी॰1963 ट्राइब कास्ट मोबिलिटी एण्ड द केस आफ कुमाऊ भोटियाज, यूनीवर्सिटी आफ लन्दन ।

12- स्ट्रूमिलिन एम जी 1924 द इकानोमिक सिग्नीफिकेन्स आफ द पीपुल्स एडयूकेशन, लेनिनग्राड ।

13- शुल्ज टी० डब्लू 1964 द सोर्स आफ इकानोमिक ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट एण्ड द आल्टरनेटिब्स बिफोर यू०एस० पेरिस ।

14- वेब्लन टी 1922 द थ्योरी आफ लेबर क्लास द बिकींग प्रेस न्यूयार्क ।

15- यंग, राबर्ट सी० 1967 एडूकेशनल प्लानिंग एण्ड इकानोमिक क्राइटेरिया इन इण्डियाज कान्टेक्स इन एडयूकेशन एस इवेस्टमैण्ट {सम्पा} बलजीत सिंह मेरठ ।

16.	Bhandari N.S.	1946	"Snowballs of Garthwal" in D.N. Majumdar (ed) Snowballs of Garhwal Lucknow Universal Printing Press.
17.	Chak. B.L.	1975	Kumaoon and Garhwal hill Districts. New Delhi. Publication Division.
18.	Dabral S.P.	1959	Uttar Khand Ka Itihas Dagadda (Garh) Neergatha Prakashan. Vol. 5.
19.	Fonseca, A.J. (Ed)	1971	Challenge of Poverty in India Delhi Vikas.
20.	Ghurye G.S.	1950	Cast and class in India Bombay. Popular Book Depot.
21.	India Govt. of	1975	Rebort of Development of Tribal Areas in the Hill Districts of North-Western U.P. Journal of Lal Bhadar Shastri National Academy of Administration Mussoric.
			Report of Kotta Enquiry Commission Lucknow. Directorate of Harijan & Social Welfare.

23.	Hasan, Amir	1971	A Bunch of Wild Flowers and other Essay and Lucknow, Ethnographi and Falk culture society.
24.	Hasnain Nadeem	1974	"Januasar Bawar I Jahan Draupadi Adarshhai" in Naujivan Jan. 13 Lucknow.
25.	Hasnain, Nadeem	1982	Bonded for ever a study of the Kolta Harmam Publications New Delhi-2.
26.	H. Nadeem	1975	The Kilta: A study in the Tthnography of the Poor" The Estern Anthropologist Vol. 24. No. 4.
27.	Issacs Harold	1965	India's Exuntouchables. Bombay Asia Publishing House.
28.	Majumdar, D.N.	1963	Himalayan Polyandry Bombay. Asia Publishing house.
29.	-do-		1965 Races and Cultures of India Bombay Asia Bublishing House.

30. Pant S.D. 1935 The Social Economy of the Himalayas London George Allen & Unwin Ltd.

31. Parmar , Y.S. 1975 Plyandry in the Hint alayas Delhi Vikas Publication House.

32. Rao Prasad 1971 "Shaukar and Tribal Society" Tribe Vol. 8 No. 3-4.

33. Saksena, R.N. 1962 Social Economy of a Polyandrous People. London Asia Publishing House.

Economic serfdon Amof the Kolta of Jounsar- Bawcier Agra, Institute of Social Sciences.

34. Sankratyayan, Rahul 1961 Jaunsar-Dehradun Allahabad Vidyarthi Granthaya.

35. Sanwal, R.D. 1976 Social Stratification in Rural Kumaon. Delhi Oxford University Press.

36. Verma, K.C. 1960 Kolta Jeevan Kijhanki Vauyajati Vol. 8 No. 4.

37. Polyandryin India/ Manish Kumar Raha & Palash Chandra Coomar
Gaim Publications.

38. Hindus of Himalaya - Berreman G.D.
Berkley Universsity of Carliformia- 1972.

39. Polyandrous village of Jaunsar Bawar J.S. Bhandari
Bulletin of Anthropological survey of India
No.-12 No-1, Page 9-19, 1973.

40. Case of Jaunsaries as a Scheduled tribe K.S. Bhoria.
The Administrator Vol. 20 No.-2 P. 273: 197.

41. Polyandry among the hills tribes of Jaunsar Barar.
Biswas P.C. 1953. Vanyajari Vol. 1, Pp. -9-11.

42. A demographic study of the Polyandrus hilltribe of Jaunsar
Barar- Memo Vol. 2, pp. 78-82.

43. The Dhyantis of Jaunsar Barar Bose Uma.
Main India Vol. 1 No. 2 29-30- 1953.

44. Culture patterns of a polyandrus society D.N. Majumdar
Man in India Vol. 20 No.1-2 82-83, 1940.

45. Patterns of Polyandrus societies with Particular reference of Tribal crime - A Mukerjee.
Man in India Vol. 30 No.2-3 pp. 56-65, 1950.

46. Marriage among the jaunsaras - B. Mukerjee .
Bullot A.S.I. Vol. 9 No. 2 , 1960.

47. Status of women in polyandrus society - S.B. Nandi.
Man in India Vol. 57, No.2, pp. 137-151, 1977.

48. The Khasa of Jaunsar Bavar- Dr. S. Pratap.
Vanyajati Vol. 30N. 9, pp. 20, 1982.

49. Marriage and divorce in Jaunsar Bavar. -Vanyajati Vol1 Pp. 94.

50. Acculturation and the Khasa of Jaunsar Bawar.- S. Sethea
Vonyajati 15 No. 1 pp. 40-44 , 1962.

THE EASTERN ANTHROPOLOGIST VOL. 1- 1947

51. Jain S.C.- Some features of fratenal Polyandry in Jaunsor Bavar Nos. 3 pp. 27.

52. Jain S.C.- Jaunsar Bawar No. 4- 29.

VOL VI- 1952.

53. Biswas P.C.- Comparative studies of the whord on Head Hair of Boatias, Rai is Kanets, Jaunsari and Tehri Garhwals of N.W. Himalayas. No.2 pp. 106.

VOL VIII- 1954

54. Majumdar D.N.- Family and Marriage in a Polyandrus village No. 2 pp. 84.

55. M.D.N.- Demodraphic structure in a polyandrus village No. 3 pp. 161.

VOL X - 1956

56. Majumdar D.N. & S.K. Anand - The functioning of school system in a polyandros society- in Jaunsar Bawar- Dehradun- U.P. No-3 pp. 182.

57. Sen, D.K.. Some Notes on the fertility of Jaunsari Women. No.1 pp. 60.

VOL. XVI- 1963

58. Mukherjee, B.- Comparative study of the Kinship systems of two polyandrus communities No.2. pp. 75.

5 VOL. XVIII

59. Jha, Jaichand & B.B. Chatterjee- Changing family in a Poly-andrus community No.2 pp. 64.

VOL. XX- 1967

60. Phillips W.S.K- Soual Distance (A study of the attitudes of the upper cast towards Lower castes).

VOL XXXI- 1978

61. Bhatt G.S.- From cast structure to Tribe a case of Jaunsari Bawar No.3- pp. 251- 258.

Journal of Social Research R.U. Ranchi.

62. Joshi, P.C. Concept and consation Ethnomedicine in Jaunsar Bawar Vol. XXIII No-II, 1980.

63. Bhatta, G.S.- Polyandry in Western-Himalaya: Some Notes and Observations, Vol. XXIV. No. II, 1981.

64. Prasad, R.R.- 1981- Tribal Stratification in Central Himalaya Vol. XXIV. No. 11.

65. Upreti H.C.- 1967- The Position of Woman among the Khasas of Kumaon - Vol. X No.1.

66. Majumdar D.N. - 1940- The racial composition of the Polyandrus people of Jaunsar Bawar in the Dehradoon This. United Provinces. Journal of the United Provinces Historical society Vol. 13. 35-50.

67. M.D.N. 1940f- Some aspects of the life of the Khasas of the Cis-Himalayan region- JRAS Vol. 6.1-44.

68. M.D.N. - 1953k- Tribal economy of the cis- Himalayas- The Indian Journal of Social work Vol. 14: 1-3.

69. M.D.N.- 1956-57a- A little community: a polyandrus village Jadi in the chakrata Tehsil, Dehradoon dis- sociologist Jour. of the sociology association Christ-Churgh college Kanpur pp. 1-4.

70. M.D.N. 1958-59.- A village school in the context of tribal Education in Jaunsar Bawar' Mansar Darpana Vo.3: 1-8.

71. M.D.N.- N.D.(g) Jaunsar Bawar Ki Khasa Jati- H.V. Vol. 2: 1155-62.

72. Beereman G.D. Hindus of Himalayas, University of Califormiya Press 1963.

73. Bhatt G.S. - Women in Polyandry Rawat Publication, Jaipur-4. 1990.

74. N.M. Vyas- Bondage and exploitation in Tribal India- 60. Rawat- Publications Jaipur- 1990.

75. Joshi L.D.- The Khasa Family Law pp. 78-81. , 1929.

76. M.D.N. The forttunes of Primitive Tribes , 1944, pp. 144, 159, 163 and 12 166.

77. Dubey S.C. Manav Aur Sanskriti Raj Kamal Prakashan , Delhi-1960

78. S.G. Deogaonkar, Tribal Exploitation , Internakk India Publicat ion New Delhi- 15.

79. B. Chaudhuri (ed) Tribal Development in INDIA/ I.I.P., N.D.-15

*****